खण्ड-235, अंक-5
सोमवार, 9 आश्विन, शक संवत् 1884
(1 अक्टूबर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४३५–४३९
प्रश्नोत्तर (जारी)	४३९–४५०
जनसंघ कार्यकर्त्ताओं द्वारा विधान भवन के प्रवेश द्वार पर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत	४५१
प्रश्नोत्तर	४५१–४६०
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	४६०–४६१
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाए, विवाद जारी)	४६१–५०९
विधान भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी आदि के संबंध में नियम ११३ (६) के अन्तर्गत कार्य-स्थगन हेतु प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५१०–५१२
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाए, विवाद जारी)	५१२–५१४
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	५१५
नत्थियां	५१६–५१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अछैबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अजमद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगन चन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ अक्तूबर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर सिटी बस सर्विस

**१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत रोडवेज की 'सिटी बस सर्विस' चलाने का निर्णय सरकार ने कर लिया है ? यदि हाँ, तो कब से ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—जी हाँ । १-२-१९६३ से चलाने का विचार है ।

जोत-कर विधेयक में टैक्सों की छूट

**२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाचार-पत्रों में छपी सूचना कि जोत-कर विधेयक में टैक्सों की छूट की हद बढ़ा दी गई है, सत्य है ? यदि हाँ, तो नई हद क्या निर्धारित हुई है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—इस विषय में मैं अपने विचार सदन के सम्मुख विधेयक पर विचार होते समय रख चुका हूं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विधेयक में कहीं भी एकड़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने विचार यहाँ रखते समय एकड़ों का जिक्र किया है, तो क्या धन के रूप में कोई छूट होगी या भूमि के रूप में होगी ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह अभी विचाराधीन है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विचाराधीन बात पर कब तक विचार हो सकेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत जल्द हो जायगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जो छट आप देने जा रहे हैं वह व्यक्तिगत खातों पर छूट होगी या इन्डिविजुअल होलिडिंग्ज पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सब अभी विचाराधीन है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भी सम्भव है कि यह छूट ८ एकड़ से कम हो जाय या किसी हालत में भी यह ८ एकड़ से कम न होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक कि कत्तई फैसला न हो जाय तब तक यह सब कहना नामुमकिन है ।

मेलसर गांव में भवानी देवी का चबूतरा

**३—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि दिनाँक २३ सितम्बर, १९६२ को बाराबंकी जिले के ग्राम मेलसर, थाना मेलसर में धार्मिक स्थान, भवानी देवी के चबूतरे को किसी सम्प्रदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा खोद डालने का प्रयत्न किया गया ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं ।

**४—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त लोगों को खोदने से रोकने का प्रयत्न करने वालों पर करौली, भाले आदि से प्रहार किया गया जिसमें कि कुछ लोग जो रक्षा करने की नीयत से वहाँ गये थे वह घायल कर दिये गये ? यदि हाँ, तो कितने लोग घायल हुये तथा आक्रामकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

सदर जनाना अस्पताल, बाराबंकी में महिला मरीज का जेवर उतारने की शिकायत

**५—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २३, २४ सितम्बर, १९६२ की रात्रि में बाराबंकी के सदर अस्पताल (जनाना) में किसी अज्ञात पुरुष ने एक महिला मरीज को छुरा दिखाकर उसका सभी जेवर उतार लिया ? यदि हाँ, तो सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई घटना सदर अस्पताल (जनाना) बाराबंकी में दिनाँक २३/२४ सितम्बर, १९६२ को नहीं हुई ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

सुसुण्डी ग्राम का दंगा

**६—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम सुसुन्डी में तारीख ३ सितम्बर, १९६२ को साम्प्रदायिक बलवा हुआ है ? यदि हाँ, तो इस बलवे का क्या कारण है तथा इसमें कितने जान व माल की क्षति हुई ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—ग्राम सुसुन्डी में जो घटना हुई है उसके बारे में ऐसी सूचना है कि उस ग्राम के एक मुसलमान निवासी के वीरान मवेशी खाने में एक मरा हुआ बैल पाया गया । इस पर कुछ बदमाशों ने यह खबर फैला दी कि बैल को मुसलमानों ने मार डाला है । इस खबर के फलस्वरूप पड़ोस के ग्राम के कुछ लोगों ने सुसुन्डी ग्राम के ५ मुसलमानों के घरों पर हमला किया और ५,९८५ रु० ५० न० पै० की सम्पत्ति लूट ले गये । इस घटना में जान की कोई क्षति नहीं हुई ।

श्री रघुवीर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बैल मवेशीखाने में लावारिस बताया जाता है कि मरा हुआ पाया गया, वह बैल नहीं था बल्कि साँड़ था और वह मैदान में मारा गया ?

श्री नवलकिशोर—साँड़ और बैल में तो टेक्निकल फर्क की बात है, लेकिन यह सही है कि वह मवेशीखाने में मरा हुआ पाया गया, चाहे वह बैल हो या साँड़ हो ।

श्री रघुवीर—जो साँड़ मारा गया है उस की रिपोर्ट कोतवाली या थाने में लिखाई गई थी ? यदि हाँ, तो वह किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ थी ?

श्री नवलकिशोर—१ सितम्बर को थाने में इसकी रिपोर्ट हुई कि वह बैल अहमद हुसैन या मद्दू मियाँ के मवेशीखाने में मरा हुआ पड़ा है और दफा ४२९ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि वह साँड़ आसपास की फसलों को खराब करता था और खेती को बरबाद करता था और इसलिये आसपास के ४–५ आदमियों ने मिलकर उसे मार डाला ?

श्री नवलकिशोर—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—जैसा मंत्री जी ने कहा कि ५ मुसलमानों के घरों पर हमला किया और ५ हजार से ऊपर का माल लूटा गया तो इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने म दर्ज करायी गई ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—मैंने कहा कुछ बदमाशों ने गाँव पर हमला किया, ३०, ३५ मुसलमानों के वहाँ मकान हैं और वहाँ के हिन्दुओं ने उनकी बड़ी मदद की जिसकी उन्होंने तारीफ की है । लेकिन जो ५ व्यक्ति थे उनके मकानों को लूटा गया यह बात सही है । सिर्फ प्रश्न यह है कि इसमें कोई साम्प्रदायिक बात नहीं है जो शुरू में थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने उसका फायदा उठा कर लटमार की जिसका मुकदमा दर्ज है और उसकी जाँच हो रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—मंत्री जी को इस बात की कोई सूचना है कि वह बैल या साँड़ किसी के मारने से मरा या अपनी मौत से मरा ?

श्री नवलकिशोर—इसकी जाँच हो रही है । इस समय दो केसेज हैं, एक ४२९ का और दूसरा लूट मार का । दोनों की जाँच हो रही है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि पहली वाली घटना पहली तारीख की है और घरों पर हमला ३ तारीख को हुआ । तो दो तारीख को जो पुलिस गश्त पर थी उन लोगों ने यह बात फैलायी कि मुसलमानों के घरों को लूट लो ? क्या इस बात की सरकार को खबर है ?

श्री नवलकिशोर—जो लूटमार की घटना हुई यह ७ तारीख को हुई जब कि पहली वाली घटना पहली तारीख को हो गई थी । तो यह अंदाजा नहीं था कि ५ दिन के बाद इस तरह से संगठन करके बदमाश लोग हमला करेंगे ।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे लूटमार करने वाले कितने व्यक्ति थे और उनमें से कितने गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री नवलकिशोर—६० आदमियों के नाम थे जिनमें से २७ गिरफ्तार हो गये, २७ ने सरेन्डर कर दिया, दो आदमी फरार हैं और तीन के बारे में जानकारी की जा रही है ।

श्री महेन्द्रसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह बैल किस तारीख को मवेशीखाने में बन्द हुआ और बन्द कराने वाले का क्या नाम है ?

श्री नवलकिशोर—जो मवेशीखाना है वह लावारिस है इसलिये किसी के बन्द कराने का सवाल नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नैनी जेल में जल-व्यवस्था

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या कारागार मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद की नैनी जेल में कितने बैरिकों में बिजली के पम्प से पानी दिया जाता है तथा बाकी बैरिकों में पानी देने की कौन-सी सुविधा की गयी है?

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—पानी की सुविधा बैरिकों के अन्दर नहीं होती है बल्कि बाहर हातों में होती हैं। जेल के २३ हातों में से १५ हातों में बिजली के पम्प से पानी दिया जाता है, ४ हातों में कुयें का पानी पाइप लाइन द्वारा पहुंचाया जाता है तथा अन्य ४ हातों में जहां कोई साधन नहीं है पानी पास के हातों से लाया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि इलाहाबाद में रिहन्द की बिजली आ गई है, अतः बिजली को पूरा प्रबन्ध होने से नैनी जेल में पानी का उचित प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—इस साल ६४,५०० रुपये नैनी जेल में पानी की व्यवस्था के लिये दिया गया है और वहां के सुपरिन्टेंडेंट उसका इन्तजाम करेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जो समस्या है केवल इसी जेल की नहीं है प्रदेश की तमाम जेलों में यह समस्या है जहां पर पर्याप्त संख्या में पानी नहीं मिलता, तो क्या सरकार सर्वेक्षण करायेगी और जिन जेलों में पर्याप्त पानी नहीं मिलता उसकी कोई सुविधाजनक व्यवस्था हो सके?

श्री अध्यक्ष—यह अलग से सवाल कीजिये।

रायबरेली जिले में सप्लाई विभाग से परमिट मिलना

*२—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बतायेगी कि रायबरेली जिले के सप्लाई विभाग से १९६१-६२ में कितने परमिट टीन की चद्दरों के दिये गये और कितने बोरी सीमेंट के? इसी विभाग ने १९६१-६२ में कितने परमिट ईंटों के लिये किन-किन भट्टों से दिये हैं?

रसद उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सूचना संलग्न है।

(देखिये सत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

श्री रतीपाल—सरकार को इस बात की सूचना दी है और जिला अधिकारी को भी लिखित दिया है कि टीन और सीमेंट के परमिट दिये गये हैं उन्होंने उन्हें अपने काम में न ला कर ब्लैक मार्केट में लालगंज में बेचा, उसके लिये क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—पहले यह मालूम हो जाय कि किन आदमियों के बारे में आपका प्रश्न है।

श्री रतीपाल—लालगंज के ठेकेदार हैं। लोहिया नाम है।

श्री अध्यक्ष—पूरा नाम क्या है?

श्री रतीपाल—गंगा प्रसाद लोहिया उनका नाम है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस लिस्ट में जो नाम आये हैं हमारे पास उनमें वह नाम नहीं आया है और हम कह नहीं सकते कि ब्लैक मार्केट किया है। लेकिन जो सूचना आप दे रहे हैं उसकी जानकारी करा ली जायगी कि यह बात कहां तक सही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुये कि वहां पर आम शिकायत इस बात की है कि सीमेंट और टिन शीट्स के परमिट दिये जाते हैं उनका आम तरीके पर ब्लैक हो रहा है, और जिन लोगों के नाम से परमिट दिया जाता है उनको वह नहीं मिल पाता है और बीच में कुछ दलाल उसे ले लेते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—इस तरह का प्रश्न में अधिक उचित नहीं समझता। मुनासिब यह है कि स्पेसिफिक तरीके से प्रश्न पूछा जाय कि अमुक आदमी के बारे में यह कहा जा रहा है। आम शिकायत है, आम तरीके से यह हो रहा है तो उसके ऊपर आम इन्वेस्टिगेशन हो, यह बात कुछ ठीक नहीं लगती।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जिन लोगों के नाम से वहां परमिट काटे गये हैं सीमेंट के और टीन की चादरों के उन लोगों में से अधिकांश लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उनको यह परमिट नहीं मिलते, तो मन्त्री जी इन शिकायतों पर जांच कराने की कृपा करेंगे?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—ऐसी कोई शिकायत पहुंची ही नहीं है। इसलिये सवाल पैदा नहीं होता।

प्रान्तीय रक्षक दल कर्मचारियों का वेतन

*३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि पी० आर० डी० के जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं और वही काम करते हैं जो पुलिस करती है, तो उनके और पुलिस के वेतन-क्रम में क्यों अन्तर रखा गया है? क्या असमानता को दूर किया जायगा?

श्री हरगोविन्दसिंह—पी० आर० डी० विंग आफ पुलिस तथा पुलिस के कर्मचारियों के कार्य में अन्तर है जिसके कारण उनके वेतन-क्रम भी भिन्न हैं। अतः असमानता को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

भीकू वाला ग्राम में पेय-जल कष्ट

*४—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम भीकूवाला, अफजलगढ़ विकास क्षेत्र, जिला बिजनौर में पेय-जल पहुंचाने के लिये पाइप लाइन को बिछे हुये लगभग चार वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु पावर कनेक्शन के अभाव में मोटर न लगने के कारण यह लाइन बेकार पड़ी है और इस ग्राम के निवासियों को पेय-जल प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है? क्या सरकार शीघ्र पावर कनेक्शन (power connection) प्रदान कर इस ग्राम के रहने वालों के लिये पेय-जल की व्यवस्था करेगी?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जांच करने पर यह पता चला कि यह बात ठीक ही है। पावर कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की जा रही है और ज्यों ही इसका प्रबन्ध हो जायगा, इस ग्राम में पेय-जल योजना चालू हो जायगी।

श्री बसन्तसिंह—क्या पावर कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चीफ इंजीनियर जल्दी इस काम को करें इस प्रश्न पर वहां पर विचार हो रहा है।

श्री रामायण राय—लाइन कितनी अवधि से बेकार पड़ी हुई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह काम पहले हो गया था, लेकिन लाइन बनी है १९५९-६० में।

श्री रघुवीर—जो पाइप बिछाये गये हैं उनमें कितना धन व्यय हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें २०,९४७ रुपये का कुल खर्चा हुआ।

[१ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

झांसी नगरपालिका के हेड क्लर्क को हटाना

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका के हेड क्लर्क श्री के० के० खत्री, एम० ए०, एल-एल० बी० को बिला चार्जशीट दिये ही उनके पद से जून, १९६२ में हटा दिया गया? क्या यह सत्य है कि वह करीब ११ वर्षों से सर्विस में थे वे कन्फर्म भी थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। यह भी सत्य है कि श्री खत्री लगभग ११ वर्षों से बोर्ड की सेवा में थे व मुस्तकिल भी थे।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री लखपतराम शर्मा ने तीन प्रश्न किये हैं.....

श्री अध्यक्ष—एक बात निवेदन कर दूं। हमारा नियम यह है कि ६ महीने के अन्दर ही या उसी सत्र में हो तो जिस विषय पर सवाल पूछा गया है उस पर दोबारा नहीं पूछा जाता है।

श्री कृष्णचन्द—मेरा यह कहना है कि पहला प्रश्न जो के० के० खत्री के सम्बन्ध में है मेरा मत यह है कि यह यहां नहीं पूछा जा सकता और मेरे मत को समर्थन मिलता है पार्लियामेंट में जो रूलिंग्स हुई है उससे कि व्यक्तिगत गवर्नमेंट मेम्बर्स के सिलसिले में कोई प्रश्न फ्लोर आफ दि हाउस पर नहीं पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं बता दूं। इस सम्बन्ध में यह है कि अगर कोई लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट या आटोनामस बाडी के सम्बन्ध में प्रश्न हो तो वह जबतक सरकार से सम्बन्धित न हो तब तक नहीं पूछा जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि नियम में यह भी है कि अगर वह प्रश्न, ऐसे विषय से सम्बन्धित हो, जोकि वहां के नियमों या कायदों के भंग होने से सम्बन्धित हो, तो सरकार बतायेगी कि क्यों उस नगरपालिका या कारपोरेशन में नियम भंग हुआ। यहां पर प्रश्न यह है कि के० के० खत्री के विरुद्ध कार्यवाही की गयी बगैर उनको चार्जशीट दिये। अब मेरा खयाल है कि संविधान में ३११ धारा या कोई अन्य धारा है जिसके अनुसार प्रत्येक सेमी-गवर्नमेंटल बाडीज के व्यक्ति को भी चार्जशीट देना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह नियमित है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में यह है कि उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं लिया गया और इसका प्रधान कारण यह था कि झांसी नगरपालिका में ५ रुपये प्रति ठेला बराबर रिश्वत ली जाती रही और इस पर के० के० खत्री ने.....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये। आप इतनी बातें मिला देते हैं कि समझ में नहीं आता।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरा निवेदन यह है कि क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि झांसी नगरपालिका की हद से जो ठेले पास होते थे कई वर्षों से ५ रुपये प्रति ठेला उनसे रिश्वत ली जाती थी और बाद में जब अखबारों में प्रचार हुआ और सदन में यह मामला श्री एस० एस० यूसुफ द्वारा रखा गया तो के० के० खत्री ने यह काम करने से इंकार कर दिया। इसलिए उनको बिना चार्जशीट दिये अलग कर दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिस बात का जिक्र माननीय सदस्य ने किया उसकी सरकार को बाकायदा कोई जानकारी नहीं है। रही बात उनको बिना नोटिस या चार्जशीट के हटाने की, तो वह प्रश्न बिल्कुल दूसरी तरह का है। सरकार से आदेश यह थे कि हेड क्लर्क की जगह पर कोई भी एप्वाइंटमेंट बाहर से नहीं होना चाहिये और जो लोग दफ्तर में नीचे काम करते हैं उन्हीं में से प्रोमोशन होना चाहिये और अगर उनमें से कोई एलिजिबिल न हो तब बाहर से करने की बात उठ सकती है। इनका एप्वाइंटमेंट बाहर से किया गया था जिसके ऊपर मुतवातिर १९५१ से हमेशा आडिट रिपोर्ट में आब्जेक्शन हुआ। उसके बाद १९६२ में अध्यक्ष ने इनको तीन महीने का, जो रूल्स के अन्दर है, वेतन देकर नौकरी से पृथक् कर दिया।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में यह है कि आडिट आब्जेक्शन के ऊपर बोर्ड ने एक कमेटी बिठायी थी और उस कमेटी ने इनके पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद अध्यक्ष ने कई वर्ष पहले इनको कन्फर्म कर दिया और कन्फर्मेशन के बाद ये हटाये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने तो उत्तर में निवेदन किया कि कन्फर्मेशन कर दिया गया था, लेकिन आडिट की आपत्ति अपनी जगह पर है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, एक बात समझ लीजिये। अगर म्युनिसिपल बोर्ड कनफर्म कर दे और आडिट रिपोर्ट कहे कि नियुक्त व्यक्ति नियमानुसार नहीं रखे जा सकते, तो उनकी नियुक्ति कानूनन सही नहीं मानी जा सकती। उत्तर यह है कि आडिट रिपोर्ट चूंकि यह थी कि उनको आप नहीं रख सकते हैं कन्फर्मेशन की वजह से उनको तीन महीने का वेतन दिया गया और उसके बाद उनकी सर्विसेज समाप्त की गई। इस पर कोई प्रश्न उठता हो तो कर लीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया है कि किस सन् में आडिट रिपोर्ट हुई और कितने दिन बाद उनको निकाला गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पहली आडिट रिपोर्ट १९५१-५२ में, दूसरी ५३-५४ में और तीसरी ५५-५६ में। इसके बाद १९५७-५८ में आडिटर ने फिर आपत्ति की और २० जून, १९६२ को तीन महीने का वेतन देकर उनको पृथक् किया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आखिरी आडिट की आपत्ति ५७-५८ में हुई ? तब से कोई कार्यवाही उनके खिलाफ न होने की वजह से जो अवहेलना हुई है उसके लिये सरकार ने कोई पूछताछ की है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप अलग से पूछ सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह कौन-सा प्रस्ताव है और किस तारीख को मीटिंग बैठी और एजेंडा घुमाया गया कि अमुक कर्मचारी की सर्विसेज की जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि उसके खिलाफ आडिट आब्जेक्शन है ?

श्री अध्यक्ष—मन्त्री जी ने बताया है कि आडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर अध्यक्ष ने काम किया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आडिट की आपत्ति ५७-५८ की है और १९६२ में उनको निकाला गया है, तो इतने बाद क्यों निकाला गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, कारण यह मालूम होता है कि परमात्मा के यहां देर है अन्धेर नहीं है । तो देर हुई अन्धेर नहीं रहा।

अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी को हटाने की मांग

*२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ फरवरी, १९६० को विधान मण्डल के ४८ माननीय सदस्यों द्वारा जिनमें कि विरोधी दलों के नेता तथा उपनेता भी सम्मिलित थे झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उनके पद से हटाने तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने इत्यादि की लिखित मांग सरकार से की थी ? यदि हां, तो इस जनहित के विषय पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया।

*३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १२ फरवरी, १९६० के अतिरिक्त कितनी बार विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा सन् १९६० में ही लिखित रूप से सरकार से झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष को तुरन्त उनके पद से हटाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई ? यदि यह सत्य है तो किस-किस माह व किस-किस तारीख में यह मांग की गई और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है जबकि निरन्तर सरकार को अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त मांग तीन बार—१ अप्रैल, १९६०, ६ मई, १९६० तथा २६ अगस्त, १९६० को की गयी ।

नगरपालिका, झांसी के अध्यक्ष के विरुद्ध यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८ के अन्तर्गत आरम्भ की गयी कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

श्री लखपतराम शर्मा—जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि धारा ४८ की कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई, तो कब तक निर्णय होगा, क्योंकि सैकड़ों मामले विचाराधीन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, हमेशा कोशिश होती है कि शीघ्र से शीघ्र हो। इसमें भी जल्दी करने की कोशिश की जायगी ।

श्री कृष्णचन्द—क्या सरकार को मालूम है कि लखपतराम शर्मा जी ने जो पुस्तिका बांटी थी उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष ने दफा ५०० के अन्तर्गत मामला दायर किया है जो समाप्त नहीं हो पाया है और अभी अदालत में चल रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, मालूम है ।

श्रम विभाग, वाराणसी द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रम विभाग, वाराणसी ने नगर के मध्य नाटी इमली के पास एक बस्ती १८६ क्वार्टरों की बनाई है ? यदि हां, तो इस बस्ती का कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरा किया गया ? इस बस्ती को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ और अब तक इसमें कितने लोग आबाद हो चुके हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इस बस्ती का कार्य १९ अगस्त, १९५९ को शुरू हुआ और २१ फरवरी, १९६२ को समाप्त हुआ। इसी बस्ती को बनाने में अगस्त, १९६२ तक ६,४६,२८७ रुपये व्यय हुये हैं और १४१ मकानों का एलाटमेंट हो चुका है। शेष मकानों के एलाट हो जाने की शीघ्र ही आशा है।

*५—**श्री ऊदल**—क्या बस्ती में पानी, बिजली तथा और अन्य सुविधायें हासिल हैं? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, ये सुविधायें १३ मई, १९६२ से उपलब्ध हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१ फरवरी, १९६२ जब कि कार्य समाप्त हुआ, उससे पहले जो १८६ कमरे बने थे, बिजली और पानी की सुविधाएं और ब्लाकों में क्यों नहीं मुहइया की गयीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह जितने काम होते हैं इनमें कभी-कभी थोड़ी-सी गलती तो हो ही जाती है कि एक चीज बन पायी, दूसरी नहीं बन पायी। देरी यहां भी हुई है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे कि समय से पानी, बिजली, सिवर लाइन आदि का प्रबन्ध न करने की वजह से सरकार को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सही है कि कभी-कभी ऐसा हुआ है। दो-तीन जगह और भी ऐसा हुआ है। लेकिन बावजूद कोशिश करने के कभी-कभी समय से नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें हैं।

फतेहपुर जिले में हलर लगाने के लाइसेंस

*६—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला में हलर लगाने का कोई लाइसेन्स ३०-६-६१ के बाद नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या इसलिये कि जिला लघु-उद्योग के अन्तर्गत ले लिया गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। ३० जून, १९६१ के बाद फतेहपुर जिलेमें दो लाइसेंस हलर लगाने के लिये दिये गये।

*७—**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लघु उद्योग के अन्तर्गत कितना धान ३०-६-६१ के बाद कूटा गया तथा कितनी सहकारी समितियां उक्त क्षेत्र में कार्य कर रही हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। इस समय उक्त जिले में धान कुटाई की कोई सहकारी समिति काम नहीं कर रही है।

कन्ट्रोल ऐक्ट

*८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में सीमेंट तथा लोहे पर कंट्रोल ऐक्ट लागू है और किन-किन जिलों में नहीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश के सभी जिलों में सीमेंट तथा लोहे पर कन्ट्रोल ऐक्ट लागू है।

*९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में किन-किन सामानों पर कंट्रोल ऐक्ट लागू है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जहां तक खाद्य तथा रसद विभाग का सम्बन्ध है निम्नलिखित सामानों पर कन्ट्रोल ऐक्ट लागू है :

(१) लोहा तथा इस्पात
(२) सीमेन्ट
(३) कोयला चूर
(४) साफ्ट व हार्ड कोक
(५) ईंटें
(६) नमक
(७) खाद्यान्न।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि १५ वर्ष से जो कंट्रोल लगा है उसके कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको देखते हुए और कल महात्मा गांधी का जन्म-दिवस है उसको देखते हुए किसी सामान पर से और विशेष कर नमक पर से कंट्रोल हटाने की कृपा करेंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सामान की कमी की वजह से कंट्रोल लगाने की आवश्यकता पड़ती है और यह जो भी कंट्रोल लगे हैं यह पूर्ण रूप से नहीं हैं जैसे सीमेंट की कीमतों पर कंट्रोल है और डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं। कंट्रोल होता है जहां आवश्यकता पड़ती है, जहां आवश्यकता नहीं होती वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह फ्री कर दे। तो कमी की वजह से मजबूरन करना पड़ता है, वरना सरकार इसको पसन्द नहीं करती।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए पुनः प्रयत्न करेगी कि हमारे यहां जो कंट्रोल लागू किया जाता है वह सरकार इसलिए लागू करती है कि वह समझती है कि चीजों की कमी है, लेकिन व्यवसायी उस कंट्रोल का मतलब समझता है कि और तेजी की जाय और चीज और महंगी की जाय, तो इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि वह कंट्रोल हटा दे जिससे कि चीज बाजार में खुले आम आ सके और उनकी कमी न रहे ?

श्री अध्यक्ष—इस समय सरकार की जानकारी है कि वह कमी है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—सरकार कहती है कि कंट्रोल सीमेंट पर नहीं है, केवल प्राइस कंट्रोल है। तो क्या सरकार इस प्राइस कंट्रोल को हटा करके जो थोड़ी बहुत कमी सीमेंट की पड़ जाती है उसको दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जैसे टिन शीट्स हैं तो ९० दिन के बाद अगर कंट्रोल से न उठें तो वह फ्री हो जाती हैं और ऐसे ही हर चीज के ऊपर है। तो लोगों की शिकायत जो है जिसको वह समझते हैं कि ब्लैक करते हैं, वह बात नहीं है। अभी उसके बारे में प्रश्न हुए तो हमने तो कई बार इसके ऊपर विचार किया और एक बार सीमेंट को बिलकुल छोड़ दिया और चीनी पर भी छोड़ दिया था मगर हाउस में अभी कुछ दिन पहले यह हल्ला मचा कि चीनी बहुत महंगी होती जा रही है, सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है, तो सरकार क्या कदम उठाये ? सरकार कंट्रोल का ही कदम उठा सकती है और क्या करे ?

गंजडुंडवारा में सी० पी० टैक्स का विरोध

*१०—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा) तथा **कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गंजडुंडवारा नगरपालिका, जिला एटा में सी० पी० टैक्स के विरोध में नागरिकों द्वारा पूर्ण हड़ताल ३ सितम्बर, १९६२ को हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*११—श्री राजेन्द्रसिंह तथा कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल के फलस्वरूप बाजारबन्दी से गंजडुंडवारा नगर की जनता को ही नहीं अपितु आस-पास की ग्रामीण जनता को भी चिकित्सा, दवा आदि की सुविधाओं के न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल सी० पी० टैक्स को निरस्त करने की घोषणा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, छानबीन से पता चला कि केमिस्ट की दो दूकानें खुली थीं। सी० पी० टैक्स के विरोध में हाईकोर्ट में एक रिट दायर कर दी गई है। इस पर हाई कोर्ट ने stay order पास कर दिया है, अतः मामला sub judice है और शासन इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं कर सकता।

*१२—श्री राजेन्द्रसिंह तथा कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को यह भी सूचना मिली है कि सी० पी० टैक्स के विरोध में जनता ने ही नहीं, अपितु म्युनिसिपल बोर्ड ने ३ सितम्बर, १९६२ को एक प्रस्ताव पास किया है कि यदि सरकार सी० पी० टैक्स को निरस्त नहीं करेगी तो सभी सदस्य एवं अध्यक्ष सामूहिक रूप से पदों से त्याग-पत्र दे देंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

राज्य व्यापार योजना

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राजकीय व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की नीति स्वीकार की थी? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक उसकी क्या प्रगति है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, राज्य व्यापार की अन्तरिम योजना इस प्रदेश में कार्यान्वित की गई थी जिसके अन्तर्गत सुरक्षित भंडार बनाने के लिये खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) की खरीदारी, सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों के थोक व्यापारियों तथा चावल मिलों को लाइसेंस देना प्रारम्भ किया गया था। यह योजना अब भी लागू है।

*१४—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार का ध्यान जीवनोपयोगी वस्तुओं के चढ़ते हुये भाव पर गया है? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक इस भाव का क्या परिणाम है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, परन्तु गेहूं तथा चावल के भावों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और सच तो यह है कि चावल के भाव पिछले वर्ष के मुकाबले में इस समय कम हैं, अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों में सामान्यतः वृद्धि हुई है।

*१५—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि केन्द्रीय नियोजन मंत्री के इस सम्बन्ध में दिये गये गत सप्ताह के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में किन-किन माध्यमों से कीमतों के चढ़ते हुये भाव को रोकना चाहती है और क्या इसमें स्टेट ट्रेडिंग की योजना भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी दशा में इस सम्बन्ध में कोई अन्य विवरण देना सम्भव नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग में सरकार ने कुल कितने टन गल्ले का व्यापार किया और उससे सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९५८-५९ में चावल हमने ४५,९२४ टन खरीदा और उस साल का टोटल ४५,९२४ टन ही है। ५९-६० में गेहूं ५५,१०२ टन और चावल १,४७,९७२ टन टोटल २० ल।ख ३ हजार ७४ टन खरीदा। ६०-६१ में ४१,४२० टन गेहूं और चावल १,१८,६९२ टन। १९६१-६२ में चावल ९२,७५० टन। १९६२-६३ में सितम्बर तक २५,६३६ टन टोटल ह कि हमने इतनी खरीदारी की।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी कोई योजना है कि खाद्यान्नों के अलावा और भी किसी चीज पर स्टेट ट्रेडिंग लागू की जाय, अगर हां, तो वे कौन-कौन सी चीजें हैं जिन पर लागू होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने अपने उत्तर में बतलाया कि जो जीवनोपयोगी चीजें, जो खाने से सम्बन्धित हैं, जैसे तेल, दाल, डालडा और अब गेहूं पर भी वह लागू नहीं है, केवल चावल पर लागू है । कपड़े के बारे में भी यह नहीं है । इस पर सरकार का नियंत्रण करना उचित नहीं है क्योंकि यह सदन की भावना के अनुकूल नहीं है । सदन चाहता है कि कम से कम कंट्रोल हो ।

श्री कल्पनार्थसिंह— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग से कुल कितने रुपये की हानि या लाभ हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सही फीगर के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन हानि कोई नहीं हुई है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या सरकार खाद्यान्नों की आवश्यकता को देखते हुये इस बात की कोशिश करेगी कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की दर कमसे कम निर्धारित की जाय जिससे लोग खाद्यान्नों को ज्यादा दाम पर बाजार में न बेच सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार जहां कहीं यह देखती है कि कमी होने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं तो कंट्रोल लगा देती है । इसके अलावा और चारा नहीं है । मगर अभी तक इस सदन ने यह कहा है कि जितना कम कंट्रोल हो तो उतना अच्छा है ।

श्री रामायणराय—माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि केन्द्रीय योजना मंत्री का गत सप्ताह वक्तव्य मिला है । तो मंत्री जी वक्तव्य के किस हिस्से को कार्यान्वित करने जा रहे हैं । इस राज्य में या उस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वक्तव्य अखबारों में मैंने पढ़ा है । मगर सरकारी तौर पर वह नहीं आया है । राज्य सरकार जो मुनासिब समझती है वह करती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन चीजों की कीमतों में, जो पैदा होती हैं और बाजार में बिकती हैं दोनों में एक समन्वय स्थापित किया जाय जिससे बाजारों में चीजें सस्ती बिक सकें । क्या ऐसी सूचना इस सरकार को मिली है ? यदि मिली है, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस प्रकार की सूचना प्लानिंग कमीशन ने दो साल पहले भेजी थी, हर राज्य के पास भेजी थी कि प्राइस लाइन कैसे होल्ड की जाय । उसके लिये अपना मत भेज दिया था ।

श्री कल्पनार्थसिंह— जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं । क्या प्रदेशीय सरकार का ध्यान इस ओर गया है । यदि हां, तो क्या प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी या केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इसकी नोटिस ली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिन चीजों की हमारे प्रदेश में हम समझते हैं कि बहुत कीमत बढ़ती है उसकी हम सूचना देते हैं । जो उनको स्वतः मालूम होता है कि और प्रदेशों में ज्यादा कीमत बढ़ी तो उसको वह मालूम कराते हैं । उससे हमें मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में इसकी कीमत बढ़ी । जितनी कीमत और जगह बढ़ती है उसका नोटिस हम ले लेते हैं ।

जनसंघ कार्यकर्ताओं द्वारा विधान भवन के प्रवेश द्वार पर बाधा उत्पन्न करनें की शिकायत

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी गेट पर से आ रहा हूं। वहां जनसंघ के कार्यकर्ता हम लोगों के अन्दर आने में बाधा डाल रहे हैं और अन्दर आने नहीं देते। तो क्या आप उन लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था करेंगे ताकि हम लोगों को आने-जाने में बाधा न हो।

श्री अध्यक्ष—अगर परिसर के अन्दर कोई बात हो रही हो और वह कानून के विरुद्ध हो, तो पुलिस सक्षम है उसके लिये कार्यवाही करे।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें। अगर बाहर कोई बात हो रही हो तो अन्दर भी आप अव्यवस्था करें यह कैसे हो सकता है ?

प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

श्री रामायणराय—सरकार की मौजूदा व्यवस्था के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है और यह बात मंत्री जी ने स्वीकार की है, तो क्या मंत्री जी प्राइस फिक्सेशन बोर्ड जैसी कोई चीज बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, जिन चीजों पर हमने नियंत्रण रखा है, गेहूं और चावल पर, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। अन्य चीजों में वृद्धि हुई है, और इस प्रकार का कोई बोर्ड बनाने का निश्चय केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है।

प्रान्तीय रक्षक दल कर्मचारियों का स्थायित्व

*१६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में अब तक कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य— ३३२।

*१७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में पिछले दो-बार स्थायी करते वक्त स्थायी होने वाले कर्मचारियों के प्रति छानबीन की गई थी जैसा कि अब होने वाले स्थायी पदों के कर्मचारियों के प्रति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों, जब कि स्थायी होने के लिये ज्येष्ठता ही वैधानिक है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां। यह ठीक है कि स्थायी होने के लिये ज्येष्ठता आधार मानी जाती है पर साथ-साथ कर्मचारियों का कार्य तथा चरित्र भी सन्तोषजनक होना चाहिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने बतलाया कि प्रान्तीय रक्षक दल के ३३२ कर्मचारी स्थायी हो गये हैं, तो कौन-कौन से पद स्थायी हुए हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—स्थायी होने वाले पद हैं। प्रशासकीय समादेष्टा १, सहायक प्रशासकीय समादेष्टा २, मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारी २०, डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर ३५, जोन वर्कर्स ३७२, व्यायामशाला इंस्ट्रक्टर्स ५, कम्पनी हवलदार मेजर, मेजर, कांस्टेबुल गार्ड्स, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स तथा बैंडमैन, इत्यादि १५, तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १४।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—आपके हल्का आर्गनाइजर जेष्ठ हैं, किन्तु चरित्र पुस्तिका ठीक न होने के कारण क्या सरकार को पता है कि उसको स्थायी नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह हो सकता है । अगर उनकी चरित्र पुस्तिका ठीक नहीं थी तो स्थायी नहीं हुए होंगे।

श्री रामायणराय—यह विभाग पुलिस विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में इस विभाग में काम करने वाले लोगों के स्थायित्व के सम्बन्ध में, वेतन के सम्बन्ध में, पदोन्नति के सम्बन्ध में पुलिस विभाग के ही नियमों को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसलिये कि दोनों के काम अलग-अलग हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तक कार्य का सम्बन्ध है, दोनों का कार्य रक्षा से सम्बन्ध रखता है और इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि रक्षक दल के लोग भी पुलिस की सी सुविधायें, वेतन, आदि प्राप्त कर सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, पुलिस के जिम्मे इन्वेस्टीगेशन का भी काम होता है लेकिन रक्षक दल के जिम्मे नहीं होता है। इसलिये दोनों के कार्यों में भिन्नता है।

श्री उदल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ३३२ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया और बाकी कितने कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया और सरकार उनको कब तक स्थायी कर देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, ४३१ कर्मचारी अभी स्थायी हैं।

*१८—**श्री शांतिचन्द्र शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१३वें सोमवार के लिये अस्थगित किया गया।]

*१९—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—[१३वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२०—२१—**श्री रघुवीर तथा श्री विजयपालसिंह**—[हटा दिये गये।]

पाठा क्षेत्र पेय जल योजना

*२२—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिलान्तर्गत तहसील करवी के पाठा क्षेत्र के लिये १९५८-५९ में कोई पेय-जल योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके लिये कितना धन स्वीकृत किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पाठा क्षेत्र के ग्रामों के लिये जो योजना बनी थी, उसमें १९५८-५९ में ९,५४,००० रु० स्वीकृत हुए। बाद में इस योजना में कुछ ग्राम और भी सम्मिलित किये गये और अब योजना की लागत १६,३२,००० रुपये हो गई है ।

*२३—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने कुयें नवीन खोदे गये और कितने पुराने कुयें तथा तालाब गहरे किये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—९ नए कुएं बनाए गए, १६ पुराने कुएं और ११ तालाब गहरे किये गये।

*२४—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कार्य शेष है उसमें कितना निर्माण-कार्य कहां-कहां होगा तथा कितना धन व्यय होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय २१ नए कुंओं का निर्माण होना तथा ३१ पुराने कुएं गहरे होना बाकी है। इसका विवरण परिशिष्ट में संलग्न है। अभी ६,०४,००० रुपये व्यय होना बाकी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१७ पर)

श्री मतोलासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने तालाबों की संख्या, खर्चा, नाम और ग्राम इत्यादि नहीं बताया, इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, तहसील करवी में नये कुओं का निर्माण इस प्रकार है। लंका पुरवा, बभनी पुरवा, गोपीपुर, तालासी, लखनपुर, और अमचुरनपुरवा। तहसील मऊ में दो कुओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से बिलहरी, अहिरन पुरवा, सपहा, बरवी, गोंडा, और नया पुरवा में भी निर्माण कार्य चल रहा है।

श्री मतोलासिंह—श्रीमन्, यह तो कुओं की लिस्ट है तालाबों की नहीं है। क्या वे तालाबों की लिस्ट देने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, तालाबों के नाम बाद में दिये हुए हैं। तालाब जो पूरे हो चुके हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—छितूपुर, कत्मावन्डी, चन्नार, वत्था, और वारग्रह।

मकान बनवाने में नक्शे की दिक्कत

*२५—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर और अन्य नगरों में जो लोग अपना मकान बनवाना या मरम्मत कराना चाहते हैं उनको नक्शा पास कराने के लिये टाउन प्लानिंग आफिस, लखनऊ बार-बार आना पड़ता है? क्या सरकार जनता की सुविधा के लिये गोरखपुर शहर और अन्य नगरों में टाउन प्लानिंग का एक-एक सब-आफिस खोलने की व्यवस्था करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पहला भाग :—किसी भी व्यक्ति के लिये जो अपना मकान बनवाना या मरम्मत करवाना चाहता है टाउन प्लानिंग विभाग से मकान के नक्शे स्वीकृत कराना आवश्यक नहीं है और न उसको उक्त कार्यालय में जाने की आवश्यकता है।

दूसरा भाग :—

सरकार का गोरखपुर शहर तथा अन्य नगरों में एक-एक सब-आफिस खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर तथा अन्य जिलों में जहां लिक्वीडेट एरिया बाई लाज लागू हैं वहां लोगों को नये मकान बनाने के लिये ग्राम तथा नगर नियोजन कार्यालय लखनऊ से नक्शा पास कराना होता है जिसके लिये प्रार्थियों को लखनऊ दौड़कर आना पड़ता है और उनको बड़ी कठिनाई होती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि इसके लिये लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, टाउन प्लानिंग का दफ्तर इस सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण नहीं रखता। उसको या तो म्युनिसिपल बोर्ड स्वीकृत करता है या और जो वहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होती है उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। वह दोनों ही गोरखपुर में हैं। यहां आने की जरूरत नहीं है।

श्री कल्पनार्थीसिंह—क्या उसकी सूचना माननीय मन्त्री जी को है कि गोरखपुर जिले की लगभग ५०० दरख्वास्तें अभी भी लखनऊ में पड़ी हुई हैं जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संभवतः वह इसलिये पड़ी हुई हैं कि उनके यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी गोरखपुर नगरपालिका को कोई स्पेसिफिक आर्डर इस किस्म के भेजने की कृपा करेंगे कि वहां से कोई भी प्रार्थना-पत्र लखनऊ न भेजा जाया करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये तो एक ऐक्ट है जिसके अनुसार यह सब कार्य होता है। उसके लिये एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सब जगह के लिये बन जाती है। उन्हीं के पास प्रार्थना-पत्र जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बात उनको जरूर मालूम होनी चाहिये, और अगर नहीं है, तो मैं उस ऐक्ट का हवाला दे दूंगा और लिख दूंगा।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—गोरखपुर शहर में लोगों को अपना नक्शा पास कराने के लिये नगरपालिका और जो कन्ट्रोलिंग अथारिटी है दोनों को फीस देनी पड़ती है, तो क्या इसको देखते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वह फीस एक जगह ही देनी पड़ा करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नक्शा भी न देना पड़े, क्या मंशा है आपकी ?

श्री अध्यक्ष—फीस एक ही जगह देनी पड़े, यह वह चाहते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नियमों में अगर दोनों जगह है तो देनी पड़ेगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को आधार मान कर कि मरम्मत के लिये भी अपना नक्शा पास कराने के लिये लोगों को उसे लखनऊ भेजना पड़ता है और वहां की प्रस्क्राइब्ड अथारिटी कोई कार्य करने को तैयार नहीं है, कोई विशेष हुक्म उनको भेजने की कृपा करेंगे जिससे कि वे प्रार्थना-पत्रों को वहीं इन्टरटेन कर लिया करें ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया है कि हम आदेश भेज देंगे।

*२६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—[१५वें गुरुवार के लिये प्रश्न १८० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*२७-२८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—[१४वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४८-१४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२९-३१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—[१३वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३२—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—[१३वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नजीबाबाद नगरपालिका

*३३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नजीबाबाद नगरपालिका किस सन् से है और कितने दिनों से सुपरसीडेड है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह नगरपालिका १८६६ से है तथा ३० जून, १९५७ से सुपरसीडेड है।

श्री श्रीराम—यह नगरपालिका लगभग ५ साल से सुपरसीडेड है। नगर के लोगों ने शहर से अनैतिक पेशा करने वालों को हटाने के लिये कई प्रार्थना-पत्र दिये। तो जब इन्तजाम सरकार के हाथ में है तो उसने उनको क्यों नहीं हटाया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरे पास यह सूचना आती तो मैं देखता। अब माननीय सदस्य लिख कर दे दें, मैं जांच करा लूंगा और आवश्यक आदेश दे दूंगा।

जालौन में श्री दुर्गाचरण की दुकान

*३४—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन निवासी श्री दुर्गाचरण मुख्तार की दुकान जो कि किराये पर दूसरे के पास है खाली कराने के लिये हाई कोर्ट से आज्ञा होने के बाद भी जिला पूर्ति अधिकारी ने किसी दूसरे के नाम एलाट कर दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्नगत दूकान श्री बाबू लाल गुप्ता की किरायेदारी में थी जिनके विरुद्ध दुकान मालिक ने बेदखली का मुकदमा किराया न अदा करने के कारण दायर किया। किरायेदार की अपील हाई कोर्ट से खारिज हुई।

किरायेदार द्वारा दुकान खाली होने के पश्चात् उक्त दूकान श्री कालीचरण को एलाट हुई।

*३५—श्री सुखलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना के बारे में जिला पूर्ति अधिकारी पर घूस आदि के आरोप का कोई प्रार्थना-पत्र पूर्ति मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

भिश्तियों का वेतन

*३६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि "यू० पी० पे कमेटी रिपोर्ट, १९४७" में भिश्तियों के लिये जिस वेतन-क्रम की सिफारिश की गई है, वह नगर महापालिका के भिश्तियों को भी दिया जाय ? यदि हां, तो यह वेतन-क्रम किन-किन महापालिकाओं में दिया जा रहा है और किन-किन में नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

वाराणसी जिले में कोयले का वितरण

*३७—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५७ से लेकर जुलाई, सन् १९६२ तक जिलाधीश वाराणसी ने अपने कोटे का कितना वैगन कोयला असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव को बांटने हेतु दिया और वह कोयला अलग-अलग वर्षों में किन-किन भट्ठे वालों को ए० आर० ओ० ने दिया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस अवधि में केवल १९५७-५८ में जिलाधीश के कोटा में से १७ वैगन कोयला असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दिया गया और यह कोयला निम्नलिखित स्थानों में स्थित सहकारी ५ भट्ठों में ही प्रयोग हुआ :

		संख्या
(१)	चन्दोली	१
(२)	केसरीपुर	८
(३)	बासी	३
(४)	दुल्हाईपुर	४
(५)	भदोही	१
	योग ..	१७

मथुरा कारागार के लिये खाद्य पदार्थों का क्रय

*३८—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—क्या कारागार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार मथुरा के लिये १ अप्रैल, १९६२ से अब तक किन-किन तिथियों में कितने-कितने रुपये के खाद्य पदार्थ क्रय किये गये? यह क्रय करने का कार्य किस अधिकारी अथवा समिति की देख-रेख में किया गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१८ पर)

श्री कन्हैयालाल—९ बार खरीद हुई और केवल २ बार क्रय-समिति बुलाई गई। शेष के लिये क्रय-समिति क्यों नहीं बुलाई गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—खरीदारी का कार्य सरकारी गल्ला गोदामों से किया जाता है। उस गल्ले को लेने के लिये जेल के कोई कर्मचारी भी जाते हैं। अन्य आवश्यकता पड़ने पर जेल की क्रय-समिति खरीदती है और १६ मई, सन् ६२ को समिति की बैठक हुई।

श्री कन्हैयालाल—कितनी खरीद सरकारी गोदामों से और कितनी प्राइवेट से हुई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सरकारी गोदामों से ३-५-६२ को रु० १,६०७.६० न० पै० का गल्ला खरीदा गया। असिस्टेंट जेलर श्री के० के० गुप्ता की देखरेख में लिया गया। २९-५-६२ को २,२२४.९० रुपये का, ४-६-६२ को ४,११०.४१ रु० का, १३-६-६२ को ५१५.७४ रु० का, ३-७-६२ को २,५०३.३४ रु० का, २४-७-६२ को १,६०७.६० रु० का, १०-८-६२ को २,२२४.९० रु० का, २७-८-६२ को २,००९.५० रु० का और २९-९-६२ को १,९७७.७९ रुपये का खरीदा गया।

*३९—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*४०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

जंगल की लकड़ी ढोने वाले ठेले

*४१—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के पश्चिमी सर्किल में जंगल की सड़कों पर माल ढोने वाले ठेलों पर कोई रोड टैक्स लिये जाने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—जी नहीं।

*४२-४३—श्री रामप्यारे—[हटा दिये गये।]

*४४-४५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[१४वें गुरुवार में प्रश्न १५१-१५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६—श्री रामप्यारे—[१३वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, ईस्टर्न सर्किल आफिस, नैनीताल

*४७—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ईस्टर्न सर्किल का आफिस जो नैनीताल में है, को लखनऊ लाने को सोच रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं।

नोट:—तारांकित प्रश्न ३८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—[१३ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में महानगर हाउसिंग स्कीम

२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में महानगर हाउसिंग स्कीम एक्सटेनशन में कितनी भूमि किस दर पर ली जा रही है ? किस निश्चित तिथि से उसमें प्लानिंग का कार्य तथा बिक्री का कार्य प्रारम्भ होगा, इस बार उसकी बिक्री के क्या दर निश्चित किये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महानगर प्रसार योजना में कुल १०० एकड़ के लगभग भूमि अर्जित की जा रही है । भूमि अर्जन की दर भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा तय की जाती है जो लगान की कुछ गुनी होती है । इस योजना के अन्तर्गत भागों एवं भवन के स्थलों को रेखांकित किया जा चुका है । बिक्री की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है । भवन स्थलों को प्रदान करने के लिये नियम उप नियम बनाने तथा उसी हेतु प्रार्थना पत्र तैयार हो जाने के पश्चात् ही तिथि निश्चित की जा सकेगी । अभी तक बिक्री की कोई दर निश्चित नहीं हुई है ।

३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार को विदित है कि हाउसिंग स्कीम में भूमि (P'ots) बिक्री के समय बहुत से साधन सम्पन्न व्यक्ति अधिक से अधिक प्लाट क्रय करके समय आने पर अधिक धन प्राप्त करके विक्रय करते हैं ? जिससे योजना का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है । तथा जिन्हें प्लाट की सचमुच आवश्यकता होती है वह या तो पाते ही नहीं यदि पाते हैं तो अधिक मूल्य पर ? अतएव इस संबंध में ऐसे नियम बनाने की कृपा करेगी कि जो भूमि (Plo) ले उसे दस वर्ष किसी प्रकार विक्रय का अधिकार न रहे यदि किसी विशेष परिस्थिति में उसके पूर्व बेचना पड़े तो सरकार उचित मूल्य पर ले लेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महानगर विस्तार योजना के बारे में इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता । महानगर योजना में इस प्रकार का कोई नियम नहीं था कि एक व्यक्ति एक ही भवन क्रय करे, क्योंकि वहां के भवन स्थलों को कोई पहले लेने को तैयार न था ।

महानगर प्रसार योजना में इस प्रकार के नियम बनाने की व्यवस्था की जा रही है कि एक व्यक्ति एक ही भवन स्थल क्रय करे तथा बिना महापालिका की पूर्व अनुमति के उसका विक्रय न करे ।

४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निराला नगर में कुल कितनी भूमि है ? उसमें से कुल कितनी किस दर पर बिक चुकी है तथा कितनी किस दर पर बिकना शेष है ? क्या वहां क्रय करने वाले पर कुछ विशेष प्रतिबंध है जो महानगर योजना में नहीं हैं ? यदि हां तो वह शर्तें क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टी० पी० नार्थ चांदगंज हाउसिंग एकमोडेशन योजना (निराला नगर) का क्षेत्रफल लगभग ४९,८२,१७५ वर्ग फिट है योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये भूमि का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

चांदगंज योजना में भूमि खंडों का एलाटमेंट चांदगंज स्कीम लैंड ट्रांसफर रूल्स, १९५८ जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अन्तर्गत हुआ । भूमिखंडों के एलाटमेंट के नियम उपरोक्त रूल की धारा ८ में वर्णित हैं जो योजना में लागू हैं तथा महानगर योजना में भूमि खंडों का एलाटमेंट लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड महानगर स्कीम रूल्स, १९५३ की धारा १४ के अन्तर्गत हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१९ पर)

दहगवा ब्लाक में सीमेंट के परमिट

५—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के दहगवां ब्लाक में १९६०-६१, १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में—

(क) कुल कितने आदमियों ने मकान बनवाने के लिये सीमेंट प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिये ?

(ख) कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये सीमेंट के परमिट दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना निम्नलिखित है—

(क) १८ आदमियों ने प्रार्थना पत्र दिये ।

(ख) १६ व्यक्तियों को सीमेंट के परमिट दिये गये ।

आगरा महापालिका कर्मचारी संघ

६—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "आगरा महापालिका कर्मचारी संघ" को सरकारी मान्यता देने का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो "संघ" को मान्यता न देने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । एक पत्र दिसम्बर सन् १९६० में प्राप्त हुआ था । मान्यता देने से संबंधित जो सामान्य अनुदेश सरकार ने सन् १९४८ में जारी किये थे उनमें कुछ संशोधन करने का प्रश्न चल रहा था इस कारण अभी तक किसी भी महापालिका कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं दी गई है । इस साल फरवरी में पुनरीक्षित अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

नगरपालिका बुलन्दशहर भंग करने की मांग

७—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, बुलन्दशहर ने नगरपालिका, बुलन्दशहर को भंग करने की सिफारिश मार्च, १९६२ में की थी ? यदि हां, तो उसे भंग करने में क्या कठिनाई है और सिफारिश का आधार क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । जिलाधीश से कुछ और सूचना इस संबंध में मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायगा ।

सिफारिश का आधार बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग व अतिक्रमण है ।

बांदा जिले के लिए सीमेंट तथा कोयला

८—श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला में सीमेंट तथा कोयले का निर्धारित कोटा क्या है ? गत वर्ष में कितने वैगन सीमेंट व कोयला जिले को मिला है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना निम्नलिखित है—

सीमेंट—बांदा जिले को करीब ३९ वैगन सीमेंट का तिमाही कोटा दिया जाता है । गत वर्ष १३४ वगैन सीमेंट बांदा जिल में प्राप्त हुआ ।

कोयला:—कोयले की उपलब्धि के अनुसार प्रति वर्ष जिलों को कोयला दिया जाता है । अतः यह कोई निर्धारित परिमाण में नहीं दिया जाता । चालू वर्ष में निम्नलिखित मात्रा में बांदा जिले को कोयले का कोटा दिया गया :

श्रेणी	कोयले की वैगन जो एलाट की गई
१—कोयला चूर (निजी भट्ठे वालों के लिये)	२७
२—कोयला चूर (नियोजन कार्यों के लिये सहकारी भट्ठों द्वारा प्रयोग किया जाता है) ..	८०
३—साफ्ट कोक	२२
४—हार्ड कोक	२
	१३१ वैगन

गत वर्ष निम्नलिखित परिमाण में बांदा जिले में कोयला प्राप्त हुआ :

साफ्ट, हार्ड तथा स्टीम कोल (घरेलू उपयोग के लिये) ..	१५ वैगन
कोयला चूर (ईंट भट्टों के लिये)	१० वैगन

९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ तथा दूसरे निजी भट्ठे वालों को किस अनुपात में कोयले का कोटा दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोई अनुपात निर्धारित नहीं है ।

सीतापुर जेल से कैदियों की दरख्वास्तें

१०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के कारागार से कितने कैदियों ने अपनी-अपनी जमानत की दरख्वास्तें सरकार के पास १९६१-६२ में भेजीं और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या हुआ ?

कारागार राज्यमन्त्री (श्री गोविन्दसहाय)—चालीस ।

१८ बन्दियों को मुक्त करने के आदेश दिये गये ।

४ के मामले ३ मास के लिये स्थगित किये गये ।

१ का मामला अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया ।

१ का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया गया, ११ प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन हैं । ५ बन्दी स्वयं ही सजा काट कर मुक्त हो गये ।

सम्पूर्णानन्द कैम्प, सितारगंज

११—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्णानन्द कैम्प सितारगंज, जिला बरेली के अधीन जंगल की लकड़ी (डेढ़ हजार एकड़ की) इस वर्ष सन् १९६२ में बेची गयी है ? यदि हां, तो कितने रुपये में और क्या उसको विधिवत् नीलाम किया गया ?

श्री गोविन्दसहाय—सूचना एकत्र की जा रही है ।

१२--श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कैम्प के पास कोई अपना फार्म है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल स्थापित होने का समय और लाभहानि का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय---सूचना एकत्र की जा रही है ।

१३--श्री कृष्णपाल सिंह (जिला बरेली)---[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित किये जाने के कारण हटा दिया गया ।]

भिनगा जंगल से माफी की लकड़ी

१४--श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के भिनगा जंगल में माफीदारों की कोई लिस्ट सरकार के पास है ? यदि हां, तो उनमें कितने माफीदारों को इस वर्ष माफी की लकड़ी नहीं मिली और क्यों ?

श्री अलगूराय शास्त्री---भिन्ना जंगल के माफीदारों के नाम की कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं है, परन्तु माफी के ग्रामों की एक लिस्ट है जिसमें ८६ ग्राम हैं और जिनके माफीदारों की संख्या लगभग १०,००० है । चूंकि नियमों के अनुसार ऐसी लकड़ी संबंधित ग्राम प्रधानों को अपने ग्राम के माफीदारों में वितरण हेतु दी जाती है, अतः यह बताना कि कितने माफीदारों को लकड़ी मिली और कितनों को नहीं मिली, संभव नहीं है ।

१५--श्री मुन्नूसिंह---क्या हर माफीदार को माफी की लकड़ी देने के बाद उनसे हस्ताक्षर करा लिया जाता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जी नहीं । नियमानुसार लकड़ी ग्राम प्रधानों को देकर उन्हीं के हस्ताक्षर कराये जाते हैं ।

१६--श्री मुन्नू सिंह---यदि बहुत संख्या ऐसे लोगों की हो जिनको माफी की लकड़ी नहीं मिली तो सरकार उनको लकड़ी देने की क्या सुविधाएं प्रदान करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जितनी मात्रा में माफी की लकड़ी की आवश्यकता है इन ग्रामों के माफीदारों को है, उतनी लकड़ी हर वर्ष भिनगा जंगल से वन वर्धन की दृष्टि से उपलब्ध नहीं हो पाती है ।

भिनगा रेंज में वनरोपण कार्य जोरों से चल रहा है और आशा की जाती है कि १० वर्ष बाद वन उपज लगभग दूनी हो जाने पर हर माफीदार को पूरी लकड़ी मिल सकेगी ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा ९ अगस्त, १९६२ को कुछ संशोधन किये गये थे तथा जिन संशोधनों को विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९६२ की बैठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १९ सितम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---माननीय चन्द्रबली सिंह का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जो कुछ चोरी, डकैती तथा और जुर्मों से संबंधित है । मैंने उसे अस्वीकार किया है । अभी सदन में ला ऐन्ड आर्डर के बारे में चर्चा हो चुकी है । फिर, जो व्यक्तिगत उदाहरण उन्होंने दिये हैं, प्रश्नों के द्वारा उनके संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---नियम ५२ में इस पर प्रकाश डलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं।

कई-एक सूचनाएं नियम ५२ के अन्तर्गत आयी हैं। माननीय भगवानदीन और माननीय पशुपतिनाथ सरन सिंह की हैं। कनसालीडेशन के संबंध में कुछ सूचनायें आई हैं। मैंने उन्हें स्वीकार तो नहीं किया लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के पास उचित व्यवस्था करने के लिये भेज दिया है। माननीय राजेन्द्रसिंह और माननीय लोकपाल सिंह के बाढ़ के बारे में हैं। ये माननीय राजस्व मंत्री को भेज दी गयीं हैं कि वह ३ अक्तूबर के भाषण में शामिल कर लें। एक माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानपुर में छात्राओं ने कई दिन से हड़ताल कर रखी हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों से यह हुआ है और किस प्रकार से यह सरकार से संबंधित है। ऐसी दशा में, अस्पष्ट होने के कारण, मैंने इसे अस्वीकार किया। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय का है कि सिसवा बाजार टाउन एरिया में रामलीला की भूमि पर कोई व्यक्ति मकान बना रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि राम लीला किसके अधिकार से होती थी, किसकी भूमि है और क्यों करते थे। जिस सूरत में यह रखा गया, उसके अस्पष्ट होने के कारण, मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

अब एक और माननीय बलवान सिंह जी और श्री रियासत हुसैन की सूचना है। इस में कुछ स्टेशनों का उल्लेख है कि उन स्टेशनों पर लूट-मार हुई है। यह भी सीमित महत्व का है। मैं समझता हूं प्रश्नों के द्वारा इसको पूछा जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

एक प्रश्न माननीय काशीनाथ जी का भी है कि कोई युवक आर्यनगर में मार दिया गया है। कोई उसकी मदद के लिये नहीं आया, इस बात पर शहर में आतंक है। इस पर भी मैंने लिख दिया है कि यह प्रश्नों द्वारा हो सकता है। सीमित लोक महत्व का है, इसलिये मैंने उसको अस्वीकर कर दिया। (श्री नरसिंह नारायण पांडेय के खड़े होने पर) अब यह व्यवस्था हो चुकी है कि साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक मैं माननीय सदस्यों से मिलने के लिये अपने कार्यालय में बैठता हूं। कई बार यह व्यवस्था हो चुकी है कि अगर अध्यक्ष को यह विश्वास हो जायगा कि कोई गलती हुई है तो वे अपने निर्णय को बदल भी सकते हैं। मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि मैं अपने निर्णय को बदलने के लिये तैयार हूं, लेकिन आप कृपया सदन का समय न लें।

†उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने उस दिन उस बिल पर बोलते हुये यह कहा था कि ८ एकड़ तक एक्जेम्पटेड हैं। लेकिन अभी जो शार्ट नोटिस क्वेश्चन हुये उनके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अभी सब विचाराधीन हैं। यदि विचाराधीन हैं तो फिर उस दिन उन्होंने स्पेसी-फिकली ८ एकड़ कैसे कह दिया और बिना पूर्ण विचार हुये किस प्रकार से वे इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं।

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*२७ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मन्त्री स्वयं इन बातों पर प्रकाश डालेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, बाहर लोगों को रोका जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसी को रोका नहीं जाना चाहिये। माननीय सदस्यों के यहाँ आने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये मैं उचित प्रबन्ध कर रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—इसी सम्बन्ध में मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। माननीय राजस्व मन्त्री जी बोलेंगे।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह ठीक है कि मैंने २७ तारीख की बैठक में यह स्वीकार किया था कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि ८ एकड़ तक भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा लेकिन वह निश्चय एक संशोधन के रूप में प्रस्तुत विधेयक में लाना पड़ेगा। अब उस संशोधन की क्या शक्ल होगी, यह विचाराधीन है। जब तक उस संशोधन की ठीक शक्ल न बन जाय और यह हाउस उसको स्वीकार न कर ले तब तक निश्चय पूर्वक कैसे कहा जा सकता है कि यही होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण और करा दें।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात बता दूं। प्रवक्ता से स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है। वह स्पष्टीकरण मुझ से पूछ कर ही माँगा जा सकता है, लेकिन जो स्पष्टीकरण माँगा जाय, प्रवक्ता महोदय के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उसका उत्तर दें ही।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि संशोधन आना है जिस पर विचार होना है। फिर उन्होंने उस दिन वह बयान कैसे दे दिया? और क्या ऐसी स्टेज पर सदन के अन्दर इस प्रकार का बयान देना चाहिये या नहीं।

दूसरी बात यह है कि ८ एकड़ तक टैक्स एक्जेम्प्शन से लिमिट रखने की बात बार-बार रिपीट की गयी है परन्तु बिल के अन्दर यह कहीं मेंशन नहीं है कि एकरेज पर एक्जेम्प्शन होगा या मल्टिपिल पर, इसको साफ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जब एक विषय विचाराधीन है इस आदरणीय सदन के सामने, तो अन्तिम रूप बिल क्या लेगा, बाद में ही तय होगा। हो सकता है, उस सम्बन्ध में सरकार ने अपना माइंड ओपेन रखा हो यह देखने के लिये कि क्या सजेशन्स आते हैं। जब सरकार ने अपना माइंड ओपेन रखा है तो आदरणीय सदन को यह अधिकार है कि अपने तर्कों द्वारा सरकार से वह अपनी बात मानने के लिये कहे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि.....

(श्री राम किशोर त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—श्री रामकिशोर जी, आप बैठ जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने यह निश्चय किया है कि ८ एकड़ तक छूट दे, क्या शक्ल हो, क्या सूरत हो इस विधेयक की, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि सरकार का ओपेन माइंड है। और सब माननीय सदस्यों के विचार सुन कर, क्या शक्ल हो, उसे हम फाइनल करेंगे। सरकार ने अभी तक यही निश्चय किया है कि ८ एकड़ तक छूट देगी, लेकिन वह किस आधार पर छूट होगी, यही बात विचाराधीन है।

एक और कमिटमेंट की बात कही गयी कि जमींदारी एबालिशन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २५१ के अनुसार हमने कमिटमेंट किया है कि लगान में ४० वर्ष तक कोई

इजाफा नहीं होगा, लिहाजा उस कमिटमेंट के होते हुये मौजूदा विधेयक नहीं लाया जा सकता है। अव्वल तो हम मालगुजारी बढ़ा नहीं रहे हैं, हम टैक्स लगा रहे हैं लिहाजा उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता और न इसका कांट्रेडिक्शन होता है....

एक सदस्य—वाह, वाह।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह कोई महफिल नहीं है, यह आदरणीय सदन है, यहां वाह, वाह की कोई जरूरत नहीं है। उस समय जो कमिटमेंट किया गया उसकी हमें याद दिलायी जाती है, लेकिन जब जमींदारी एबालिशन और भूमि व्यवस्था विधेयक इस सदन के सामने था तो बहुत से मित्र इस बात के साक्षी होंगे और जो पढ़े हैं उस किताब को वे भी बतलायेंगे कि एक्स इंटरमीडियरी को यह आश्वासन दिया गया था कि जो सीर और खुदकाश्त उनके पास है वह बिल्कुल इनटैक्ट रहेगी। फिर विकास के नाम पर इस सदन के सामने सीलिंग विधेयक लाया गया और जिस समय सीलिंग विधेयक इस सदन के सामने आया उस वक्त बहुत से मित्रों ने कहा कि सवा ३ एकड़ सीलिंग हो, किसी ने कहा कि साढ़े १२ एकड़ हो, किसी ने कहा कि सवा ६ एकड़ हो, किसी ने कहा कि २० एकड़ हो और किसी ने कहा कि ३० एकड़ हो। इस तरह सीलिंग की तजवीज की गई थी। उस वक्त उन महानुभावों ने जिन्होंने सीलिंग की तजवीज की थी, इस बात पर विचार नहीं किया कि हमारा कमिटमेंट क्या है? लेकिन उन सब बातों के होते हुये भी लेजिस्लेचर ने सीलिंग बिल को पास किया और वह अधिनियम बना और फिर लागू हुआ। तो जहां तक कमिटमेंट की बात है उस वक्त भी इसे उठाया जा सकता था लेकिन नहीं, लेजिस्लेचर ने मुनाबिस समझा और उसे पास किया। और लेजिस्लेचर ने धारा २५१ को भी मुनासिब समझ कर ही पास किया था और फिर सीलिंग ऐक्ट पास किया और फिर बहुत से कानून पास किये, लार्जर लैन्ड होल्डिंग बिल पास किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के जमाने में चेंज का होना लाजिमी है और जब जैसी जरूरत हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, उसके मुताबिक कानून बनाना आवश्यक हो जाता है। इस नुक्ते ख्याल से यह सदन वक्तन फवक्तन कानून बनाता आया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सदन सावरेन अथारिटी है। इसको अधिकार है कि कोई कानून बनावे, कोई कानून रिपील करे और फिर उसकी जगह पर नया कानून बनावे। इस सदन में यह कोई स्टेटिक मामला नहीं है, डेवलपिंग एकोनामी है, जैसा मैंने कहा है।

जिस वक्त धारा २५१ बनी थी उस वक्त विकास की स्कीमें, जो आज जिस शक्ल में हैं, वह उस वक्त सदन में नहीं थीं, न गवर्नमेंट के सामने थीं। लिहाजा उस वक्त २५१ धारा बनी, लेकिन अब इस बढ़ती हुई एकानामी में, बढ़ते हुये प्रोग्रेसिव स्टेट आफ अफेयर्स में हम यह देखते हैं कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो हमारी तमाम योजनाएं हैं उनका उद्देश्य केवल यह है कि हम अपने देश से गरीबी दूर करें, अपने देश में शिक्षा का प्रसार हो, लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो और जो परेशानियों में आज हैं, उनकी परेशानियां दूर हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तमाम योजनाएं बनी हुई हैं और उनको जांच करने के लिये हमें पैसे की जरूरत है। मैं तो यह कहता हूं कि यह थर्ड फाइव ईयर प्लान एक महायज्ञ है और इस यज्ञ में हर एक की आहुति पड़नी चाहिये और हर एक को इसमें शरीक होना चाहिये।

अनेक सदस्य—कोई शरीक नहीं होना चाहता।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप अपनी आहुति न दें, हम आपको मजबूर नहीं करते। मैं इसे महायज्ञ समझता हूं।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्पष्टीकरण साढ़े १० बजे ११ तक होता है। तो इस ख्याल से हम यह विधेयक लाये हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में बहुत छोटे-छोटे काश्तकार हैं जो

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

गरीब हैं, परेशान हैं और मजबूर हैं, लिहाजा हम उनकी मजबूर नहीं करना चाहते कि वे इस महायज्ञ में शरीक हों। मुझे फिर भी आशा है कि अगर उनके ऊपर कर न भी लगाया जाय तो भी वे हमारी सहायता करेंगे और इन तमाम योजनाओं को सफल बनाने में उनका पूरा-पूरा सहयोग उपलब्ध होगा, यह हमारी आशा है। खाली रुपया दे देने से ही शिरकत नहीं होती, उसके पचासों तरीके हैं जिन तरीकों से शिरकत की जा सकती है और कोआपरेशन करके पूरी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि सरकार की यह कभी मंशा नहीं है कि जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी में हम इजाफा कर रहे हैं। हम उनकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम यह विधेयक लाये हैं।

अब ८ एकड़ के मुस्तस्ना हो जाने के बाद तो परेशान करने का प्रश्न और भी नहीं उठता है। अभी तक तो सवा ६ एकड़ ही अनएकोनामिक होल्डिंग के लिये लोग कहते थे और अब ७ एकड़ करके तो हमने एक कदम और बढ़ा दिया है और उसके बाद जितनी अनएकोनामिक होल्डिंग्ज वाले गरीब लोग थे वे मुस्तस्ना हो जाते हैं और अब चौराहों पर और जगह ब जगह जो दवायें बेची जाती थीं वह बातें खत्म हो जावेंगी। अगर इसके बाद भी मुखालिफत इस विधेयक की की जाती है तो मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स रह गये हैं बाकी वही विरोध करते हैं, गरीब विरोध नहीं करता है क्योंकि अब तो गरीब भी मुस्तस्ना हो जाने वाले हैं। तो यह विधेयक जो विचारार्थ प्रस्तुत है मुझे विश्वास है कि सदन उस पर सहानुभूति पूर्वक और निष्पक्ष होकर विचार करने की चेष्टा करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं।

(नेता विरोधी दल को भाषण के लिये पुकारा गया।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---जिन सदस्यों को आपने निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष---यह सवाल इस वक्त नहीं है, आप बैठिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---आप उनके बारे में मुझे कुछ कहने तो दीजिये.....

श्री अध्यक्ष---माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, यह अब आखिरी बार है कि मैं आपसे कह रहा हूं, आप कार्यवाही में बहुत व्यवधान डालते हैं और विशेष रूप से अब इस वक्त जब आपके नेता बोलने के लिये खड़े हैं तो आपको इस तरह से बीच में खड़े होकर बोलने लगना शोभा नहीं देता।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि गेट पर जनसंघ के कार्यकर्त्ता दूसरे दल के लोगों को नहीं आने देते और केवल जनसंघ के लोगों को ही आने देते हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था कृपा कर के दें।

श्री अध्यक्ष---मैं इस की व्यवस्था कर रहा हूं और प्रबन्ध हो रहा है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---श्रीमन्, कोई तर्क तो रोकने का होना चाहिये, वह तो मार-पीट के लिये तैयार हैं। दुबे जी चाहें जो कुछ करें लेकिन हमारे पीछे वह क्यों पड़े हैं, उनकी श्री चन्द्रभानु गुप्त से तो बस नहीं चलती हमारे पीछे पड़े हैं। मैंने उनके हाथ तक जोड़े कि भाई मैं तो विरोधी दल का हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन वह किसी को नहीं जाने देते, वह तो मार-पीट तक के लिये तैयार हैं।

एक सदस्य---श्रीमन् लड़ाई का आरोप बेकार है, वह आने का विरोध नहीं कर रहे हैं केवल विनम्र निवेदन कर रहे हैं।

श्री संतसिंह यूसुफ---(एक ओर इशारा करके) यह भी उस समय वहां मौजूद थे इन के सामने की बात है कि वह लोग रोकते हैं.....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं आदेश जारी कर रहा हूं और व्यवस्था हो रही है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार रोकने में हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है इसलिये मैं नोटिस देता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं इस आशा से था कि माननीय राजस्व मंत्री जी बड़े वाक्पटु हैं और पिछले ५ वर्षों में हमने देखा है कि वह बड़े सुन्दर ढंग से अपनी गलत बात को भी कह डालते हैं। मैं आशा करता था कि आज वह जिस कानून को स्वयं गलत समझते हैं, उसको वह एक अच्छे ढंग से रखने की कोशिश करेंगे, परन्तु जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुन पाया उसकी मेरे मन पर यही प्रक्रिया हुई कि उनका इससे लचर भाषण आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा। मैं कुछ अधिक कहने के पहले एक बात माननीय राजस्व मंत्री के बारे में कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रस्ताव तो रखिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्षमा करें। मैं अब रखे देता हूं। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ को जनमत संग्रह के लिये ६ मास तक परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया और आज जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर में इस सम्बन्ध में कहा कि अभी विचाराधीन है और कहा कि मल्टिपल पर लगेगा या एकरेज पर लगेगा, यह सब सरकार के अभी विचाराधीन है। इसके माने यह हैं कि वह स्वयं अभी अपने दिमाग में स्पष्ट नहीं हैं कि किस तरह का कानून वह लाना चाहते हैं और एक ऐसा अविचारिक और अव्यावहारिक बिल वह सदन में लाये हैं और स्वयं विचार कर रहे हैं कि क्या करें या न करें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि "Legislate in haste and repent in leisure."

यह उन का रिपेंट करने का स्टेज है और इस प्रकार की लचर दलील देकर वह बिल की खामियों को छिपा नहीं सकते। आपके कहने पर उन्होंने ओपिन माइण्ड की बड़ी दोहाई दे डाली और उन्होंने कह डाला कि हमारा ओपिन माइण्ड है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सदन ओपिन या ब्लैक माइण्ड का स्थान है कि आप एक ब्लैक पेपर लेकर आ गये कि जो चाहें इसमें भर लो। उनका माइण्ड इस पर ओपिन नहीं है और वह अभी भी अनडिसाइडेड हैं और इसका उस इंडिसीजन का स्पष्टीकारण है यह स्वतः अपने हृदय में जानते हैं जो यह करने जा रहे हैं वह गलत है। परन्तु मुख्य मंत्री की हठवादिता, हमारे मुख्य मंत्री हठी तो बहुत प्रसिद्ध हैं और क्रोधी भी हैं। मैं देखता हूं लोग बुढ़ापे में शांत होते हैं परन्तु मुख्य मंत्री और भी क्रोधित होते जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—पर्सनल रिमार्क्स नहीं होने चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं पर्सनल रिमार्क्स नहीं कर रहा हूं। मुख्य मंत्री के लिये कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं और आपकी रूलिंग है सरकार का क्रिटिसिज्म बहुत विटर हो सकता है।

तो यह केवल हठवादिता के कारण बिल लाया गया है चाहे इसका अच्छा असर हो या खराब हो इससे सरकार को कोई मतलब नहीं मैं उसका दूसरा प्रमाण देता हूं और दुख के साथ कहता हूं मैंने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि मुझे कुछ आंकड़े चाहिये। उसमें मैंने मांगा था प्रोडक्टिविटी पर एकरज, प्राइस लेविल आदि के आंकड़े, उनकी सर्विसेज के बिल मांगे थे, जो आंकड़े इनके पास हैं और अगर नहीं हैं तो उन आंकड़ों के अभाव पर जो बिल बनाया है वह निस्सार, निरर्थक और तर्कशून्य है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है माननीय मुख्य मंत्री ने लिखा कि आपने जो आंकड़े मांगे हैं उनको बनाने में बड़ी देर लगेगी। मैं नहीं जानता स्टेटिस्टिक्स विभाग किसके लिये है? माननीय मुख्य मंत्री को स्वयं आंकड़े नहीं बनाने थे। केवल उसके पीछे एक यही भाव है कि कहीं

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

अगर स्पष्ट सरकारी आंकड़े प्राप्त हो जायं तो जिस आधार पर यह बिल है उसका स्पष्ट थोथापन सामने आयेगा। यह केवल हठवादिता का सवाल है। यह ओपिन माइण्ड नहीं है, हठवादिता है ।

राजस्व मन्त्री ने अपने एश्योरेंस की बात कही और उन्होंने उसको धोना चाहा यह कह कर जब हम यू० पी० सीलिंग बिल लाये थे तब क्यों नहीं कहा गया। सीलिंग बिल लाने के पहले कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि किसी की जमीन की सीमा नहीं निर्धारित होगी। परन्तु लगान के बारे में स्पष्ट एश्योरेंस है और शायद राजस्व मंत्री जी उसको भूल गये, वित्त मंत्री जी बड़े भुलक्कड़ हैं, दिन में कुछ कहते हैं शाम को कुछ और रात को कुछ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं १९५४ में जो भाषण हुआ था जिसमें एश्योरेंस दिया गया था वह पढ़ना चाहता हूं :

"जो वायदा भूमिधरों से किया गया है उसको सरकार बखूबी पूरा करेगी....

श्री अध्यक्ष—१९५४ में।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्षमा करें। १९४९ में। "और हर तरह से पूरा करने को वह तैयार हैं। सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती।"

बधाई है इस एश्योरेंस की और जिस खूबी से आपने वायदा पूरा किया है। उसके ऊपर टैक्स ठोक दिया है। यह इनके पूर्ति करने का रास्ता है । दुहाई देते हैं डेवलपिंग इकोनोमी की, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जो इकोनोमी इनकी खड़ी हो गई है वह डेवलपिंग नहीं स्टेगनेंटिंग है और उसी का परिणाम है कि देश अत्यधिक गरीब होता जा रहा है। इन्होंने यहां तक कहा था :

"एक पहलू और है, हम काश्तकारों और भूमिधरों की मालगुजारी को बढ़ाना नहीं चाहते। हम ४० साल के अन्दर बन्दोबस्त करना चाहते हैं ताकि ४० साल तक वही मालगुजारी बनी रहे। यह भी कहना चाहता हूं बन्दोबस्त के माने यह नहीं है कि मालगुजारी बढ़ायी जाय। बहुत-सी जगह कम होती है। लिहाजा हम चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है, काश्तकारों और भूमिधरों की मालगुजारी में ४० वर्ष तक कोई इजाफा न हो सके।"

यह इनका केटेगोरीकल एश्योरेंस है और अब अपनी जबान को काट कर, लोगों से जिस आशय से, विश्वास से और अपेक्षा से १० गुना भूमिधर बनाने के लिये जमा कराया गया आज वह १० गुना सरकार अपनी जबान काट कर कायम कर रही है। यह कहते हैं हम लैंड टैक्स लगा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू नहीं लगा रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से एक बड़ी प्रसिद्ध अथारिटी पब्लिक फाइनेन्स पर है, उसमें से पढ़ता हूं :

"From Public Finance and our Property by J. C. Kumarappa—
The land revenue cannot then be considered as a rent, and adds : I should be inclined to regard the charges as more in the nature of a tax on agricultural income."

लैंड रेवेन्यू का जो शब्द दिया गया है, शब्दों के माया जाल में वह भी टैक्स है और उस पर ढाई परसेंट का टैक्स बढ़ाना स्पष्ट वायदा खिलाफी है और वायदा खिलाफी इस सरकार का रोजाना का काम है। इस सरकार को अपनी जबान बदलते देर नहीं लगती। कहीं २४ घंटे पहले कुछ कहा जाता है और सदन में जब उस पर प्रश्न उठाया जाता है तो कहा जाता है कि मैंने यह नहीं कहा। गिरगिट भी इनसे तेज रफ्तार से रंग बदलने में कमजोर है। ये उससे भी तेज रंग बदलते हैं।

एश्योरेंस भंग किये जा रहे हैं। जनतन्त्र की पद्धति है कि सदन में जो एश्योरेंस दिया जाता है उसको पूरा किया जाता है। पोलिटिकल एक्सपेंडेंसी के नाम पर एश्योरेंसेज की हत्या

नहीं की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तो एक्सपेडेंसी के नाम पर हत्या हो सकती है, लेकिन देश में अगर एक्सपेडेंसी का प्रयोग किया जा रहा है तो यह आपत्तिजनक है, लज्जाजनक है और यह सरकार एक्सपेडेंसी शब्द के पीछे सदन में दिये हुए एश्योरेंसेज की हत्या कर रही है। में सदन से जानना चाहूंगा और श्रीमन्, भी विचार करें कि सदन में दिये हुए एश्योरेंसेज की अगर हत्या की जायगी तो उनका मूल्य क्या रहेगा। फिर तो उसका मूल्य उस कागज के बराबर भी नहीं है जिस पर वह लिखा गया है।

आज विकास के नाम पर लोगों के साथ शब्दों का घात किया जा रहा है और यह एक प्रकार का बिश्वासघात ही है। विकास जैसा हो रहा है उसे दुनिया जानती है। जो अत्यधिक अमीर था वह अत्यधिक अमीर हो गया है और जो अत्यधिक गरीब था वह नष्ट होता जा रहा है। आज पैसे की क्रय शक्ति घटती जा रही है।

एक सदस्य---आप क्या होते जा रहे हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त---आपसे तो अधिक हूं ही लेकिन टाटा, बिरला और गुप्ता जी से कम हूं। हमारे पास कोई मेमोरियल ट्रस्ट नहीं है। कहा जाता है कि डेवलपिंग इकोनामी है, लेकिन यह गलत है। आज माल डिस्ट्रिब्यूशन आफ मनी है।

राजस्व मन्त्री राजा शब्द से बहुत भड़कते हैं और ऐसा भड़कते हैं जैसे लाल चीथड़े को देख कर बुल (बैल) भड़कता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनकी लात से घबड़ाते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं समझ नहीं पाया कि उनके 'राजा साहब' का क्या अर्थ है? उधर बैठने वाले राजा शायद दूध से धोये, शुद्ध हैं। मैं क्या कहूं, श्रीमन्? मेरे मुख पर ताला पड़ा हुआ है। लेकिन इतना कहे देता हूं कि जिन राजाओं को गाली देते हैं---मेरे पिता जी के पास पन्त जी से ले कर, काटजू जी तक के पत्र लिखे हुए हैं। राजस्व मन्त्री देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं आपको गाली तो नहीं देता।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं अपनी बात कहता हूं। राजा साहब बड़े बदमाश थे। उनके लिये वेस्टेड इंट्रेस्ट कहा जाता है। लेकिन किसका वेस्टेड इंट्रेस्ट है? मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आपका वेस्ट्रेड इंट्रेस्ट नहीं है क्या---टु रिमेन इन पावर (to remain in power)। आज देश के उत्थान में आपका वेस्टेड इंट्रेस्ट नहीं है। और कहा जाता है कि वेस्टेड इंट्रेस्ट विरोध करता है। जरा सोचें कि इस बिल की सारी प्रक्रिया किस पर पड़ेगी? दुनिया में कोई टैक्स पड़ता है तो उस समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिस पर कि उसका न पड़ता हो, केवल इनकम टैक्स को छोड़ कर। आज सेल्स टैक्स बढ़ेगा। जिस मात्रा में वह बढ़ेगा उस मात्रा में हर एक पर असर पड़ेगा। आज आप लैंड टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसका असर देखें कि कहां पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम बड़े काश्तकार पर लगाते हैं। बड़ा काश्तकार ही तो लैंडलेस को अपने खेतों पर लगाता है। आज अगर बड़े काश्तकार की आमदनी ५० रुपये है और वह चार लैंडलेस लेबर को अपने खेतों पर लगाये हुए हैं तो कल को जिस मात्रा में यह टैक्स लगने से उसकी आमदनी घटेगी निश्चय ही उस मात्रा में वह अपने मजदूरों को घटायेगा और उसका परिणाम यह होगा कि जो लैंडलेस लेबर है, जिसकी आप बड़ी दुहाई देते हैं---हरिजन पहले वही इस टैक्स का शिकार होगा। जब वह काम से हटेगा तो बेकार हो जायगा। श्री जयप्रकाशनारायण की रिपोर्ट शायद राजस्व मन्त्री ने पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ३० परसेंट उसकी आमदनी घटी है। इस घटी हुई आमदनी के बाद अगर वह बेकार होता है तो बेकारों की संख्या बढ़ेगी और वह बेकार होगा राजस्व मन्त्री के टैक्स के कारण, गुप्ताजी के टैक्स के कारण। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---सत्तारूढ़ दल की यह शोभा नहीं है, इस वास्ते कि वह पार्टी स्वयं बदलवाती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त––तो, अध्यक्ष महोदय, इसका सब से पहले असर वहां पड़ेगा। वेस्टेड इंट्रेस्टेस का अपोजीशन नहीं है। यह अपोजीशन इसलिये है कि जो समाज में सबसे गरीब है, जिसकी क्रय-शक्ति नष्ट हो गयी है, जिसकी आमदनी इस गरीबी की हालत में ३० परसेंट और घट गयी है, जो आज भी नंगा और भूखा है, जिसकी झोपड़ी आज भी झोपड़ी है उसके ऊपर जो टैक्स का असर पड़ेगा उसका अपोजीशन है। अभी राजस्व मन्त्री ने कहा कि वेस्टेड इंटेरेस्ट इसको अपोज कर रहे हैं। यह तो शब्दों का अम्बारमात्र है और मैं तो कहूंगा कि यह शब्दों की आत्मवंचना और आत्मविडंबना है। यह बिल की वास्तविकता की ओर नहीं ले जाता, यह केवल आत्मवंचना और आत्मविडंबना है और इससे गलती को छिपाया नहीं जा सकता। गलती को गलती मान कर ही चलना पड़ेगा। इसलिये इस बिल से हम लोगों का विरोध है कि इससे गरीब लोगों की क्रय-शक्ति जो आज नहीं के बराबर है वह और नष्ट हो जायगी और यह बेकारों की संख्या बढ़ा रहा है।

श्रीमन्, इस बिल के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आखिर इसके कई पहलू हैं, एक ही पहलू से इस पर विचार नहीं हो सकता। यह टैक्सेशन मेजर है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर टैक्स कैसा हो। टैक्स लगाने के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं। आज पहले उसके सैद्धांतिक पहलू को देखा जाय। टैक्स लगाने का सब से पहला सिद्धांत यह है कि "The tax should not destroy the subsistence of the people." जीविका का जो सबसिसटेन्स है उसका टैक्स से ह्रास नहीं होना चाहिये। यह कैपिटल पर टैक्स है, जमीन पर टैक्स है। इसका क्या परिणाम होगा? एक ओर तो यह हल्ला मचाये हुए हैं कि हम चकबन्दी करते हैं, लेकिन कल को जब बंटवारे शुरू होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राजस्व मन्त्री जिम्मेदार होंगे और उसका परिणाम क्या होगा? यह सर्वमान्य सिद्धांत है कृषि के अन्दर कि होल्डिंग्स इकट्ठी होनी चाहिये, बड़ी होनी चाहिये। यह भी सिद्धांत है कि बहुत बड़ी होल्डिंग भी प्रोडक्टिव नहीं होती। इस देश में अनुभव यह आया है।

श्रीमन्, आपकी ही एक संस्था है। यू० पी० फार्म्स मैनेजमेंट सर्वे १९५४–५५। उसकी यह रिपोर्ट आई है कि इंडिविजुअल होल्डिंग्स का मैक्जीमम औप्टीमम प्रोडक्शन कितना है? उसकी रिपोर्ट यह है कि––"The maximum per acre income in individual family cultivation is reached in holdings of 5 to 10 acres." यह उन्होंने आंकड़े दिये हैं। मैं उनको पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि हमारे मुख्य मन्त्री जी आंकड़ों से बहुत घबराते हैं। "All that glitters is not gold." उनकी यह रिपोर्ट है कि मैक्जीमम औप्टीमम प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक देश की आमदनी नहीं बढ़ सकती है। आप इस टैक्सेशन मेजर में एक एकड़ को छोड़ते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स शुरू हो जायगा। लोग हिस्सा बंटाना शुरू करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि छोटी-छोटी होल्डिंग्स हो जायंगी जो और भी अनइकोनोमिक हो जायंगी। दूसरी ओर उनकी क्रय-शक्ति और भी घटेगी और तीसरे हमारे यहां का ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में फाल होगा।

श्रीमन्, जब होल्डिंग्स अनइकोनोमिक होंगी तो उनमें कितना ही मैन्योर दें, कितना ही पानी दें, एक सैचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंचकर उसके बाद अनइकोनोमिक प्रोडक्शन होने लगता है। आप अपनी इन प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा तूमार बांध रहे हैं। इन तीनों योजनाओं में भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरा है। अब लैंड टैक्स की वजह से और भी होल्डिंग्स को फ्रेगमेंट करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरेगा। किसी भी देश में यदि कृषि-उत्पादन घटता है, नष्ट होता है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उस देश के इंडस्ट्रियल पोटेंशल को बढ़ा दे। उद्योग का विकास और उत्थान कृषि के विकास और उत्थान पर निर्भर है। जड़ को ही आप तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं और उस पर भी कहते हैं कि हमारे उद्योग विकसित होंगे। मैं समझ नहीं पाता कि कैसे होंगे, कहां से होंगे और अगर नहीं होंगे तो देश की बेकारी कम नहीं हो सकती है। आप इस टैक्स मेजर से होल्डिंग्स को अनइकोनोमिक करेंगे और देश में यदि कृषि का विकास नहीं होगा तो औद्योगिक विकास यहां पर कदापि नहीं हो सकता है चाहे ब्रह्मा उतर आयें। औद्योगिक विकास

की नींव कृषि है, उसको नष्ट करके, तोड़ करके आप चाहते हैं कि आपके देश और प्रदेश का भविष्य और भाग्य उज्ज्वल हो, लेकिन यह असम्भव है। कोदों-सांवा बोकर से गेहूं कभी पैदा नहीं किया जा सकता है। यह हमारी सरकार की हठवादिता है जो इस ओर जा रही है।

श्रीमन्, अब इसका दूसरा रूप देखिये। "That the taxes should be levied by slow, almost imperceptible, degrees and not all in a lum." इस आदर्श पर आप इसको उठा लें। इस कसौटी पर इसको रखें और देखें कि यह ठीक उतरता है या नहीं। इस स्थिति में जबकि हमारा प्रदेश गरीब है इसका परिणाम क्या होगा? हमारी कमर और भी टूटेगी, नष्ट होगी। श्रीमन्, इसका दूसरा पहलू देखिए। सिद्धांत की दृष्टि से विचार किया जाय तो यह बिल गलत है। क्योंकि उन्होंने जो उद्देश्य में कहा है "to encourage the evolution of a single tenure system of peasant proprietorship it is necessary to impose a tax on land holdings."

अब विचार करें कि क्या इस टैक्स से यह इन का उद्देश्य पूरा होता है? पीजेंट प्रोप्राइटर्शिप बनाने में गवर्नमेंट मदद करती है, ? इसके विपरीत जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन्होंने १० गुना देकर पीजेंट प्रोप्राइटर्शिप के अधिकार खरीदे थे उनको हमेशा के लिये हतोत्साह कर रहे हैं। श्रीमन्, यह बड़ा विचित्र बिल है। कहता कुछ है और जाता किसी दूसरी ओर है। किसी सिद्धांत पर यह बिल आधारित नहीं है। सिद्धांत की कसौटी पर यह बिल आता नहीं।

अब श्रीमन्, व्यावहारिक रूप से देखिए। मैं जानता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि राजस्व मंत्री ने और माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत बार कहा है कि देश और प्रदेश के विकास के लिये और समाज के उत्थान के लिये सब को टैक्स का भार सहना चाहिए। प्रश्न यह है कि जिसको यह विकास कहते हैं क्या उस विकास के लक्ष्य को यह प्रपत्र और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में पूर्ण कर सके? आज इसके लिये आंकड़े की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष दिखायी पड़ रहा है। विकास के मानी जहां तक मैं समझ पाया यह हैं कि लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिये। तब तो विकास हुआ। विकास के यह मानी नहीं कि आपने दस फैक्टरियां खड़ी कर लीं और उनमें माल बनाया लेकिन अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वह कहां से खरीदेंगे? तो कोई विकास नहीं है। आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से विकास का क्या परिणाम हुआ उसके आंकड़े मैं पढ़े देता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है, ६१ की उससे। यह आमदनी उस बेसिस पर कह रहा हूं जो मार्डर्न प्राइसेज हैं। रूरल एरिया की आमदनी—

	रु०
१९५०–५१	२०७
१९५१–५२	१८२
१९५२–५३	१८०
१९५३–५४	१६७
१९५४–५५	१४४
१९५५–५६	१५३
१९५६–५७	१७४
१९५७–५८	१६४
१९५८–५९	१९१
१९५९–६०	१८३

जिस प्रदेश में आमदनी घट रही हो लोगों की, और जनता पर टैक्स लगाया जा रहा है, उनके तथा कथित विकास के नाम पर, उनका क्या विकास हुआ है, यह दो योजनाएं जो समाप्त हुई हैं उनके फल से पता चलता है। उनका निष्कर्ष यह आया है कि १९५० में जब कोई प्लानिंग नहीं थी २०७ रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी थी और अब जब प्लान लगाया गया तो १८३ रुपये आमदनी रह गयी। १९ रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी गिरी है। यह इनका विकास है। इसको

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

अगर कोई विकास कहे तो मैं कह सकता हूं कि बुद्धि की बलिहारी है। यह विकास नहीं, ह्रास है और उस समाज का ह्रास है जो हमारे देश और प्रदेश की रीढ़ है, गरीबी के कारण आज जब वह रीढ़ टूटने के प्वाइन्ट पर आ गई है जिसे कहते हैं लास्ट स्ट्रा आफ दि कैमल्स बैक, तो उस रीढ़ को तोड़ने का श्रेय हमारे राजस्व मंत्री को है और इस लैंडटैक्स बिल के कारण। यह लैंड टैक्स जब लगेगा तो उनकी आमदनी और घटेगी और रिटर्न उनको क्या मिला? टैक्स की आप उनमें मांग करते हैं, लेकिन टैक्स लगाने का जहां यह सर्वमान्य सिद्धान्त है तो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेन्टेशन, वहीं दूसरा सर्वमान्य आधार यह भी है कि टैक्सेशन इन रिटर्न आफ बेनिफिट। तो क्या बेनिफिट इन्होंने उसको दिया है? एक ही बेनिफिट इन्होंने देश को दिया है कि उसकी गरीबी बढ़ा दी।

और, श्रीमन्, सीधा तर्क देते हैं कि पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आप को आवश्यकता है तो आप पहले स्वयं अपना ही प्रबन्ध क्यों नहीं ठीक करते? यह आडिट रिपोर्ट तो, श्रीमन्, आपके सामने आयी होगी और सभी इसको जानते होंगे। इस आडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि—

"The net expenditure on revenue account during the current year exceeded that of the first year of the plan (1956-57) by Rs. 54.57 crores. of this increase, non-plan expenditure contributed Rs. 36.43 crores and plan expenditure Rs. 18.04 crores."

श्री अध्यक्ष—किस पेज से पढ़ रहे हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह १९६२ की रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं—रिव्यू आफ जनरल फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें दिया है नान प्लान एक्सपेंडीचर में ३६.४३ करो और प्लान आइटम्स पर एक्सपेंडीचर १८.४ करो .....

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री को बुद्धि से मतलब नहीं है....

श्री हुकुमसिंह विसेन—इससे आप से कोई वास्ता नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह प्लान के लिए हमसे पैसा लेते हैं और लेकर खर्च करते हैं नान प्लान आइटम्स पर। इसे आप देख लें नानप्लान आइटम्स पर खर्चा है ३६.४३ करोड़ और प्लान आइटम्स पर १८.४ करोड़ खर्चा है। क्या मतलब है इसका? आप आंखों में धूल झोंकते हैं। प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और सदन की आंखों में धूल झोंकते हैं। क्यों नहीं आप इसको रोकते? श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट में कितने आबजेक्शंस हैं? मेरा अन्दाज है, मैंने आंकड़े नहीं देखे, परन्तु पेपर्स में भी आया है कि करीब-करीब ५२ करोड़ का इनके यहां घपला है। आप अपने यहां यह घपला क्यों नहीं रोकते हैं? क्या प्रशासन के माने यह हैं कि उसमें सब घपला क्षम्य है? अध्यक्ष महोदय, अगर आप पेज चाहते हों, तो मैं बता दूं आडिट रिपोर्ट, १९६२ का पेज ४। तो, श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि क्या सफल प्रशासन के माने हैं कि सफल घूस खोरी हो? क्या सफल प्रशासन के माने हैं कि सफल घपला हो? उसके अन्दर आज इनका प्रशासन सफल नहीं है और उसका कारण यह है कि ये प्रशासन ठीक तरह कर नहीं सकते, उसकी पात्रता और क्षमता इनमें नहीं है। गुटबाजी के आधार पर शासन चलेगा तो प्रशासन कभी सफल नहीं हो सकता। तो आप गलत बात क्यों कहते हैं सदन के अन्दर? प्लान के लिए पैसा मांगते हैं और नानप्लान आइटम्स पर उसे खर्च करते हैं। क्या हमें विश्वास है कि आज जिस गांव के आदमी की कमर टूट चुकी है, जब उसका सारा उत्पादन गिर चुका है, उसकी क्रय शक्ति नष्ट हो चुकी है तो उसकी गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे को लेकर नान-प्लान पर उसको खर्च नहीं करेंगे? इसका हमें क्या विश्वास है? अश्योरेंसेज के बाद अश्योरेंसेज टूटते हैं। प्लान के नाम पर पैसा मांग कर

लान प्लान में झोंका जाता है। फिर भी आप यह जुर्रत करते हैं कि हमसे यह आशा करें कि हम आप की बात का विश्वास करें। मैं किसी तरह से आपकी इन बातों का विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्रीमन्, वास्तव में जो ये नारा लगाते हैं कि हमारा बजट डैफिसिट है, पैसे की कमी है और उसके आंकड़े हमारे सामने रखते हैं कि पैसे की कमी है और पैसा दो तो उसका नतीजा क्या निकलता है। सन् १९५६-५७ में बजट में रिसीट ८५.३६ करोड़ की दिखाई गई है और एक्सपेन्डीचर ९४.९१ करोड़ दिखाया है, लेकिन अन्त में जाकर वह ८९.९६ रिसीट हुई और एक्सपेन्डीचर ८९.८४ करोड़ हो गया यानी .१२ की बचत हो गई। यह सब फिगर मैं करोड़ में कह रहा हूं। इसी प्रकार से १९५७-५८ में ५.५१, १९५८-५९ में १.९, १९५९-६० में १.४ और १९६०-६१ में ४.४ की बचत हो गई। वास्तव में पैसे की कमी नहीं है। यह तो अम्बार मात्र है। इन पर जो मैंने पहले आरोप लगाये थे कि इनका जो वेस्टेज इण्टरेस्ट है, अपनी गद्दी बनाये रखने की इनकी नीति है, उसके हित में ही यह किया जा रहा है कि किसानों पर इतना टैक्स लगे कि उसकी कमर टूट जाय और वह चिल्लाता घूमे और इनकी गड़बड़ी की तरफ उसका ध्यान न घूमे। किसी सिद्धान्त या किसी स्कीम के अन्तर्गत सरकार यह टैक्स नहीं लाई है। इस टैक्स का जो रूप है वह राजनीति का रूप है जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में हुआ था। मैं नहीं जानता कि राजस्व मंत्री जी ने उस इतिहास को पढ़ा है या नहीं, परन्तु उसकी जो कैबिनेट थी उसके सामने यह बात आई कि राज्य के अन्दर जनता विद्रोह करना चाहती है तो उसका कैसे प्रबन्ध किया जाय और किस तरह से इसके विद्रोह को रोका जाय। जो वहां के प्रधान मंत्री थे या मुख्य मंत्री थे उन्होंने सुझाव दिया कि इनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाय कि इनकी कमर ही टूट जाय। उसी पालिटिक्स के आधार पर यह सरकार भी इस टैक्स को लाई है। एक प्लानिंग शब्द के पीछे गरीब लोगों की कमर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुझे तनिक भी शक नहीं है। आप इस उद्देश्य से यह टैक्स जरूर लाये हैं कि किसान की कमर टूट जाय, लेकिन उसकी कमर पहले ही टूट चुकी है। फिर, श्रीमन्, मैंने इसीलिये इस सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि यह वास्तव में जो भी टैक्स लगाती है उसके लिये पात्रता का ध्यान नहीं रखती। नारा तो लगाती है, लेकिन वास्तव में नीति इसकी यह है कि "टु मेक रिच रिचर एण्ड पुअर पुअरर"। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। वह उदाहरण इस विधान सभा का तो नहीं है, दिल्ली की लोक सभा का उदाहरण है। वहां पर टैक्स आन बिजनेस गेन हुआ था। बिजनेस गेन का मुनाफा किसको होता है? क्या उससे गेन किसान को होता है? वह गेन होता है रामरतन गुप्त को। उसका मुनाफा होता है डालमिया, टाटा, बिड़ला को....

श्री अध्यक्ष—यह बहुत सन्देहात्मक बात है कि हम किसी अन्य सदन के ऊपर यहां आलोचना करें या उनके विनिश्चयों पर।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाया है उसका उदाहरण दे रहा हूं। अगर, श्रीमन्, उदाहरण को भी आरोप समझा जाय तो मुझे बतलाया जाय। श्रीमन्, उन्होंने टैक्स आन वैल्थ को अगर हटाया तो उसकी रिलीफ किस को मिली? क्या उसकी रिलीफ गरीबों को मिली? क्या उसकी रिलीफ किसानों को मिली? जिसका नारा लगा कर यह सरकार यहां पर आकर बैठी है। टैक्स आन एक्स्ट्रा गेन जो आप लेंगे क्या वह एक्स्ट्रा गेन गरीब किसान करता है? यह गेन तो वही करता है जो १०० के ५०० बनाता है। किसान को इतना गेन नहीं होता है। टिंचर जिंजर कौन बनाता है यह कोई किसान नहीं बनाता है। उनको ही यह फायदा हो सकता है। नारा किसानों का और फायदा पहुंचता है पूंजीपतियों को। मैं एक मिनट के लिये भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आप को वास्तव में पैसे की प्लान के लिये आवश्यकता है, परन्तु यदि आपको इसकी आवश्यकता ही है तो यह सारा टैक्स लगाने के लिये भारत सरकार से कहिये और फिर उससे अपना शेयर लीजिये और उनसे कहिये कि वह आपका शेयर बढ़ायें। आप यह क्यों नहीं

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

करते ? आप यह नहीं करेंगे। यह आप कर नहीं सकते हैं। मुझे तो, श्रीमन्, इस सरकार के बारे में दिल्ली से लेकर यहां तक एक ही वाक्य याद आता है कि "It is untained in socialism." यह सरकार की परीक्षा हो सकती है।

श्रीमन्, आप देखें कि पर्सनल इन्कम टैक्स २५ परसेंट घटा है, लेकिन घटा किस लेबिल पर ? यह भी बड़े आदमियों के लिये घटा है। २,५०० वालों का स्लैब रेट नहीं घटा। नयी मशीनें खरीदने पर तथा सुपर टैक्स पर फारेन कम्पनियों को छूट दी गयी बाहर से मशीनें मंगाने पर। जिनके पास धन है वे अंधाधुन्ध मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, उनका टैक्स क्यों घटाया गया ? विदेशी कम्पनियों का टैक्स क्यों घटाया गया ? आखिर वे पैसा यहीं से कमाती हैं। जो वास्तव में देश की रीढ़ हैं, जिनके बल बूते पर आप यहां बैठे हैं, उसका गला टैक्स के नाम पर काटने में आप हिचकिचाते नहीं और ऐसी सरकार के कृत्यों के लिये केवल वही कहा जा सकता है जैसा मैंने पहले कहा था। "It is an unveiled and unashamed Government." यह उचित नहीं है, यह न्यायसंगत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि यह मारेलिटी नहीं है। सरकार की यह नीति मेरे उस आरोप को दृढ़ करती है कि जो मैंने कहा था कि यह सरकार पालिटिक्स आफ ब्रेड खेल रही है, लेकिन इससे देश का भला होने वाला नहीं है। उस खेल की ही एक कड़ी है, यह लैंड टैक्स बिल। यह भी आखिर सोचने की बात है कि आखिर जिन पर टैक्स लग रहा है उनकी हालत क्या है, जो लगान यहां लिया जा रहा है उसकी क्या हालत है, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

'हिन्दू डेली' से मैंने यह फीगर्स लिये हैं, क्योंकि मेरा यह दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का स्टैटिस्टिक्स विभाग अवध के नवाबों की परिपाटी में है जो कुछ अधिक परिश्रम करने में असमर्थ रहता है। इसलिये मुझे समाचार पत्र से यह फीगर्स लेने पड़े और अगर यह गलत हों तो आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें सही कर देंगे। बिहार में कल्टीवेबिल लैंड है १.०६ पर एकड़, पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू है १.१० और पर एकड़ लैंड रेवेन्यू है १.०१। मध्य प्रदेश में पर कैपिटा कल्टीवेबिल लैंड है २.८२ एकड़, पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू है ३.७१ और पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू हैं १.३२। वेस्ट बंगाल में पर कैपिटा कल्टीवेबिल लैंड है १.१५ एकड़, पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू है १.२१ और पर एकड़ लैंड रेवेन्यू है १.५। पंजाब को देखें। वहां है पर कैपिटा कल्टीवेबिल लैंड १.९७, पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू २.१८ और पर एकड़ लैंड रेवेन्यू १.११। अब जरा उत्तर प्रदेश को देखें। जिसका उज्ज्वल भविष्य करने के लिये हमारी सरकार किसानों पर टैक्स लगाने जा रही है। यहां पर कैपिटा कल्टीवेबिल लैंड है .९९, पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू है ४.३७ और यह उत्तर भारत में सबसे अधिक है और लैंड रेवेन्यू है ४.२२।

यों ही उसके पास जमीन कम है, जमीन को उत्पादित करने के साधनों का अभाव है। यों ही उसके ऊपर लगान ४.३७ पड़ा हुआ है जो कि सब से अधिक है। उसके बाद भी कहा जाता है कि और लैंड टैक्स दो, परन्तु आप देखें कि हमको बेनिफिट क्या है ? पंजाब हम से अधिक उपजाऊ और सरप्लस प्राविन्स है। पर कैपिटा लगान भी उनका हम से कम है। पंजाब में १.११ है और उत्तर प्रदेश में ४.४२ है। ठीक पंजाब का चौगुना लगान इस प्रदेश में है। पंजाब का किसान इस सूबे से अधिक खुशहाल है और उत्तर प्रदेश का किसान जो कि आज सबसे बदतर हालत में है, उसको चौगुना लगान देना पड़ रहा है और इस तरह से विकास के नाम पर उसकी कमर तोड़ी जा रही है। यह क्या न्याय संगत है ? मैं आप से मानवता के नाम पर पूछता हूं कि क्या यह आपका कार्य मानवता के नाते सही है ? नहीं कभी नहीं। मैं तो इसको अमानवीय कृत्य की ही संज्ञा दूंगा। अभी हमारे राजस्व मंत्री जी ने इस बिल को महान् यज्ञ की संज्ञा दी है। साथ ही विरोधी दलों से अपील की है कि इस यज्ञ में आहुति दें, परन्तु मैं कहता हूं कि यह रक्त यज्ञ है और इसमें रक्त ही की आहुति एक प्रकार से मांगी जा रही है। इसलिये हम इसमें अपना सहयोग नहीं दे सकते।

श्रीमन्, आप को मालूम होगा कि रावण ने इतिहास में रक्त यज्ञ किया था जिसके कारण उसकी स्वर्णिम लंका नष्ट-भ्रष्ट हो गई और धूल-धूसरित कर डाली गई। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि वे बिहार सरकार का इस संबंध में अनुकरण करें और जिस प्रकार से बिहार सरकार ने लैंड टैक्स बिल को पेश होने के बाद वापस ले लिया था उसी प्रकार वे भी करें। वहां के मुख्य मंत्री को भगवान ने सुबुद्धि दी और संतुलित बुद्धि दी और उन्होंने ऐसा किया। हमारे मुख्य मंत्री जी भी तो अपनी बड़ी संतुलित बुद्धि का ढोंग पीटते हैं और अपने बयान में अपने दिमाग को संतुलित कहते हैं। परन्तु यह कितना सही है, इसके लिये मैं प्रमाण चाहूंगा। उसके लिये सब से बड़ा प्रमाण यह होगा कि जो बिल किसानों की कमर तोड़ने के लिये पेश हुआ है और जो न्याय संगत और तर्क संगत किसी भी दशा में नहीं कहा जा सकता है, उसको वे वापस ले लें। उनको अपने बिहार के सहयोगियों का अनुसरण करना चाहिए।

श्रीमन्, टैक्सों के सम्बन्ध में एक बात और है। टैक्सों के बदले में हम को ईक्वल बेनिफिट भी मिलना चाहिए और इकानामी स्टीमुलेट होनी चाहिए। आप देखें कि जरमनी और जापान का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले विश्व युद्ध में यह दोनों ही देश ध्वस्त हो चुके थे। परन्तु जब देश के पुनर्निर्माण का प्रश्न आया तो वहाँ की सरकारों ने जो टैक्सों के सम्बन्ध में नीति अपनाई उसी ने उनकी इकानामी को स्टेमुलेट किया और जनरेट किया है। आप देखें कि यहाँ तक इकानामी को स्टेमुलेट किया कि आज जरमनी और जापान दोनों ही देश इन्डस्ट्रियल नेशन्स में प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं, परन्तु हमारी टैक्स नीति क्या है और उसके जो परिणाम होंगे, वह किसी से छिपे नहीं हैं। हमारी इसी टैक्स नीति के कारण ही कृषि में स्टैगनेन्ट इकानामी का जन्म हुआ जिससे कोई वृद्धि नहीं हुई। मैं उसके लिये आँकड़े दिये देता हूं। मैं बिना ठोस प्रमाणों के बात नहीं कहता। उसमें प्राइस लेबिल का विचार करना होगा। आज प्राइस लेबिल में बड़ा अन्तर हो गया है। आमदनी में भी बहुत ही अन्तर हो गया है। सन् १९३५ में मेरठ जिले के एक गाँव का सर्वे हुआ था उस वक्त की सर्वे रिपोर्ट में लिखा है—यह बलजीतसिंह की लिखी हुई एक किताब "नेक्स्ट स्टेप इन विलेज इंडिया" है उसमें मंत्री जी देखने की कृपा करें—

"In 1935, a case of study of a canal village adjacent to our present village in Meerut District revealed that the average annual income per family varied from Rs. 52 in the case of agricultural labourers to Rs. 570 in the case of the cultivating owners. The per capita income amounted to a low of Rs. 12 for the agricultural labourers, Rs. 30 for tenants and Rs. 87 for cultivating owners."

यह वहाँ की इनकम है जो सूबे का सब से ज्यादा उपजाऊ हिस्सा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आँकड़े हैं। आप बलजीत सिंह की इस किताब को देखें। एग्रीकल्चरल लेबर्स की इन्कम १२ रुपये है और टेनेन्ट ओनर्स की ८६ रुपये। आगे—

"The average income per capita at 1948-49 prices is calculated at Rs.284 for the year 1956-57. During the year 1957-58, the per capita income is reported to have declined by 2.8 per cent. But this average includes the higher per capita income of the urban people. Seventy-one per cent of the total working force is engaged in the agricultural sector.

Roughly the average income in agriculture and ancillary activities amounts to Rs. 482 per person the working force or Rs. 153 per capita in 1956-57 at 1948-49 prices. The price level in this base year was about three times the pre-war level. In terms of the prices prevailing before the second world war the per capita rural income will be no more than Rs. 50 or so. The estimates reveal that rural per capita income is not increased at all during this period and the villagers continue to be as indigrent and hungry and as ill-clothed, under-nourhsihed ill-housed as a quarter of a century back."

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

तो, श्रीमन्, सन् १९३५ में जो भीषण गरीबी थी इस प्रदेश के अन्दर उसकी जानकारी चाहे उधर के बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों, सभी को है। अगर आज इस प्राइस लेविल को हम बराबर कर दें तो वही चित्र हमारे सामने आ जाता है जो सन् १९३५–३६ में था। ७१ फीसदी किसान इस प्रदेश में किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर हैं। उनकी आमदनी भी अभी आपने देखी। ७१ परसेंट की पर कैपिटा इन्कम निकाली जाय तो वह १५३ है १९४८–४९ के प्राइस लेविल के हिसाब से। अगर इसी प्राइस लेविल को घटा दिया जाय प्रीवार लेविल पर तो वह ५० रुपये ही रह जायेगी। यही सन् १९३६ में थी। इसका यह अर्थ हुआ कि जितनी पंचवर्षीय योजनायें कृषि की उन्नति के लिये लागू हुईं वह सफल नहीं हुईं और दरिद्रता का जो चित्र सन् १९३६ में हमारे सामने था वही अब है।

अब दूसरा प्रमाण लें। एक्सपेन्डिंग एकोनामी जिसकी बड़ी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की और कहा कि हम लिविंग आफ स्टैन्डर्ड को ऊंचा करना चाहते हैं, उसको जरा देखें। उस पर भी विचार करने की जरूरत है। लिविंग स्टैन्डर्ड के माने क्या हैं? उसके माने होंगे क्या? प्रत्येक आदमी का केलोरीज कंजम्पशन बढ़ा है अथवा नहीं। मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में ज्यादातर किसान सीरियल्स पर निर्भर करता है—

"They subsist mainly on cereals and pulses. Over the last several decades the per capita supplies of foodgrains have registered a decline and in recent year the availability of cereals in the country has been limited to 12 to 13 ounces per capita per day and that of pulses to 2 to 2.5 ounces. These average supplies represent only 1,400 to 1,600 calories from these sources out of a total of 2,800 to 3,000 required for an adult from all sources.

जब कि साधारण मनुष्य को २,८०० से ३,००० केलोरीज तक जीवन को चलाने के लिये मिलना चाहिये, ये फिगर्स इस बात के द्योतक हैं कि हमारे प्रदेश के किसान का जीवनस्तर बिलो ह्यूमन या सबह्यूमन है। तो श्रीमन्, एक ओर तो इस सरकार के उसके ऊपर टैक्स लगाये हैं और दूसरी ओर उसकी एग्रीकल्चरल एकोनामी को जेनेरेट भी नहीं किया। किसान की आमदनी नही बढ़ी है, उसकी वही आमदनी है जो सन् १९३६ में थी। उसका लिविंग स्टैन्डर्ड नहीं बढ़ा है। वह केवल १६००, १८०० केलोरीज ही पाता है। अगर मैं यह कहने के लिये क्षमा किया जाऊं तो मैं कहूंगा कि उसका केलोरीज कन्जम्पशन पशुओं से भी बदतर है। क्या यह सरकार इस पर गौरव कर सकती है? मैं तो कहूंगा कि हमारे प्रदेश में किसानों को दबा कर रखा गया है, न उसका जीवन स्तर बढ़ा है और न उसकी क्रय शक्ति ही बढ़ी है,उसकी भोजन शक्ति भी नहीं बढ़ी है और उसकी आँखों में धूल झोंक कर बजट का पैसा एक्स्ट्रावेगेन्टली खर्च किया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कंगालीशान यानी किसी कंगले के घर में भूंजी भांग भी न हो और वह जीवन का सर्वनाश कर डाले, वही कृत्य इस सरकार का है और तिस पर भी कहते हैं कि विकास किया जा रहा है, जीवन स्तर बढ़ा रहे हैं।

श्रीमन्, आज एपीडेमिक्स के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके ऊपर भी इस सरकार ने काबू पाया है। जो कुछ भी इस सरकार ने किया है वह किसानों के हित में नहीं है बल्कि उसके घोर अहित में है। उनके ये कदम बहुत ही अविवेकपूर्ण रहे हैं।

श्रीमन्, मुझे इस प्रदेश के पूरे आँकड़े तो नहीं मिल सके हैं परन्तु पूरे देश के आँकड़ों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने कृषि में क्या किया है। कृषि के विषय में उसकी दो प्लान्स की परफार्मेंस रही है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं—

"Not only has the total cereal production of 1957-58 at 53 million tons been low even the much boosted output of 1956-57 at 57 million tons was lower than the output of 1953-54 at 58.27 million tons. We are now in the fourth year of the second plan for which the target of cereal production has been fixed at 68 million tons and in 1975-58 production was no more than 53 million tons i.e. very much still near the target of the first plan."

तो टारगेट ६८ मिलियन टन था, लेकिन कृषि का उत्पादन ५३ मिलियन टन हुआ।

अब दूसरी ओर देखिये। कोई उत्पादन बढ़ा नहीं। सिंचाई के बारे में आप बड़ा हल्ला करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा सिंचाई की, लेकिन उस सिंचाई के बारे में मैं क्या कहूं ? आज किसानों की क्रय शक्ति घटी हुई है और उसके ऊपर कर्जे का बोझ लदा हुआ है। श्रीमन्, मैंने सब तरफ से यह जानना चाहा कि हमारे यहाँ रूरल इनडेटेडिनेस का सर्वे हुआ है या नहीं,लेकिन मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। कृषि विभाग, सहकारी विभाग व बोर्ड आफ रेवेन्यू से भी मैंने इस सम्बन्ध में जानने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई आँकड़े नहीं मिले।

(इस समय १२ बज कर ५१ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मेरे मत से यह बिलकुल सत्य है कि सन् १९४८ से लेकर आज तक किसानों पर कर्जे का बोझ अत्यधिक बढ़ा है, और बराबर उसकी क्रय शक्टि घटती गयी है। उसके ऊपर कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसके पास पैसे नहीं हैं कि जिनको वह सिंचाई के साधनों में उपयोग कर सके। स्वयं सिंचाई मंत्री स्वीकार करते हैं कि जितने भी सिंचाई के साधन हैं, उनका मुश्किल से ५० प्रतिशत उपयोग में आता है, ५० प्रतिशत वेस्ट है। आखिर वह ५० प्रतिशत वेस्ट क्यों है, इसलिये कि किसानों के पास पैसे नहीं हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जितना भी पैसा आप टैक्स के रूप में लेते हैं उसे ठीक ढंग से उपयोगी कामों में नहीं लगा रहे हैं जिससे एग्रीकल्चरल इकोनामी खराब पड़ी है। श्रीमन्—

"In spite of an increase in irrigation capacity and large investments ni irrigations works under the two plans, the net area irrigated by Government canals has hardly increased by 5 percent since 1951-52 while thc percentage of canal irrigated area to the total has registered a slight d eline."

अरबों-करोड़ों रुपये लगा कर भी केवल ५ परसेंट सिंचाई के क्षेत्र बढ़े हैं। जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि ....

"The total area thus irrigated has remained constant since 1950-51 at about 17 per cent."

सिंचाई क्षेत्र में ५ परसेंट इनक्रीज होने के बाद भी सन् १९५०–५१ से आज तक वह १७ प्रतिशत ही रहा है। सिंचाई स्टेगनेंट हो गयी, कृषि का उत्पादन घटता गया, किसानों की आमदनी घटती गयी। इसे स्टेगनेंट इकोनामी नहीं कहा जायगा तो क्या इसे एक्सपेंडिंग इकोनामी कहा जाय ? मैं नहीं जानता कि इसे किस तरह से एक्सपेंडिंग इकोनामी कहा जा सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान दिन पर दिन दरिद्र होता जा रहा है, उसकी दरिद्रता बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई दरिद्रता में आप किसानों पर टैक्स लगाते जायेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि उनकी कमर टूट जायगी और अगर किसानों की कमर टूट गयी तो उसका क्या परिणाम होगा, इसकी भंयकरता और भीषणता की कल्पना सभी लोग अपने मन में कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कृषि ईल्ड के फीगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां विकास का बड़ा हो हल्ला है, लेकिन यहां औसत ईल्ड गेहूं का पर एकड़ ६०० पौंड है जबकि डेनमार्क में ३,६०० पौंड है, वेस्टर्न जर्मनी में २,५०० पौंड है और यूनाइटेड किंगडम में १,५०० पौंड है। इसके अलावा इटली, व बेल्जियम में भी यहां से ईल्ड ज्यादा है। कहा जाता है कि यहां बच्चे बहुत पैदा हो रहेहैं जिससे योजना में गड़बड़ी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इटली और बेल्जियम से भी ज्यादा हमारे ऊपर प्रेसर आफ पापुलेशन पर स्क्वायर मील है ? वहां पर हमारे यहां से ज्यादा ही है। फिर वहां पर जब पर एकड़ ईल्ड ज्यादा हो सकती है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकती ? इसके अलावा ईजिप्ट व जापान में भी हमारे यहां से बार्ली की ईल्ड तिगुनी व ४ गुनी है। इसी तरह से ईजिप्ट में काटन की ईल्ड भी यहां से बहुत ज्यादा है। हमारे यहां विकास के नाम पर बहुत पैसे लगाने का नारा दिया जाता है। लेकिन क्या आपकी पर एकड़ ईल्ड बढ़ी ? नहीं बढ़ी। जापान और ईजिप्ट

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

भी हमसे ज्यादा हैं । मैं जापान को छोड़ देता हूं, लेकिन ईजिप्ट का उदाहरण लेता हूं कि काटन की ईल्ड वहां पर हमसे ६ गुनी ज्यादा है । यह कैसे हुआ ? उन्होंने सही नीति कृषि के संबंध में अपनायी और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये टैक्सेशन मेजर्स वगैरह ऐडाप्ट किये । लेकिन यहां, हमारे यहां तो, एक भानुमती का पिटारा है । जहां कहीं से मिला एक-एक ईंट खड़ा करके एक कुनबा जोड़ा गया है । अंग्रेजों से ईंट मिली तो उसे भी उसमें जोड़ लिया और उसी को अपना सहारा बना दिया । अंग्रजों की इस देश में कृषि नीति तो यही थी ही कि ईल्ड न बढ़ने दी जाय और उसी नीति पर हम भी चलें और उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है ।

श्रीमन्, अब इस पर भी विचार करें कि पर एकड़ ईल्ड बढ़ी नहीं, क्रय शक्ति घटी और अन्ततः किसान की गरीबी बढ़ी और उसके परिणामस्वरूप बहुत बढ़ती गयी । आपका उत्पादन घटता गया कृषि का और जो आपके पंचवर्षीय योजना टारगेट्स थे उनसे भी नीचे हम चले गये और ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते जाते हैं त्यों-त्यों हालत खराब होती जाती है । ऐसी खराब हालत के ऊपर, ऐसी गिरती हुई आर्थिक स्थिति के ऊपर क्या यह न्याय-संगत है, और यदि मैं कहूं तो क्या यह मानव संगत है कि उसके ऊपर टैक्स का बोझ लादा जाय ।

थोड़ा और आगे विचार करें । इर्रीगेशन वर्ष में शारदा कैनाल को देख लें । इनकी इर्रीगेशन की योजना भी गलत और इतनी महंगी हो गयी है कि लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते । ५० परसेंट बेकार पड़ी हुई हैं । मैं उसका और कोई अधिक उदाहरण न देकर शारदा कैनाल का उदाहरण देता हूं :—

"The area under irrigation has failed to increase and let aside the targets of the Second Plan. It is still short of the target of even the First Plan by as much as 25 per cent. Consequently the per capita supplies of foodgrains including imports have fallen short of requirements. It is not falling up in spite of a plan outlay of 31 percent on agriculture and irrigation under the First Plan and 20 per cent. under the Second Plan.

यह भी श्रीमन्, एक बड़ा पैराडाक्स इस सूबे में खड़ा हो गया कि सिंचाई में अत्यधिक पैसा लगा और एक बहुत बड़ा नेटवर्क सिंचाई का बना, परन्तु उसका उपयोग शून्य हुआ । इसका कारण स्पष्ट है कि उसके पीछे आपकी नीति गलत है और आपकी सारी योजनायें गलत हु । किसानों के जीवन को उठाने के लिये कोई भी सही तरीका नहीं अपनाया गया है और कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। खाली उसको आंखों में धूल झोंक कर उसका सत्यानाश किया जा रहा है जैसा कि लोबो प्रभू ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है :—

"It is more a political plan than an economic one."

यह कुछ नहीं है एक वोट कैचिंग डिवाइस है और उसके पीछे कोई आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है । केवल स्वर्गिम शब्दों के भ्रमजाल में भुलाकर उसका वोट लिया जा सके उसी के लिये यह सारी प्लानिंग है और उसके पीछे इसके अतिरिक्त कोई और एकानामिक दृष्टिकोण नहीं है और, यही कारण है कि आज देश के अन्दर हमारी ऐग्रीकल्चरल एकानामी स्टैगनेंट हो गयी है और उसका अर्थ होता है कि वह बढ़ते-बढ़ते एक दिन सारे सूबे का, सारे देश का, सर्वनाश कर देगी, जैसे पानी जब स्थिर हो जाता है तो पानी में बदबू आने लगती है, सड़न आती है, दुर्गन्ध खड़ी हो जाती है और सब प्रकार की बीमारियां उठ खड़ी होती हैं और लोग मरने लगते हैं । वैसे ही आज सूबे की एकानामी स्टैगनैन्ट कर गयी है और उसी स्टैगनेशन का यह परिणाम है कि आज सब योजनायें लगने के बाद सारी योजनायें विफल हुईं और हमारे प्रदेश के किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आर्थिक स्थिति नीचे जा रही है । चाहे वह यह कहें कि हम . . .

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप अभी और बोलेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—जी हां, अभी तो बोलना है ।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब आप २ बजे बोलेंगे, अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि इस देश में कृषि उत्पादन घट गया, कम हो गया । सब योजनायें चलीं, उनसे किसी प्रकार का लाभ किसान को नहीं हो पाया, उसी बात की चर्चा मैं कर रहा था । मैं आपके सामने उसके थोड़े से कारण और प्रमाण भी दे दूं ।

"Agricultural productivity in India is low primarily because proper types of land reforms and farm organisation is till not high enough to maintain a programme of rapid agricultural development."

आज जिस प्रकार के कृषि विकास की आवश्यकता है और जिस तीव्र गति से हमको चलना चाहिये उस दृष्टि से लैंड रिफार्म्स के जो कार्य-क्रम रहे इस सरकार ने नहीं किये । इस सरकार की सारी योजना उसका सारा दृष्टिकोण, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, पंच वर्ष रहा और थेकरी जोड़ कर एक भानुमती का कुनबा इन्होंने खड़ा किया । आज उसके साथ एक कारण और भी है—

"Productivity in India is low not only in terms of per acre yield but more so in terms of labour."

जैसा मैंने कहा थेकरी जोड़ने के कारण वास्तव में कृषि उत्पादन के विकास की नींव बन सकती थी और जो हमारी जड़ होनी चाहिये, हमारी खेती पर एकड़ बढ़े, इससे कोई लाभ नहीं है । हमने सैकड़ों एकड़ नौतोड़ जमीन ले ली, परन्तु उससे लाभ नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम यह हो गया आज जो सरकार की ओर से नारा लगने लगा वन महोत्सव करो, पेड़ कटने शुरू हो गये हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो । इरोजन रोकने के लिये, पानी के प्रकोप को रोकने के लिये जो वृक्षों को नष्ट किया और अत्यधिक जोत बढ़ाकर उसका दुष्परिणाम समाज के सम्मुख आया । परन्तु वास्तव में जो कृषि बढ़ने की नींव थी पर एकड़ ईल्ड बढ़े उस ओर नहीं ध्यान दिया गया । पर एकड़ ईल्ड नहीं तो पर मैन बढ़नी चाहिये, उस ओर भी ध्यान दिया और कोई प्रयास नहीं किया । आज देखते हैं बाढ़ आती है, जमीन का कटाव होता जा रहा है । यह सब क्यों है ? इसलिये कि ऐंफोरेस्टेशन नहीं है, जमीन कट रही है । हमारी जमीन जो हल्की है जल्दी से जल्दी घुलती जा रही है और इसका परिणाम हो सकता है कि एक दिन हमारे यहां राजस्थान के रेगिस्तान आ जाय । आगरे में बढ़ रहा है । यह आखिर क्यों है ? यह सरकार की जल्दबाजी और गलत नीति का परिणाम है और जब उस गलत नीति के परिणाम की विभीषिका आपकी आंखों के सामने खड़ी हो गई तो चिल्लाते हैं कि पैसा दो ताकि और बड़ी योजना बना सकें । जो योजना बनायी वह असफल हो गई और उस विभीषिका की चक्की में किसान पिसता जा रहा है और आप कहते हो पैसा लाओ । कहां से वह पैसा लायें ? पर एकड़ ईल्ड आंकड़ों में मैं पहले दे चुका हूं । आप देखें कि जापान में ईल्ड साढ़े ४ गुना और मिश्र में काटन की ईल्ड ६ गुना अधिक है । अब मैं पर कैपिटा इनकम के आंकड़े देता हूं जो कि यू० एस० डालर में है । वेस्टर्न जर्मनी में ३४९५, न्यूजीलैंड में ३४८१, यूनाइटेड स्टेट्स में २४०३, जापान में २२६५, कैनाडा में २१४६, यूनाइटेड किंगडम में २०५६, नार्वे में ९७३ और इंडिया में १०५ है । सबसे कम हमारी पर कैपिटा इनकम है । जैसा पहले मैं कह चुका हूं हमारा किसान स्टैगनेन्ट इकानामी के कारण बेलन्यूट्रिशन पाता है । खाना उसे भर पेट नहीं मिल रहा है । तो भूखा और नंगा जो हो

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

और जिसे माल न्यूट्रिशन मिल रहा हो उसके पास शक्ति कम होगी तो उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं ? शक्ति और सामर्थ्य घट रहा है जिसके कारण उत्पादन घट रहा है, आमदनी घट रही है और सरकार टैक्स लगाने जा रही है ।

श्रीमन्, मैं थोड़ा अस्वथ्य हूं । अगर बैठ कर बोलने की इजाजत हो तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—हां, आप बैठ कर बोल सकते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इन आंकड़ों की ओर ध्यान दें तो हमारी एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस वेस्टर्न जर्मनी के मुकाबले में १/३० है और न्यूजीलैंड के मुकाबले में, जो छोटा सा देश है और जहां की भूमि कहीं ज्यादा पथरीली है और हमारी भूमि उससे कहीं अधिक उपजाऊ है, १/१३ है और जापान और युनाइटेड किंगडम के मुकाबले में हमारे यहां १/२० है । यह परिणाम है माल न्यूट्रिशन की वजह से और रांग एग्रिकल्चरल पालिसी एडाप्ट करने की वजह से ऐसी स्थिति में आप यहां टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं । यह अनुचित तथा अन्यायपूर्ण मांग है । इस पर हठ करना अन्याय तथा दुराग्रह है । ऐसी स्थिति में दुराग्रह से काम नहीं लेना चाहिये । बुद्धिमानी और प्रेस्टिज इसी में है कि इस गलत चीज को वह वापस लें । जिस चीज के लिये आपके पास कोई तर्क नहीं है, केवल एक नारा मात्र है कि विकास के लिये पैसा चाहिये, जो नारा वास्तव में थोथा था, जिसके पीछे कोई तत्व नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, उस नारे पर चलना मैं समझता हूं अत्यन्त असंगत व अन्यायपूर्ण है ।

अभी तक मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कह रहा था । अब थोड़ा पूर्व की ओर आऊंगा । आखिर यह टैक्स का बोझ दोनों पर ही पड़ेगा, केवल एक पर नहीं पड़ेगा । अभी जैसा माल मंत्री ने प्लानिंग कमीशन का सहारा लिया, उसी प्लानिंग कमीशन ने एक सब कमेटी नियुक्त की थी डाक्टर लोकनाथन की अध्यक्षता में सैम्पिल सर्वे करने के लिये । बस्ती में उसने ३०–४० गांव सर्वे किये जिसमें बभनान वगैरह थे । उस कमेटी की साफ रिपोर्ट है कि इस जिले के लोगों का लिविंग बिलो पावर्टी लाइन और सब-ह्यूमन लेविल पर है । बिलो पावर्टी लाइन के माने क्या है ? जैसा मैंने पहले कहा, बिलो पावर्टी लाइन के साफ माने है कि मृत्यु तुल्य जीवन है, मरे नहीं हैं, सांस चलती है, लेकिन खाली हड्डी और चमड़ा रह गया है । मैं कहता हूं कि किसी भी राज्य में और फिर वह राज्य जो इस बात का दावा करे कि मैं कल्याणकारी राज्य हूं उसमें अगर एक व्यक्ति भी सब-ह्यूमन लेविल पर रहे तो यह उस राज्य के लिये एक कलंक की बात है और एक व्यक्ति की कौन कहे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो सब-ह्यूमन लेविल पर जीवित हैं । समाचार-पत्रों में आप रोज देखते हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गाय और भैंस के गोबर के सड़े-गले अन्न को लोग बीन बीन कर खाते हैं । क्या इस कल्याणकारी राज्य के लिये यह शोभा की बात है ? यह लज्जा की बात है । यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, माननीय गहमरीजी ने लोक सभा में यह बात कही है और लोकनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी यह बात आयी । सब-ह्यूमन लेविल के माने यह हैं कि आदमी के पास खाने को नहीं हैं, पशुओं के गोबर से अन्न निकाल कर खाने की कोशिश करता है और जिस राज्य में यह हो उस राज्य के लिये यह कलंक की बात है और यही बात पूर्वांचल प्रदेश के लिये माननीय गहमरी ने लोक सभा में कही थी कि ६ पैसे से २ आने तक वहां मजदूरी है । क्या मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के अन्याय को रोक सके या उसको रोकने के लिये कोई कदम उठाये ? खाली थोथी बात कहने से कोई लाभ नहीं । श्रीमन्, "The proof of the pudding lies in the eating of it." किसी मिठाई की मिठास उसके खाने में है ।

मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री के मुंह से यह सुनता हूं कि साइकिलों में तरक्की हुई । जो भूखा मर रहा है वह साइकिलें कहां से लेगा ? अगर किसी ने ली हैं तो कर्जे के बल पर ली हैं और अगर दो करोड़ लोगों के बीच १ लाख साइकिलें हैं भी, १ परसेंट आदमी अगर मान भी लिया

जाय कि खुशहाल हैं तो क्या १ परसेंट के लिये ९९ लोगों का गला काट देना चाहिये ? यह कहां की बुद्धिमानी है ? यह बुद्धिमानी वर्तमान मन्त्रिमंडल की हो सकती है, साधारण आदमी की, जिसने अपना संतुलन नहीं खोया है, यह बुद्धिमानी नहीं हो सकती ।

श्रीमन्, डाक्टर बलजीतसिंह, जो इस प्रदेश के बड़े प्रसिद्ध अर्थ शास्त्र के विद्वान् हैं उन्होंने लिखा है—

"Forty-five per eent of the total village population subsists on a famly expenditure of less than Rs. 50 per month. They may be regarded as living below the povrty line."

आज की इस बढ़ती हुई महंगाई में ५० रुपये में कौन जीवित रह सकता है ? जेल का कैदी भी इनसे अच्छा खाता है और आप उस किसान से, जिसकी दुहाई देते हमारे उधर के मित्र अघाते नहीं, जिसके लिये राजस्व मंत्री कहते हैं कि हम जेल गये—बड़ा अच्छा है, जेल गये—यह आशा करते हैं कि ५० रुपये पर जीवित रहे । केवल नर कंकाल खड़ा हुआ है, उसके अन्दर मनुष्यत्व नष्ट हो चुका है ।

श्रीमन्, आगे देखिये कि—

"Another helf of the total population has roughly a monthly expenditur of Rs. 50 to Rs. 150. This may be able to meet the minimum human subsistence."

यानी ५० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी ५० रुपये से लेकर १५० रुपये तक है। अब मिनिमम ह्यूमैन सबसिसटेंस क्या है ? यह खाली समझ लेने की बात है । आज हमारी सरकार इस नरकंकाल के ऊपर विकास के नाम पर टैक्स लगाने जा रही है यही हमारे शासन की क्षमता है, पात्रता है । इसका अर्थ यह है कि शासन की अपात्रता है, अक्षम्यता है । इसी का परिणाम है कि हमारे देश में एक बिभिषिका खड़ी हुई है । जब इनकी गलत नीतियों के परिणाम सामने आते हैं तो यह उनसे अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और अपनी असफलता के दूसरे कारण बताते हैं । कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा हो गये, हमारी आबादी बढ़ गई । लेकिन जापान से ज्यादा हम ओवर पोपूलेटेड नहीं हैं । कुछ लोगों का कहना यह है कि ओवर पापूलेशन कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं है । इससे तो हमको काम करने के लिये आदमी मिलते हैं । इसलिये हमको उनको काम देना चाहिये । इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है और गलत बहानेबाजी करते हैं । कभी बाढ़ का बहाना लगाते हैं, कभी सूख का बहाना लगाते हैं और कभी पानी ज्यादा बरसने का बहाना लगाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि यह बिभिषिका गलत नीति के कारण है । श्रीमन्, गलत नीति से आंखें बन्द नहीं की जा सकती क्योंकि उसका दुष्परिणाम हुआ है और उसको रोकने के लिये यह टैक्स लगा रहे हैं । यह तो ऐसा ही है जैसे डूबते हुये रुपये को बचाने के लिये और रुपया फेंकना । डूबते हुए रुपये को बचाने के लिये और रुपया फेकने से काम नहीं चलेगा । इसमें तो नीति की शुद्धता चाहिये, दृष्टिकोण सही चाहिये । जब तक यह नहीं होगा, तब तक चाहे नियोजन के ही नाम पर क्यों न हो, हम लोग टैक्स देने के लिये तैयार नहीं हो सकते । अगर टैक्स लगाया जायगा तो हम लोग हमेशा उसका विरोध करेंगे ।

श्रीमन्, कभी यह भी विचार उठा है जैसे मध्यकालीन भारत में या जो असभ्य राष्ट्र थे उनमें देवता के नाम पर नरमेध होता था । आज इनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने भी वही रूप रख लिया है । इस पंचवर्षीय योजना रूपी देवता के नाम पर सूबे के किसानों के नरमेध के लिये यह सरकार तैयार है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्लान किसके लिये है ? प्लान जनता के लिये है या जनता प्लान के लिये है । आज इस प्लान के नाम पर इस तरह से नर संहार, नर मेध नहीं होना चाहिये ।

आपके इस प्लान में जो त्रुटियाँ हैं उनको ठीक कीजिये और प्लान को काटछाँट कर ठीक बनाइये । आज टैक्स लगाकर नर संहार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

हमारे मुख्य मन्त्री, माननीय गुप्ता जी बड़े जोरों से भाषण देते हैं कि मैंने जनरल इलेक्शन में ही कहा था कि हम टैक्स लगायेंगे। फिर भी जनता ने हमको चुना। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने यह कहां कहा था कि आप लैंड टैक्स लगायेंगे। किस किसान से आपने कहा था कि अगर वोट दोगे तो भी हम टैक्स लगायेंगे? यह कभी नहीं कहा गया था। यह कांग्रेस के मैनीफैस्टो में भी नहीं है तो फिर किस आधार पर आप यह टैक्स लगा रहे हैं? इसके माने हैं कि आपने जनरल इलेक्शन में यह इश्यू नहीं बनाया कि आप टैक्स बढ़ायेंगे या नहीं।

श्रीमन्, जनतन्त्र की उधर से बहुत दुहाई दी जाती है। बार-बार मन्त्रिगण और उधर के साथी संसदीय प्रथा और जनतन्त्र के नारे लगाते हैं। लेकिन इसका सर्वमान्य सिद्धान्त है। आखिर अंतिम न्यायालय कौन है, अन्तिम निर्णायक कौन है? अन्तिम निर्णायक हमारे देश की जनता है। इसलिये हर इश्यू उसके सामने आना चाहिये। जो इश्यू जनरल इलेक्शन में नहीं आया उसके लिये फिर से मैनडेट देना चाहिये। क्या मुख्य मंत्री जी इस परम्परा की रक्षा करेंगे?

मैं इंगलैंड का सन् १९१० का उदाहरण दिये देता हूं। मेरे पास हैंसर्ड की रिपोर्ट है सन् १९१० की। उस समय मिस्टर स्क्वथ प्राइम मिनिस्टर थे। जैसा लैंड टैक्स आज आया है उसी प्रकार का लैंड टैक्स वह भी लाये थे। यह बिल योजना के नाम पर लाया गया था और वह जरमनी की बढ़ती हुई नाविक शक्ति के खिलाफ जहाज बनाने के नाम पर लाये थे। जिस समय उस पर हाउस आफ कामन्स में डिबेट हुआ तो मिस्टर बेलफोर जो लीडर आफ अपोजीशन थे उन्होंने कहा कि यह इश्यू जनता के सामने नहीं आया और सरकार चाहे जितने बड़े बहुमत में हो उसको इसके ऊपर जनता से मैनडेट प्राप्त करना चाहिये। उन्होंने मांग की इस पर जनरल एलेक्शन होना चाहिये। उस पर बोलते हुये मिस्टर स्क्वथ ने कहा था वह मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं--

"the time has come for this controversy which obstructs the whole part of progressive legislation to be sent for decisive arbitrament to the national tribunal."

उस मांग को स्वीकार करते हुये उन्होंने कहा कि मैं बिलकुल तैयार हूं जनरल एलेक्शन हो और उस पर हाउस आफ कामन्स भंग हुआ और जनरल एलेक्शन हुआ। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी जो जनतन्त्र की बड़ी दुहाई दिया करते हैं जनतन्त्र की इस समय परम्परा को मानने के लिये तैयार हैं कि विधान सभा भंग की जाय और इस इश्यू पर जनता के सम्मुख वह भी चलें और हम भी चलें? वह जनता के सामने कहें कि हम लगान बढ़ायेंगे और हम भी अपनी बात रखें और जनता का जो फैसला हो वह हमारे लिये मान्य हो। चुनौती देने में तो वह बहुत तेज हैं, लेकिन क्या वह इस चुनौती को मानने को तैयार हैं या नहीं? यह जनतन्त्र की चुनौती है। आज यह जनतन्त्र का फंडामेंटल प्रश्न है कि जिस चीज का डिस्कशन जनरल एलेक्शन में न हुआ हो, जो स्पेसिफिक इश्यू जनरल एलेक्शन में न रहा हो, अगर वह उसे भी करना चाहते हैं तो फिर से जनता का मैनडेट लें और जो जनता का मैनडेट हो उसको मानें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी या माननीय राजस्व मन्त्री जी मेरी इस बात का उत्तर अपने जवाब में अवश्य देंगे।

अब मैं ऐवरेज होल्डिंग और पर एकड़ ईल्ड जो अन्य देशों में है वह रख देना चाहता हूं। जापान में १९५० में एवरेज होल्डिंग इन एकर्स २.०२ है। गेहूं की पैदावार १९.१ है और चावल की पैदावार ३८.८६ है। यह सैकड़े में है। मिश्र में १९४८ में ऐवरेज होल्डिंग २.२६ था। गेहूं की पैदावार १६.५१, चावल की पैदावार २९.३६ और कपास की पैदावार ४.८२। इटली में १९४६ में एवरेज होल्डिंग, जो इटली हमारे देश की तरह है, छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं, आबादी अधिक है,

५.५८ एकड़ है। गेहूं की पैदावार १४.९९ है, चावल की पैदावार ४४.२७ है और कपास की पैदावार १.२५ है। यू० यस० ए० में १९५० में जो अपने ढंग का दुनिया में सबसे समृद्धिशाली देश माना जाता है, वहां ऐवरेज होल्डिंग २१५.५ है, गेहूं की पैदावार १०.९८ चावल की पैदावार २५.४५ है और कपास की पैदावार २.७७ है। कैनाडा में ऐवरेज होल्डिंग १९५२ में २७८.५० है और गेहूं की पैदावार १५.८९ है। अपने देश में १९४७ में ऐवरेज होल्डिंग ५.३४ एकड़ है जो जापान की दूनी है और हमारी गेहूं की पैदावार ५.८० है जबकि जापान में १९.०१ है। राइस १०.५३ जबकि जापान में ३६.८६ है और काटन ०.८० जबकि इजिप्ट में ४.८२ है। यह क्यों हुआ है? इसका कारण यह है कि इन्होंने पर एकड़ इन्टेंसिव कल्टीवेशन जिसको कहते हैं उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दिशा में न सरकार की कोई नीति है और न उसको बढ़ाने के लिये उन्होंने कोई कदम उठाया है। आज हमारे प्रदेश की दरिद्रता का कारण, हमारे प्रदेश के विकास के पिछड़े होने का कारण यही है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की कृषि नीति अगर ठीक नहीं रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि वहां की गड़बड़ होगी तो वह देश या प्रदेश कभी नहीं उठ सकता, ब्रह्मा भी उसको उठाना चाहें तो नहीं उठा सकता। इनके पास कृषि की कोई नीति नहीं है। वह कृषि नीति एक ही हो सकती है कि पीजेंट्स प्रोप्राइटरशिप हो और इन्टेंसिव कल्टीवेशन हो। उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है।

अब श्रीमन्, आगे आप देखें—

"the output of 1957-58 was only half a million tons more than the target of the First Plan and is short by 18 million tons from that of the second plan and by some 50 millions tons from what will be required in 1965."

प्लान बना दिया, टार्गेट रख दिया। लेकिन उस टार्गेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने मन्तव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। वहां तक पहुंचने में असमर्थ हैं और उस असमर्थता का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे प्रदेश के किसान को। गलती इनकी है और इस अन्धेरनगरी में उस गलती का दुष्परिणाम किसान के मत्थे पड़ता है। उसकी दुर्दशा होती है। इनको तो केवल यह कहना होता है कि वाह वाह, क्या बात है या जिसको माननीय राजस्व मन्त्री कहते हैं कायदे महफिल, उसके तो वह पंडित हैं.....

श्री हुकुमसिंह चिसेन—आदाब महफिल।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आदाब महफिल सही। मैं तो महफिल की बात ज्यादा जानता नहीं। महफिल में तो वही बैठते हैं और वही जानते होंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आदाब महफिल से काम नहीं चलेगा। काम सही नीतियों से चलेगा और वह सही नीति तब होगी जब सरकार के अन्दर शासन करने का दृष्टिकोण सही हो, उसके अन्दर उसकी पात्रता हो।

अब श्रीमन्, जो माल-न्यूट्रिशन है उसके बारे में देखिये—

"The average yield per acre has either declined or remained stationary and the area under irrigation has failed to increase and let aside the targets of the second plan it is still short of the target of even the first plan by as much as 25 per cent. Consequently the per capita supplies of foodgrains including imports have fallen short of requirements.

प्लान परफार्मेंस की हालत देखिये। किसी भी प्लान को अपने समय में पूरा नहीं कर सके। हमेशा हर प्लान का पिल ओवर, २५ परसेंट पिल ओवर प्लान में आता रहा है। उसको पूरा करने में जितना पैसा दूसरे प्लान में लग रहा है उतना पैसा इसके माने हैं उस प्लान में कम हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि जिस सरकार में यह पात्रता नहीं है कि वह अपनी योजनाओं को पूरा कर सके, जिसके अन्दर क्षमता नहीं है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके उसको क्या अधिकार है पैसा मांगने का? और वह प्लान पूरा क्यों नहीं होता? इसलिये कि गलत प्लान बनाते हैं। लेकिन बहाने लगाये जाते हैं कि कोयला नहीं मिला, सीमेंट नहीं मिली, फारेन एक्सचेंज नहीं मिला। आखिर प्लान के माने क्या हैं? प्लान

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

माने क्या चंडूखाने का सपना है? प्लान बनाते समय तो हर पासिबिलिटी और हर इवेन्चुएलिटी को लेना पड़ता है। अगर आपने इसको सोचकर प्लान बनाया और फिर भी नहीं पूरा हो सका तो इसके माने हैं कि आपका प्लान केवल चंडूखाने का सपना था और अगर इसको ध्यान में नहीं रखा और प्लान बना लिया तो यह शेखचिल्ली की कहानी है, प्लान नहीं है। ऐसी शेखचिल्ली की कहानी या चंडूखाने के सपने के लिये पैसा मांगना अन्याय है और इम्मारल है। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उसके लिये वह पैसा मांगे।

अब मैं इसके प्रशासकीय दृष्टिकोण को लेता हूं। इन्होंने जो प्रथम और दूसरा प्लान बनाया उसका सर्विसेज बिल क्या है इसको जरा देखें। मैं श्रीमन्, आई० सी० एस० और आई० पी० एस० की बात नहीं करता। मैं छोटे से छोटे नौकर चौकीदार सिपाही से लेकर ऊपर के अधिकारी तक की बात करता हूं कि इन सब का सर्विसेज बिल सम्पूर्ण प्लान में क्या है। इनका ४३ करोड़ के करीब वह बिल है। ६० करोड़ रेवन्यू अकाउन्ट से आमदनी और उस पर ४३ करोड़ का खर्चा है। यह खर्चा आपके राज्य को दिवालिया बना देगा।

आगे देखिये तीसरी प्लान में, जिसके लिये आप पैसा मांगते हैं, उसमें क्या है। तीसरी प्लान का सारा व्यय पहले प्लानों से सवाया है। अगर उसी प्रोपोर्शन से सर्विस बिल उसका भी लगाया जाय तो करीब ५३, ५४ करोड़ होगा। अगर तीसरे प्लान में ५४ करोड़ सर्विसेज बिल हुआ तो चौथे प्लान के आते-आते ९७ करोड़ का बिल आपका हो जायगा। इसके क्या माने हैं? इसके माने यह हुये कि उस सारे रुपये से सर्विसेज बिल का ही पेमेंट होगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आपका राज्य दिवालिया हो जायगा। उस समय चौथे प्लान के लिये आपके पास दमड़ी भी नहीं रहेगी। रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। कहां से आप पैसा लायेंगे? इसलिये इस समय श्रीमन्, इस प्रकार की बिभीषिका खड़ी करना एक अदूरदर्शित है। यह शासन का कौशल नहीं है। यह सरकार की अकुशलता है। इस बात को भी देखे कि इसका परिणाम क्या होगा? जिस चौथे प्लान के लिये रिसोर्सेज नहीं रह जायंगे, पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। जो आपके पास पैसा टैक्स से आयेगा वह तो सारा सर्विसेज बिल के लिये चला जायगा। तो बाकी मेंटनेंस कहां से होगा। जो आप बना चुके हैं उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने इसकी ओर ध्यान दिया? क्या कैबिनेट में इस प्रकार की बात आई? मैं समझता हूं निश्चित ऐसी बातें कैबिनेट के सामने आई होंगी। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में कैबिनेट ने क्या सोचा, परन्तु आशा करता हूं कि कोई भी साधारण बुद्धि का आदमी जिसको मिनिमम इन्टेलिजेंस भी है, वह भी यह सोच सकता है कि अगर हमारी आमदनी १०० रुपये है और ९७ रुपया नौकरों को दे दें तो ३ रुपये से कैसे काम चलेगा। कैसे रोटी चलेगी और कैसे दूसरे काम चलेंगे।

मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूं कि जिस प्लान के नाम पर आप आज किसानों की गर्दन पर टैक्स का कुल्हाड़ा चला रहे हैं उस टैक्स का परिणाम भयंकर होगा। उसका परिणाम होगा कि प्रदेश का दिवाला निकले और राज्य का दिवाला निकलने का अर्थ होगा कि समाज का दिवाला निकले। जिस समाज और राज्य का दिवाला निकलता है तो देश और प्रदेश की इकोनामी खराब होती है। उस समय फ सिज्म का प्रादुर्भाव होता है। यूरोप में क्या परिणाम हुये हैं? इटली में फासिज्म का जन्म, जर्मनी में नाजीज्म का प्रादुर्भाव इकानामिक क्राइसिस का कारण रहा है। हम सब जानते हैं कि चीन में कम्युनिजम का प्रादुर्भाव इकानामिक क्राइसिस के कारण ही हुआ है। इकानामिक क्राइसिस के कारण उस देश में तानाशाही आई। आप जिस डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, जिस डेमोक्रेसी की रोज कसमें खाई जाती हैं आज आप अपनी हठवादिता पर, अपने दुराग्रह पर उसी डेमोक्रेसी की भावी कबर खोद रहे हैं। जब राज्य का यहां पर दिवाला निकलेगा और देश दिवालिया बनेगा तो उस समय जो जनरोष खड़ा होगा वह जनरोष तानाशाही और अधिनायकवाद की तरफ जायगा चाहे वह तानाशाही लाल हो और चाहे काली हो। दोनों तानाशाही हैं। दोनों तानाशाही में रंग भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तानाशाही का प्रादुर्भाव ऐसे ही नहीं होता

है। उसका प्रादुर्भाव तब होता है जब लोगों के अन्दर नैराश्य उत्पन्न हो जाता है और जब लोगों के सामने भूख की बिभीषिका खड़ी हो जाती है। मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी इससे शिक्षा लें। मैं समझता हूं इस मन्त्रि मंडल में बुद्धि की कोई कार्यक्षमता नहीं रह गई है। इनके यहां तो ब्यूरोक्रेसी जो कह देती है वही इनके लिये वेद वाक्य है। उसीका यह आज परिणाम हो रहा है कि इसका दुष्परिणाम निकल रहा है। जब अविवेक की चरम सीमा होती है तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। "अविवेकः परमापदां पदम्"। अविवेक के कारण से ही आपत्तियां आती हैं। आज सरकार इस प्रकार के बिल को लाकर अपने सामने एक बिभीषिका खड़ी कर रही है।

श्रीमन्, इनका प्रशासन सुरसा की आंत की तरह से बड़ा और फैला हुआ है। उस का कोई ठिकाना नहीं। आप इकानामी का नारा लगाते हैं। आखिर जब आप टैक्स मांगते हैं तो आपको प्रमाण देना चाहिये कि जो पैसा है, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको आपने पूरा-पूरा उपयोग किया है, सदुपयोग किया है। क्या इसका प्रमाण आपने आज तक दिया? आपकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव कांफ्रेंस में, लखनऊ में ही, कहा गया था कि ५ करोड़ की बचत हो सकती है। आपने उस ओर कौन सा पग उठाया? जब तक गुप्ता जी मन्त्रिमंडल में नहीं आये थे उनके मित्र लोग बड़े नारे लगाते थे, शायद नवलकिशोर जी का बौद्धिक था जिसमें उन्होंने कहा था कि २० करोड़ की बचत हो सकती है। अगर मैं गलत कहता होऊं तो वे मुझे सही कर देंगे.....

श्री नवलकिशोर—२० करोड़ की बचत की बात मैंने कभी नहीं कही।

श्री यादवेन्द्रदत्त—शायद १२ या २० करोड़ की बचत की बात कही थी, वह बचत आज कहां काफूर हो गयी? क्या आपने बचत कर के प्रामाणिकता के साथ समाज को दिखाया कि हम बचत कर सकते हैं। क्या आपने उसके लिये क्लाइमेट बनायी? कोई वातावरण तैयार किया कि जिससे प्रदेश में, राज्य में इकानामी हो सके? उसके लिये आपने क्या कदम उठाये? आपने केवल उससे उल्टे जाकर बेकार पैसा फेंकने की बात की है। मन्त्रि मण्डल में ५२–५३ आदमियों की क्या आवश्यकता है? आपके ही यहां लड़ाई के समय लोग साइकिल से आते रहे हैं, पेट्रोल कूपन होने के बावजूद भी लोग सायकिल से आते रहे हैं, आप के मित्रों में से कितनों ने यह कष्ट किया है? मैं कहता हूं श्रीमन्, कि यह छोटी-छोटी बातें ही वातावरण बनाती हैं इकानामी के लिये। लोगों के अन्दर विश्वास होता है, कि हां, अब सरकार भी इकानामी करने की ओर चल रही है। इस तरफ कुछ भी नहीं किया गया है। आपके प्रशासकों ने जो कहा था ५ करोड़ की बचत करने की बात, वह भी आपने नहीं की।

श्रीमन्, अब दूसरा प्वाइंट और देखें कि क्या आपने टैक्स पूरा वसूल किया? कहना पड़ेगा कि नहीं वसूल किया। इसी सदन में प्रश्नोत्तर काल में सरकार की ओर से उत्तर आया है शुगर सेस के बारे में। अगर गलत हो तो दाऊ दयाल जी सही कर दें कि ६ या ७ करोड़ के करीब शुगर सेस का बाकी है। वसूल किया गया? किसान पर अगर दो रुपया बाकी रह जाता है तो आपका कुर्क अमीन पहुंचता है, उसे बांधा जाता है, चीजें नीलाम कर दी जाती हैं, लेकिन इन मिल मैगनेट्स पर आपने क्या किया? सम्भव है कि आप तर्क दें कि अगर हम सख्ती करेंगे तो मिल मालिक भाग जायेंगे। दो, चार मिलें नीलाम करके आप देखिये तो कि क्या होता है। मैं कहता हूं कि एक भी मिल मालिक नहीं भागेगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी मिल नीलाम हो। और अगर एक मिल मालिक भागेगा तो दूसरा आयेगा, कोई न कोई उसे खरीदेगा और अगर न खरीदे तो सरकार ही उस मिल को टैक्स के पैसे में ले सकती है। बिना पैसे के शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। केवल इसके लिये साहस की, दृढ़ता की आवश्यकता है। आप जरा दृढ़ होइये। आप धमकियों से क्यों डरते हैं। श्रीमन्, कानपुर में या इस प्रदेश में ५ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है.....

श्री उपाध्यक्ष—यह बातें २०, ३० बार कही जा चुकी हैं। आप सूक्ष्म में अपनी बात कहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं अपने प्वाइंट को बिल्ड अप कर रहा हूं। अगर आप न चाहते हों तो छोड़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जो कुछ कहना चाहते हों, जल्दी में कह दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अगर आप चाहते हों तो मैं बोलना ही बन्द कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—जो चीज कई बार रिपीट हो चुकी है, उसे बार-बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—तो इतना सेल्स टैक्स का बकाया पड़ा है। आप कहेंगे कि व्यापारियों ने दूसरे नाम रख कर टैक्स इवेड किया। आप क्यों नहीं सी० आई० डी० द्वारा उनको ट्रेस करते? क्यों नहीं उग्र शासन आप करते? टैक्स इवेजन रोक कर इकानामी करिये और तब आप अपनी बात कहें तो वह सुनने के योग्य हो सकती हैं, किन्तु आज की स्थिति में यह बात सुनने के योग्य नहीं है।

श्रीमन्, मैं इसके साथ एक उदाहरण दूं कि इनके प्रशासन में कितनी ओवरलैपिंग है, इस पर इकानामिक दृष्टि से विचार किया जाय। मैं आपको बताऊं कि माननीय गुप्ता जी ने मेरे सुझाव को स्वीकार किया इसी सदन में कि इकानामी कमेटी बनाई जाय, परन्तु आज तक इकानामी कमेटी नहीं बुलाई गई। उससे क्या एक बार भी विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता था? क्या प्रशासन की ओवरलैपिंग को कम करने की कोशिश की गई? नहीं की गई। परन्तु यह की जानी चाहिये थी। इसके उचित अनुचित पर विचार किया जाना चाहिये था। इससे साफ स्पष्ट है कि इस प्रशासन में ढीलापन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। शाहजहांपुर में बड़े-बड़े कलेक्टरों के कम्पाउण्ड हैं, परन्तु उन पर सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। वहां पर डी० एम० के बंगले में तम्बाखू की खेती होती है। प्लान में तो ट्यूबवेल्स बनाने के लिये पैसा जनता से लिया जाता है, परन्तु उसका पानी जाता है डी० एम० साहब के बंगले में। उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। उनके बंगले में कम से कम ढ़ाई तीन हजार रुपये की तम्बाकू पैदा होती है। इस तरह से आप अपनी सर्विसेज को अर्न करने का मौका देते हैं। आप ऐसा करके ईस्ट इंडिया कम्पनी के मार्गों का अनुसरण करते हैं। जो अपने नौकरों को तनख्वाह भी देती थी और व्यापार करके पैसा भी कमाने की खुली छूट थी। मैं यह कहूंगा कि इसको रोका जाना चाहिये। तभी आपके प्रशासन में लोगों को विश्वास होगा।

एक बात और कही गई अनइकनामिक होल्डिंग के बारे में। हमारे राजस्व मन्त्री जी ने इसकी बहुत चर्चा की है। प्रश्न यह है कि इकानामिक और अनइकानमिक होल्डिंग का निर्णय कैसे किया जाय? आज मेरे पास जमीन तो है, परन्तु पैसा न होने के कारण और साधन और क्षमता न होने के कारण मेरी शक्ति नहीं है और मैं उसपर पूरी मेहनत नहीं कर सकता, उसका सजाव नहीं कर सकता हूं। तो क्या वह जमीन अनइकनामिक हो जायगी। यदि मेरे पास सिंचाई के साधन नहीं है तो क्या वह जमीन इकनामिक नहीं रहेगी। किसी किसान को मंडी पड़ती है और किसी को दूर पड़ती है किसी को ढुलाई नहीं देनी पड़ती है और किसी को ढुलाई देनी पड़ती है तो आप कैसे इकानामिक और अनइकानामिक का निर्धारण करेंगे? यह तो ऐवेलेबिलिटी और नियरनेस आफ दि मारकेट पर ही निर्भर करती है। इसलिये इन सारी बातों को दृष्टि में रखकर ही तब इकानामिक और अनइकानामिक होल्डिंग का निर्धारण होना चाहिये।

वास्तव में यदि देखा जाय तो साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि अनइकानामिक ही कही जायगी। यह जो ८ एकड़ वाली बात कही जाती है यह बिलकुल निराधार है। आज इस प्रदेश की गरीबी के कारण और किसानों की साधनहीनता के परिणामस्वरूप और मालन्यूट्रीशन के कारण आज सभी होल्डिंग अनइकानामिक हैं। इस तरह से आप देखें तो थोड़ी सी होल्डिंग्स ही इकानामिक कहलायेंगी। ऐसी स्थिति में इसपर टैक्स लगाना और इकानामिक और अन-इकानामिक होल्डिंग की बात करना और भेद-भाव करना यह गलत है।

श्रीमन्, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। आपके ही यहां के बम्बई राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्री प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि "लैंड टैक्स इज नथिंग बट अपहीवेल"। आज आप किसानों की सहनशीलता की चरम सीमा को पार कर गये हैं और जिसका परिणाम यही अपहीवेल होता है। आज हमारी बाह्य स्थिति क्या है, इस पर विचार करना चाहिये। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के षडयन्त्र हमारा सत्यानाश करने पर लगे हुये हैं। आज आवश्यकता है कि देश और राज्य की सारी शक्ति को सबल बनाने की।

श्री उपाध्यक्ष—डिफेंस की चीज इस बिल से फार आफ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—वह फार आफ है, लेकिन जब तक देश में शाँति व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो आपके नियोजन की क्या हालत होगी ? ऐसी स्थिति में आज एक कन्ट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन ला देना उचित नहीं है। अगर आज कोई भी भयंकर स्थिति देश के अन्दर पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी इस काँग्रेस सरकार पर ही होगी, दूसरों पर नहीं।

अब मैं थोड़ा इस बिल की वास्तविकता के ऊपर कहूंगा। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया था। आज प्रदेश में बाढ़ की बिभीषिका बड़ी तेज है। आप कहते हैं कि जहाँ बाढ़ आयेगी वहाँ नहीं लगायेंगे, लेकिन वह नहीं है। एक साल बाढ़ आने का दुष्परिणाम यह होता है कि उसकी बिभीषिका ४-५ साल तक चलती है। आज बाढ़ के कारण पूर्वांचल और पश्चिमाँचल नष्ट हो गया। हमारी कृषि की हालत खराब है, बाढ़ की बिभीषिका ने नष्ट कर रक्खा है, आर्थिक ढांचा भी खराब है, ऐसी स्थिति में टैक्स लगाना अनुचित है। किसी भी टैक्स का परिणाम बुरा होता है, उससे इन्फ्लेशन होता है। पैसा ज्यादा खर्च होता है और महंगाई ज्यादा बढ़ती है। क्या राज्य सरकार सोचती है कि ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशनरी मेजर लाना बुद्धिमानी है ?

श्री उपाध्यक्ष—टैक्स से इन्फ्लेशन कम होता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जी नहीं, मैं कहता हूं वह बढ़ता है। योजना के नाम पर आप पैसा लगायेंगे, खर्च करेंगे, इससे प्राइस बढ़ेगी और उसका कारण होगा कि योजना में गड़बड़ी पैदा होगी। इसलिये इसको लाने की आवश्यकता नहीं थी।

दूसरा परिणाम यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो वेजेज बढ़ेंगे, और फिर पाइसेज भी बढ़ेंगी। ज्यों-ज्यों इस तरह महंगाई बढ़ती जायेगी आपकी योजनाओं पर खर्चा बढ़ता जायेगा और वह असफल होती जायेंगी।

इसके अलावा इस ऐक्ट में जो ट्रस्ट्स हैं, चैरीटेबिल लैंड्स हैं, इन्सीटीट्यूशनल लैंड्स हैं, उनको तो कम से कम माफ करना चाहिये था। उन पर भी टैक्स लगाना गलत है।

श्रीमन्, टैक्स लगाने के मानी यह होंगे कि उससे सेविंग घटेगी। आज उसकी आर्थिक हालत खराब है और उसके कारण जो टैक्स उसको देना पड़ेगा वह अपनी लीगल सेविंग में से ही निकाल कर देगा। उसकी खेती के लिये, खाद, पानी और मजदूरी के लिये पैसा चाहिये, वह कम होगा। इसलिये उसकी लागत कम होगी और खेत की फसल कम होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरेगा। इसलिये यह टैक्स लगाना बुद्धिहीनता का लक्षण है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

उपाध्यक्ष महोदय, किसान को टैक्स के विरुद्ध जज के यहां अपील करने का अधिकार भी इस सरकार ने नहीं दिया है । यह सरकार जजेज से क्यों घबराती है ? इसने ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को यह अधिकार दिया है । यह इसलिये किया है कि सरकार समझती है कि इस टैक्स का लगाना न्यायपूर्ण नहीं है । जजेज का दृष्टिकोण जुडिशियस होता है, एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है । एग्जीक्यूटिव का अफसर इसी फेर में रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कर के रूप में सरकार को दिलवा सके । इस प्रकार किसान को इस सरकार ने न्याय से भी वंचित किया है । न्याय पाने का अधिकार हरएक आदमी को है । मैं तो देख रहा हूं कि इस सरकार की कुछ परिपाटी सी बन गई है । अभी अरबन लैंड टैक्स आया । उसमें भी अपील सुनने का अधिकार जजेज को नहीं दिया है । यह सरकार जुडिशरी की सर्चलाइट अपने कुकर्मों पर नहीं पड़ने देना चाहती है । इसका भीषण परिणाम यह होगा कि ब्यूरोक्रेसी और सबल होगी । यही ब्यूरोक्रेसी प्रबल है और इस अधिकार के पाने के बाद यह सरकार ब्यूरोक्रेसी की दास हो आज जायगी । हालत वैसी ही हो जायगी कि घोड़े के ऊपर सवार नहीं रहेगा, बल्कि सवार के ऊपर घोड़ा होगा ।

श्रीमन्, इस विधेयक में एकाउन्ट्स का प्रावीजन है कि किसान अपने हिसाब के बारे में बतावे । कौन किसान अपने एकाउन्ट्स रखता है ? इसके मानी यह होंगे कि कचहरियों में एकाउन्ट्स बनानेवालों का दल पैदा हो जायगा । जो किसान अपने एकाउन्टस नहीं देगा उसके ऊपर मनमाने ढंग से टैक्स ठोक दिया जायगा । अगर किसान हिसाब बनवाता तो है उसे पैसा देना होगा और उससे उसका खर्च बढ़ेगा । भले ही इस टैक्स से मुख्य मंत्री जी के खजाने में अधिक रुपया आ जाय मगर किसान की आमदनी गिरेगी ।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह कहा गया कि सिर्फ ५ साल के लिय यह टैक्स लगा रहे हैं, यानी सन् १९६४–६५ तक । तो इसे अभी से पास करने की क्या जरूरत है ? क्या मुख्य मंत्री ने सोच लिया है कि सन् ६४ में यह विधान सभा नहीं रहेगी, इसलिये अबकी बार तीर छोड़ कर मार ले जाओ पीछे जो हो सो हो ? अगर सरकार इस बिल को सही समझती है तो वर्ष प्रति वर्ष लावे । यह ४, ५ साल का अधिकार क्यों एक साथ लिया जा रहा है ? इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण है कि सन् १९६५ में इलेक्शन होगा । किसानों के ऊपर अब जो टैक्स का कुल्हाड़ा चलाया गया है, उस समय इसे समाप्त करके कहा जायगा, उस समय यह मक्खन लगाया जायगा, कि देखो, हमने टैक्स समाप्त कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बार माननीय मुख्य मंत्री जी दुहाई देते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि जैसे मानो साक्षात् भगवान ने कुछ कह दिया हो कि तुम इतना पैसा लाओ तब हम इतना रुपया देंगे । लेकिन वहां कहीं इस तरह की मैचिंग ग्रान्ट की शर्त नहीं है । उन्होंने तो यह कहा है कि हम तो तुमको इतना रुपया देंगे, अब तुम इतना कर सकते हो तो करो । तो उसे मैचिंग ग्रान्ट कहकर किसान की हड्डी से कुल्हाड़ी मार कर पैसा निकलना शब्दों का ट्रिवस्टिंग है ।

इसी सदन में या शायद बाहर यह भी कहा गया मुख्य मंत्री द्वारा कि मैं क्या करूं, यह तो मेरे से पहले जो मंत्रिमंडल था उसने वायदा किया था और उसे पूरा करना है । इसके ऊपर माननीय सम्पूर्णानन्द जी का क्लीयर कट स्टेटमेंट है, जो उन्होंने माननीय लालबहादुर शास्त्री को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मेरा कोई कमिटल नहीं है । तो यह सरकार अपनी जबान को भंग करती है, वायदा-खिलाफी करती है, विधान सभा में एश्योरेंस देने बाद उन्हें तोड़ती है । उसने किसानों में विश्वास खत्म कर दिया है । मैं समझता हूं कि यह तर्क देना कि प्लानिंग कमीशन जबरदस्ती कर रहा है, यह तथ्यहीन है । यह ऐसा ही है जैसे कि "ए ड्रंकार्ड बोइंग ड्रिविन फ्राम पिलर टू पोस्ट", जैसे एक शराबी मद-मस्त होकर इधर-उधर झूमता फिरता है वैसे ही यह सरकार कर रही है । इसके तर्कों के पीछे कोई सार नहीं है ।

में समाप्त करने से पहले एक बात मुख्य मंत्री जी से अवश्य कह देना चाहता हूं । जो बाते मैंने निवेदन की हैं उन्हें देखते हुए किसानों का लगान आधा होना चाहिये था जो उनकी आज की आर्थिक स्थिति की माँग है । वह न करते हुए लगान बढ़ाने का दुष्परिणाम यह होगा कि किसानों के अन्दर एक उबाल उत्पन्न होगा जिसकी विभीषिका से उसके अन्दर क्रोध उत्पन्न होगा । उसमें अगर प्रांत में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, शांति व्यवस्था भंग हुई, तो उसकी सीधे-सीधे जिम्मेदारी इस काले कानून के ऊपर होगी और इसके जनक और प्रवर्तक माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर होगी । वह इसे व्यावहारिक दृष्टि से देखें, उपादेयता और आर्थिक दृष्टि से देखें । वह यह साबित नहीं कर सके कि उन्हें पैसे की जरूरत है, यह साबित नहीं कर सके कि उनकी योजनाओं से प्रदेश के किसानों को लाभ हुआ है । या वह मितव्ययिता कर रहे हैं । ऐसी हालत में इनका कोई केस नहीं है और यह टैक्स लगाना अनर्गल और बुद्धिहीनता की बात है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का दुराग्रह और हठवादिता छोड़कर इस काले कानून को वापिस लेकर जनता को बचावें । इस बिल की जो गलतियाँ और अव्यावहारिकता है वे बराबर इस बात का द्योतक हैं कि यह बड़ा हेस्टी और अविवेकपूर्ण काम किया जा रहा है और यह टैक्स गरीब किसानों के ऊपर लादा जा रहा ऐसे समय में । इसके पीछे कोई विचार नहीं है तर्क नहीं है । इसके परिणामस्वरूप स्थानीय कर लगाने वालों में भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है । इसलिये आवश्यक है कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेशन में भेजा जाय जिससे इस विषय पर सभी दृष्टियों से विचार हो सके और इस अहम मामले पर जनमत संग्रह होना चाहिये । जनमत संग्रह के बाद पुनः इस पर विचार हो । डैमोक्रेसी की रक्षा की दृष्टि से, मैं फिर दोहराता हूं, जैसा इंगलैंड का उदाहरण है कि १९१० में नये टैक्सेशन के मामले पर पार्लियामेंट डिजाल्व कर दी गई और फिर से, वह ईश्यू बनाकर, इलैक्शन हुआ, उसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी जनतंत्र की रक्षा के लिये विधान सभा को भंग करें । फिर से इलेक्शन कराये और वह भी इसी इश्यू पर हो कि लगान बढ़ाया जायगा या न बढ़ाया जाय । अगर जनता का निर्णय हो कि लगान न बढ़ाया जाय तो माननीय मुख्य मंत्री जी को यह निर्णय मान्य होना चाहिये क्योंकि डेमोक्रेसी का यह तकाजा है ।

उस दिन २३७ लोगों ने यह लिख कर दिया कि इस बिल को वापस लिया जाय । वे सब जनता के प्रतिनिधि हैं । इसके अतिरिक्त २,९६,००० फैमिलीज ने हस्ताक्षार करके दिये कि इस बिल को वापस लिया जाय । आज सारे प्रदेश के किसानों की यह माँग है कि इस बिल को वापस लिया जाय । लेकिन यह सरकार हठवादिता पर अड़ी हुई है । मेरी बात सत्य है या नहीं, अगर सरकार इसको देखना चाहती है तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस बिल की वोटिंग से हिचक को हटा लें । मैं दावे के साथ कहता हूं कि ६८, ७० प्रतिशत वोट इस बिल के खिलाफ पड़ेंगे ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सदन से यह आग्रह करूंगा कि वह मेरे इस प्रस्ताव को, कि यह बिल ६ महीने के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाय, स्वीकार करेगा और माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस लेकर सारे प्रांत की शांति और व्यवस्था को भंग होने से बचायें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने जो यह जोतकर विधेयक पेश है, उसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि 'उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो अपना प्रतिवेदन २ महीने के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, आज जब कि यह विधेयक पेश हो रहा था, मैं विधान सभा के बाहर देख रहा था कि बहुत से साथी सत्याग्रही पुलिस के द्वारा घसीटे जा रहे थे । मैं नहीं समझता कि इस बिधेयक के पेश होने के साथ-साथ हमारी सरकार का जो संतुलन है वह भी क्यों बिगड़ रहा है और

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

उन सत्याग्रहियों को, जो विधान सभा के बाहर इस बिल के विरुद्ध अपना शांतिपूर्ण रोष प्रकट कर रहे हैं, उनको पुलिस के द्वारा घसीटा क्यों जा रहा है ? मैंने अपनी आँखों के सामने एक सत्याग्रही को देखा कि वह लेटा हुआ था और पी० ए० सी० के दस जवानों ने उसको घसीट कर बीच सड़क में डाल दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—पांडेय जी, आप विधेयक पर ही बोलें ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं संबंधित विषय पर ही बोल रहा हूं । उस सत्याग्रही के सिर पर चोटें आयी हैं । माननीय गृह मंत्री जी सदन नेता मेरे साथ चलें, मैं उस सत्याग्रही को दिखला सकता हूं अगर वह सत्याग्रही जेल में पहुंचा हो तो वे उसको वहां देख सकते हैं । इंसानियत के नाते इस प्रकार की घटनाओं की वे जांच करायें और जिस पुलिस के सिपाही ने उस सत्याग्रही, के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है उस के खिलाफ ऐक्शन लें ।

अब मैं इस विधेयक के बारे में कह रहा हूं । मुझे आशा थी कि यह विधेयक वापस ले लिया जायगा क्योंकि .....

श्री उपाध्यक्ष—आप इसी बिल तथा अपने संशोधन के बारे में चाहे जो कुछ बोल सकते हैं लेकिन, इधर उधर की बात कह कर आप हाउस में हीट पैदा न करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—हम लोगों का तो खून चूसा जा रहा है और आप कहते हैं कि हमीं हीट (गर्मी) पैदा कर रहे हैं ।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । माननीय पांडेय जी ने जो इस प्रकार की बात की, उनको चेयर के साथ इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये थी । इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—पांडेय जी, आप बोलें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुमत दल को शांतिमय तरीके से हमारी बातें सुननी चाहियें और मेरे जजबात का आदर करना चाहिये । यह मेरे जजबात नहीं हैं बल्कि ६५ प्रतिशत जनता के जजबात हैं जिनका प्रतिनिधित्व यहां के विरोधी दल बैठकर कर रहे हैं । आप उधर केवल ३५ प्रतिशत के बल पर बैठे हुए हैं पर मेरे जजबात का आदर नहीं करते । इसका भी आपको सलीका नहीं है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं कह तो रहा हूं कि आज जो यह विधेयक पेश है, यह ऐसा विधेयक है जिसके संबंध में जनता के नुमाइन्दों को सदन के अन्दर और बाहर जिस तरह से हो सके, इस विधेयक को वापस लेने के लिये सरकार पर दबाव डालना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष—जब आपने संशोधन पेश कर दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस बिल के प्रिंसिपल को मानते हैं, फिर इसे वापस लेने का सवाल कहां से आता है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप बोलने नहीं देते तो मैं क्या बोलूं ? आप कहें तो मैं बोलूं और आप कहें तो न बोलूं, बैठ जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन को वापस लेने का क्या सवाल है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे सुन सकेंगे ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इसे जनमत संग्रह के लिये वापस लेने की बात कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रवर समिति में भेजने की बात आप कह सकते हैं । आप कहें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप मेरी भावना का आदर नहीं कर रहे हैं । आप मेरी भावना का आदर कीजिये और जरा समझने की कोशिश कीजिये तथा मुझे कहने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने अमेंडमेंट पर बोलिए ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि माननीय सदस्य ने आपके लिये कहा—"आप समझने की कोशिश कीजिये ।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तो कांग्रेसी लोग बहुत उचकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं । नरसिंहनारायण जी भाषण जारी रक्खें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक जो पेश है, अगर उसे सही तरीके से देखा जाय तो मालूम होगा कि जो विधेयक के बनाने वाले हैं उनको सही तरीके से ड्राफ्टिंग तक करना नहीं आया है । जिस समय खंड वार विवाद चलेगा, उस समय मैं इन गलतियों की तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । लेकिन इस समय तो मुझे केवल यह कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो ८५ प्रतिशत किसान हैं उनकी इच्छा के खिलाफ यह विधेयक पेश किया गया है । अगर उधर के बैठने वाले हमारे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जनता ने बहुमत देकर उनको शासनारूढ़ किया है, तो उनका यह फर्ज हो जाता है कि वे उन निरीह किसानों की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें । लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार ने हमारे किसानों की स्थिति को समझने की जरा भी फिक्र तक नहीं की । दो पंचवर्षीय योजनायें बीतने के बाद भी इस सूबे के किसानों की स्थिति में कहीं बदलाव होता, उनकी आमदनी में कहीं बढ़ोत्तरी होती, लेकिन उनकी आमदनी दिन पर दिन ह्रास की तरफ चली जा रही है ।

नदियों ने आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो कुछ भी उनके खेतों में पैदा होता है, उसमें से क्या वे अपने बच्चों को खिलावें-पिलावें, तथा क्या मालगुजारी दें ? वह भी आज उनकी ऐसी स्थिति इन नदियों के बाढ़ के कारण नहीं रह गयी है कि वह अपने दोनों समय के भोजन का भी प्रबन्ध कर सकें, सरकारी खजाने में मालगुजारी देना तो दूर रहा । अगर देखा जाय तो हमारे किसानों से कुर्क अमीन मालगुजारी वसूल करने के लिये ६० परसेंट वारन्ट और कुर्की जारी करने के बाद ही कहीं वसूलयाबी कर पाते हैं । यही इस बात का सबूत है कि आज हमारी हैसियत क्या है और किस हैसियत के ऊपर हम कर भार का नाम लेते हैं । आप कहते हैं कि इस विधेयक के उद्देश्य और नीति में यह लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, हम चाहते हैं ऐग्रीकल्चर की आय बढ़ाना और उसके लिये विभिन्न तरीके के साधन मुहइया करना । लेकिन क्या आप का यह लक्ष्य पूरा हुआ है आज तक ? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो ट्यूबवेल्स और नहरें आपने बनायी हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो पा रहा है । आज किसान की स्थिति इतनी नहीं रह गयी है कि वह उन ट्यूबवेल्स से और उन नहरों से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई तक कर सके । स्थिति यह हो रही है कि जो साधन हमारे विकास के लिये भी मुहइया किये जायं उनके लिये भी हमारी परचेजिंग कैपेसिटी या पेइंग कैपेसिटी नहीं रह गयी है कि हम सही तरीके से पानी भी खरीद सकें अपनी खेती के लिये और उसका परिणाम यह है कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

है जिन योजनाओं के लिये सरकार ने ७ करोड़ रुपया प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर खर्च कर दिया । लेकिन दूसरे भी समाजवादी मुल्क जैसे रूस और चीन हैं और चीन तो हमारी आजादी के दो साल बाद आजाद हुआ है और अगर हम उसी का मुकाबला करें तो हम देखेंगे कि वहाँ विकास का क्या ढंग है ? बड़े ही संतुलित ढंग से वहाँ विकास हो रहा है । रूस में भी एक संतुलित और सर्वाङ्गमुखी विकास हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं है कि यह योजना हमारे मुल्क को कहाँ ले जायगी ।

आप देखें कि अपने यहाँ दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितने पानी पीने के कुओं का निर्माण हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि कितने गाँवों को रोटी रोजी के प्रश्न पर आत्म निर्भर बनाया गया ? कितने गाँवों में ऐसी स्थिति पैदा की गयी कि लोगों की बेरोजगारी दूर हो उसके कितने गाँवों में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि जिससे यह हम सोच सकें तथा विश्वास हो सके कि हमारा लक्ष्य किधर है । आज इसके विपरीत हो क्या रहा है ? केवल विकास के नाम पर कुछ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स नियुक्त किए जा रहे हैं और कुछ बड़े-बड़े आफिस खोले जा रहे हैं, कुछ विभिन्न जगहों पर आफिसरों की खुशी के लिये, उनके ऐश व आराम के लिये कुछ साधन मुहइया किये जा रहे हैं और उसके विरुद्ध ८५ फीसदी किसानों का किसी तरह से कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है । यह आपके प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में विकास का नक्शा है । मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि अपनी सारी विकास योजनाओं पर संतुलित ढंग से पैसा खर्च किया होता और हर प्रकार से वहाँ पर उनका विकास हुआ होता, शिक्षा का विकास आपने किया होता, बेकारों को इम्प्लायमेंट दिया होता, खेती के लिये विभिन्न प्रकार के औजारों को तैयार कराया होता, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न तरह के खाद और बीजों का प्रबन्ध किया होता, अच्छी नहरें और ट्यूबवेल्स लगाये होते तो हम समझते कि आज यह सरकार विकास की तरफ जा रही है । लेकिन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद यह सरकार गाँवों की तरक्की नहीं कर पायी जो हमारे विकास की सबसे बड़ी इकाई है । सारा पैसा फिजूलखर्ची म और अफसरशाही में खर्च हो रहा है । यह पता नहीं चलता कि ७ सौ करोड़ रुपया जनता का कहाँ चला गया ?

तो आज जो विकास के लिये रुपया मांगा जा रहा है और किसान के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और ऐसे विकास के लिये जिसका शिर और पैर नहीं है उसको देने के लिये किसान तैयार नहीं है । मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है कि आज यह सरकार "standing hamlet w thout the king of Denmark" बिना राम के रामायण की कहानी आज यह सरकार कहने जा रही है और उसी तरह से हमारी हालत हो रही है । कोई उनके पास न नक्शा है और न तजवीज है और प्लान के नाम पर करोड़ों रुपया इस तरह से फजूलखर्ची में बरबाद हो रहा है । अगर देखा जाय तो सारे भारत में सबसे अधिक मालगुजारी का भार इस प्रदेश में है । यहां पर प्रति एकड़ मालगुजारी ४ रुपये से अधिक है, वह सवा ४ रुपये के करीब है जब कि दूसरे प्रदेशों में मालगुजारी यहां से बहुत कम है । लेकिन इसके बावजूद भी सरकार बढ़ी हुई मालगुजारी होते हुये भी किसानों पर और टैक्स लगाने जा रही है । जिस समय हमारे यहां जमींदारी उन्मूलन हुआ था उस समय हमारे इन्हीं माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि हम ४० वर्ष तक कोई मालगुजारी नहीं बढ़ायेंगे और भूमिधर हमें दस गुना लगान दें । मैं उन्हीं के शब्दों को यहां फिर दोहराऊंगा, सन् १९५० में उन्होंने इसी विधान सभा में कहा था, यह उनका ७ जुलाई, सन् १९५० का भाषण है जो पृष्ठ ३०१ पर दिया हुआ है । उन्होंने कहा था कि "जो वादे भूमिधरों से किये गये हैं उन को सरकार बखूबी पूरा करेगी और वह उन्हें हर प्रकार से पूरा करने के लिये तैयार है और सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती । लिहाजा हम ४० वर्ष की मियाद को हटा कर २० वर्ष नहीं करना चाहते । हम काश्तकारों और भूमिधरों की मालगुजारी नहीं बढ़ाना चाहते । हम ४० वर्ष में बन्दोबस्त करना चाहते हैं ताकि ४० वर्ष तक वही मालगुजारी बनी

रहे । बन्दोबस्त के माने यह नहीं हैं कि मालगुजारी बढ़ाई ही जाय, बहुत सी जगह मालगुजारी कम हो जाती है, बहुत सी जगह उतनी ही रहती है और बहुत सी जगह उस में इजाफा भी होता है । सरकार चाहती है कि काश्तकारों और भूमिधरों को मालगुजारी में ४० साल तक कोई इजाफा न हो सके ।"

जब आपने यह प्लेज किया था कि ४० साल तक भूमिधरों की मालगुजारी में कोई इजाफा न होगा तो क्यों आज यह टैक्स विधेयक लाया जा रहा है और क्यों सरकार अपने वायदे के खिलाफ जा रही है जब कि इसी विधान सभा में यही माल मंत्री जी कह चुके हैं कि इजाफा नहीं होगा तो आज क्यों वह अपने वादे से मुकर रहे हैं ? आज जब हम कहते हैं कि अंग्रेज खून चूसते थे तो आप तो हड्डी तक चूस रहे हैं और मंत्री जी इस को वापस भी लेने की बात नहीं करते । अगर वह ऐसा ही करते तो सदन समझता कि अब भी उनके अन्दर हया है और आज भी उन के दिल में किसानों का प्रेम है और वह चाहते हैं कि उन पर कर भार न पड़े । लेकिन उनकी तरफ से आज केवल ८ एकड़ की बात कही जाती है जैसी कि उन्होंने तस्वीर पेश की है कि वह ७ से ८ एकड़ तक छूट देना चाहते हैं। इस विधेयक में कोई छट की बात नहीं दी हुई है। वह अपने भाषण में उद्देश्य और नीति के सम्बन्ध में कहते हैं कि हम ७ से ८ एकड़ तक छूट देना चाहते हैं और अनएकानामिक होल्डिंग को फ्री कर देंगे । इस तरह से आप स्वयं अपने बिल में दिये हुये उद्देश्य और नीति के खिलाफ आचरण करते हैं । अच्छा होता कि आप इस विधेयक को अच्छी तरह से सोच समझ कर और विचार कर के पेश करते और उस अवस्था में एक अधिक अच्छा और परिमार्जित बिल आप यहां ला सकते थे । आप अब जब विरोध चारों तरफ देखते हैं तो कहने लगते हैं ठीक है हम अनएकानामिक खातों को फ्री कर देंगे । इससे प्रदेश के किसानों को बहुत परेशानी होगी । प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि अब यह सरकार हमारा भला नहीं कर सकती है । उसने समझ लिया है आज जितनी उसके ऊपर मालगुजारी है उतनी मालगुजारी लोटा, थाली को बेच कर खेत और जेवर को गिरवी रख कर किसी तरह से दे पाते हैं उसके बाद भी सरकार समझती है कि हमारे घर में खजाना है जिसको निकालना चाहती है तो यह कहां का न्याय है ?

मैं समझता हूं सरकार के पास दूसरे स्रोत हैं, मैंने २८ जुलाई को मुख्य मंत्री को ७, ८ पेज का पत्र लिख कर भेजा था मुख्य मंत्री जी की शिकायत रहती है कि आप लोग सुझाव तो देते नहीं जहां से बिना टैक्स लगाये रुपया वसूल हो जाय जिससे विकास के काम आगे बढ़ें और कहते हो कि टैक्स न लगायें, तो मैंने सुझाव दिये थे कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये उससे सरकार को काफी आमदनी होगी। इसके अलावा जो सेल्स टेक्स का पैसा पूंजीपतियों पर बाकी है, केन सेस का रुपया बाकी है उसको वसूल कीजिये । १९६०–६१ की केन्द्रीय सरकार की आडिट रिपोर्ट में दिया है कि ३०० करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का पूंजीपतियों पर पूरे देश में बाकी है और हमारे सूबे में ही करीब ६० करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का बाकी है । सरकार क्यों नहीं कहती केन्द्रीय सरकार से कि यह रुपया हमको अनुदान के रूप में दे दें हम उसको वसूल कर लेंगे ? लेकिन ऐसा सरकार कभी नहीं करेगी । समझ में नहीं आता आखिर सरकार क्या चाहती है ? जो गरीब हैं, बेजुबान हैं जिन पर जुल्म होता है वह बरदाश्त करते हैं उन्हीं से रुपया वसूल करना चाहती है और जो बोलता नहीं उसी को मार कर टैक्स वसूल करना चाहते हैं, यह काबिले बरदाश्त नहीं है । सारी जनता ने इसको समझ रखा है यह सरकार अब किसान, मजदूरों की नहीं रह गई है बल्कि पूंजीपतियों की सरकार हो गई है । पिछले दिनों मैंने सबूत रखा था, एक पत्र पढ़ कर सुनाया था जो कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड को उसने चेक भेजा था । जो सदस्य उधर के बैठने वाले हैं वे समझ लें सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय करण करना चाहती बावजूद विरोधी दलों की मांग के, जनता की मांग के ? एक उसका कारण यही है कि हम लोग तो चुनाव में पैदल और साइकिलों पर चलते हैं जब कि कांग्रेस की पचासों मोटरें चलती हैं । यह सब पैसा कहां से आता है ? कपड़ा, कम्बल बटने लगते हैं, यह सब पैसा कहां से आता है ? यही मिल मालिक देते हैं । हमारे यहां के एक मिल मालिक पर ४० लाख रुपये के करीब बाकी हैं चूंकि वह रुपया नहीं देना चाहता था इसलिये सरकार को खुश करने के लिये चुनाव के समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

के पास पहुंचा और हमारे उधर के नेता के पास पहुंचा । उसने कहा हमारे ऊपर ४० लाख रुपया बाकी है हम चुनाव के लिये १७,५०६ रुपया का चैक काट कर दे रहे हैं । चुनांचे १७,५०६ रु० का चैक डायमन्ड शुगर मिल, पिपराइच ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड को २२-१-६२ को दे दिया । यह मेरे पास ओरिजिनल लेटर हैं और ४० लाख रुपया उनसे अभी तक वसूल नहीं हुआ । इसमें लिखा हुआ है "प्रिय बन्धु, संस्था के लिये भेजा हुआ आपका १७,५०६ रुपये का चेक प्राप्त हुआ । धन्यवाद । प्राप्ति की रसीद संख्या ५२६२ संलग्न है ।" भवदीय लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल, ऐकाउन्टेन्ट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड, कैसर बाग, लखनऊ का यह पत्र है ।

मैं कहता हूं कि ७० चीनी मिलें हैं और करोड़ों रुपया बकाया है उसे वसूल किया जाय । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री इसी सदन में और सदन के बाहर कह चुके हैं कि आजकल चीनी मिल मालिकों की हालत बहुत खराब है । जब हम कहते हैं कि गन्ने का भाव बढ़ाओ तो कहा जाता है कि मिल मालिक दक्षिण भाग जायगा और वह स्थिति में नहीं है कि किसान को जितना दे रहा है उतना भी दे सके । यह नारा मुख्य मंत्री के मुख से सुन कर बड़ी तकलीफ होती है । यही मुख्य मंत्री आजादी की लड़ाई में हमारे नेता थे, लेकिन आज पूंजीपतियों की गोद में बैठ कर हमारी कबर खोद रहे हैं जिसे देख कर बड़ी तकलीफ होती है । क्या करें श्रीमन् ? उनको पैसा चाहिये । एक मिल मालिक उनको .....

श्री उपाध्यक्ष—आप यह बात पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं । आज एक दफा फिर कह चुके हैं । तो फिर उसको बार-बार हार्न करने से कोई फायदा नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जैसी आपकी आज्ञा । मैंने यह इसलिये कहा कि उधर के बैठने वालों की आंख खुल जाय कि मैं सही बात कह रहा हूं और उसके कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और उनके दिल व दिमाग में यह बात आनी चाहिये कि यह सरकार पूंजीपतियों से प्लान के नाम पर, देश के विकास के नाम पर क्यों पैसा नहीं लेना चाहती ।

दूसरे जब आपको प्लान के लिये पैसे की जरूरत है और मुल्क गरीब है तो महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था । अभी तक स्वराज्य को लेने के लिये और अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकालने के लिये जनता ने कुर्बानी की और अब जनता ने उस आजादी का तावीज हमारे हाथ में दे दिया तथा मुसीबत में है तो हमारा फर्ज है कि जनता के लिये कुर्बानी करें । लेकिन आज कुर्बानी क्या की जा रही है ? जहां सन् १९३७ में १४ मंत्री थे वहां आज ५२ हो गये और सुरसा की तरह मंत्री मंडल बढ़ता जा रहा है । इतना ही नहीं है अभी प्लानिंग कमेटी बन रही है उसमें जो गिर गये हैं चुनाव में, उनको भरा जायगा । चूंकि बड़ा विरोध हो रहा है, इसलिये मुख्य मंत्री समय के इन्तजार में हैं और जब समय आयेगा तो उन्हें भी जगह मिल जायगी । लिहाजा हमारा यही सवाल है कि यह खर्चा इस तरह से क्यों बढ़ाया जा रहा है ? ५, ५ पोर्टफोलियो एक एक मंत्री लेकर अपनी जेब में रखे हुये हैं । यह आपकी एफिशियेंसी है ?

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेंट पर कोई सेनश्योर मोशन नहीं है । यह टैक्स लगाने का बिल है । आप उसी पर बोलें ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—यह विधेयक ही इस गवर्नमेंट पर सेनश्योर मोशन है । अगर गवर्नमेंट समझती है कि सेनश्योर नहीं है तो क्यों न चलकर रेफ्रेंडम करा लेती है कि आया जनता इस विधेयक को चाहती है या नहीं चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक के सम्बन्ध में आप बात करें ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं कह रहा हूं कि आप जरा शान्त हो कर सुनिये । आज, श्रीमन्, दिल्ली में बिल्ली हाउस बनाया जा रहा है । जब आपके पास पैसा नहीं है तो ५० लाख रुपये लगा कर दिल्ली हाउस बनाने की क्या जरूरत है, कैबिनेट रूम रेफ्रीजरेटेड करने की क्या जरूरत है ? जहां तक मुझे पता है शायद दो कैबिनेट मीटिंग्स उस कमरे में हुई

जिसके लिये नैनीताल से हमारे मिनिस्टर लोग हवाई जहाज और रेलगाड़ी से आये। जब आपको पैसे की जरूरत है तो आपको एकोनामी करनी चाहिये। आप ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी नहीं कर रहे हैं और जनता से कहते हैं कि कुरबानी करो। जनता ने आपको बहुमत दिया है तो आप उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। यू० पी० में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर सन् १९३७–३८ में ७.३५ करोड़ रुपया खर्च होता था, सन् १९४७–४८ में १२ करोड़ खर्च होता था और सन् १९६२–६३ में २८.४५ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जब आप देश का विकास करना चाहते हैं और दुनियां से कुरबानी की बात करते हैं तो हम उम्मीद यह करते थे कि आप भी कुरबानी करेंगे, लेकिन जिस जनता को केवल एक टाइम खाना मिलता है उससे आप चाहते हैं कि उस एक टाइम के खाने की भी कुरबानी करें।

इसी तरह से लैंड रेवेन्यू यहां सन् १९३६–३७ में ६.६४ करोड़ रुपये थी, सन् १९४७–४८ में वह ८.३० करोड़ थी और सन् १९६२–६३ के बजट में वह २२.१५ करोड़ रुपये हो गयी। एक एकड़ पर साढ़े ४ रुपये लगान के हो गये हैं जो हिन्दुस्तान के हर सूबे से ज्यादा है। आज हमारी पेइंग कैपेसिटी इतनी खराब है कि हम मौजूदा टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद भी आप हम पर जुल्म और ज्यादती करते चले जा रहे हैं। यह कानून तो एक मकड़ी का जाला हो गया है जिसमें जो छोटे-मोटे कीड़े मकोड़े हैं किसान वह तो फंसे जा रहे हैं लेकिन जो बड़े-कीड़े वैश्य हैं (कैपिटलिस्ट) वह आपका जाला तोड़ कर भागे जा रहे हैं। गरीबों पर ज्यादा टैक्स लगा कर आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश की जनता अब एक मिनट भी इसको बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है और उसने यह तय कर लिया है कि जितनी जल्दी इस सरकार को यहां से हटाया जाय उतना ही अच्छा है। अगर मुख्य मंत्री जी को इस बात का एहसास न हो तो वे किसी भी विधेयक पर सेंसस करा लें और अगर २५ परसेंट भी उनको वोट मिल जायं तो मैं विधान सभा की मेम्बरी से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। लेकिन आज कोई भी मंत्री जनता की राय को जानने के लिये तयार नहीं है। जब जनता देने की हालत में न हो तो इस टैक्स को लगाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिये इस विधेयक को वापस लें, नहीं तो प्रवर समिति में भेजें ताकि ठंडे दिमाग से बिचार कर के इसको सही रूप दिया जा सके और जो टैक्स नहीं दे सकते हैं उनको मुक्त किया जाय।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले अपोजीशन के सदस्यों को समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, दोनों संशोधन पेश हो गये हैं और अब वाद-विवाद दोनों पर साथ-साथ चलेगा।

श्री ब्रजभूषणशरण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है तथा माननीय नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय नरसिंहनारायण जी अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुये अपना निश्चित मत बतला रहे थे कि इस प्रदेश की जनता उनके निश्चित मत के अनुसार, इस बात को तय कर चुकी है कि यह सरकार एक मिनट भी न रहे। मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने अपना निश्चित मत क्या प्रदेश की जनता की राय जानने के बाद कायम किया है? माननीय नरसिंहनारायण जी ने मुख्यत: वही बातें कही हैं जो माननीय नेता विरोधी दल ने कही हैं। परन्तु फिर भी मैं एक दो बात का उत्तर देना आवश्यक समझता हूं।

मान्यवर, माननीय पांडेय जी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कहा कि सत्याग्रहियों को घसीटा गया और पुलिस ने बड़ी ज्यादती की और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। मुझे इस बात को सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि आज कितने ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि सदन में आने के लिये हर दरवाजे पर कुछ सज्जन लेटे हुये हैं और आने-जाने में बाधा उत्पन्न

[श्री बृजभूषणशरण]

कर रहे हैं । किसी राज्य में जहां शासन ला से चलता हो, डेमोक्रेसी से चलता हो, प्रजातंत्र से चलता हो, वहां क्या यही तरीका होना चाहिये कि इस तरह से लेटकर बाधा उत्पन्न करें और विधान सभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जाय ? विरोधी लोग भूल गये प्रजातंत्र का तरीका । इसका तरीका यह है कि यह विधेयक सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुआ है अगर सदस्यगण इसके पक्ष में नहीं हैं तो यहां पर इस विधेयक को मुख्य मंत्रीजी या माननीय हुकुम सिंह जी एक मत से पास नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह उस समय पास होगा जब कि सदन का बहुमत इस विधेयक के पक्ष में मत देगा । लेकिन इस तरह सत्याग्रह की कार्यवाही अनुचित है और आउट आफ प्लेस है ।

मान्यवर, माननीय पांडेयजी ने फरमाया कि हम चीन और रूस को देखें कि वहां पर कितना संतुलित विकास हुआ है और हमारे यहां कितना ऊट पटांग विकास हो रहा है । मान्यवर, जिस समय भाषण देते हैं, चाहे नेताविरोधी दल हों या कोई भी माननीय सदस्य हों या पांडेयजी हों जिस तरह के तर्क वे यहां पर देते हैं, वे क्या इस बात को भूल जाते हैं कि उसका और चीजों पर क्या असर पड़ेगा । जहां तक चीन और रूस का ताल्लुक है वहां नरसिंहनरायण जी ने जो बातें मुख्य मंत्री जी के लिये कही हैं, कोई कह सकता था ? वहां पर हंटर से काम लिया जाता है इसीलिये वहां पर संतुलित विकास होता है यहां पर अटिल परसुयेशन से राज-काज चलाया जाता है, इसलिये जैसा विकास मुमकिन था वैसा ही हो रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या आप वहां जाकर देख आये हैं ? सिवाय गोविन्दसहाय जी के और कोई नहीं गया है ।

श्री बृजभूषणशरण—मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने एक ऐसा प्रश्न मेरे से पूछा कि क्या मैं रूस के और चीन के हालत देख आया हूं । यह चाहे परमात्मा को न मानते हों लेकिन हमने किसी ने परमात्मा को नहीं देखा मगर सब को विश्वास है कि परमात्मा की सत्ता चल रही है । उसी तरह से हमने अखबार और किताबों को पढ़ा है । हमें मालूम है कि रूस और चीन में किस तरह से विकास किया जा रहा है और क्या-क्या साधन वहां अपनाये जा रहे हैं । माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने एक तर्क यह दिया कि टैक्स न लगा कर चीनी की और दूसरी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । माननीय नेता विरोधी दल ने भी इधर इशारा किया । किसी न किसी कंटेक्स्ट में यह बात रोज आ जाती है । मैंने इस बात की तरफ बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि बिना किताब और कागजात को पढ़े माननीय सदस्य यह बात कहते हैं । जहां-जहां राज्य द्वारा काम चल रहे हैं जहांतक व्यापार का ताल्लुक है कहीं भी मुनाफा नहीं है । आप चुर्क सीमेंट फैक्ट्री को देखिये । जितनी पूंजी उसमें लगी हुई है उतना कहां फायदा हो रहा है ? थर्ड फाइव इयर प्लान की पुस्तक में जहां पर इंडस्ट्रीज और मिनरल्स का जिक्र है पृष्ठ १५८ पर वहां कुछ बातें दी गयी हैं । चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में नयी पूंजी १४ लाख की लगायी जा रही है जिससे सफेद और रंगीन सीमेंट बनेगी । उससे ६० हजार रुपया सालाना मिलेगा । अगर यह पूंजी साधारणतया बैंक में जमा कर दी जाय तो उससे ज्यादा सूद मिलेगा । इसी तरह से १५ लाख की पूंजी लगा कर अलमूनियम तैयार होगा जिससे ३० हजार रुपये सालाना मिलेगा । इस रुपये को भी अगर बैंक में जमा कर दिया जाय तो ३० हजार से ज्यादा सूद मिलेगा । तो मान्यवर, राष्ट्रीयकरण करने की बात कहना तो आसान है, लेकिन राष्ट्रीयकरण का नतीजा तो देख लें । उससे मालूम हुआ कि राष्ट्रीयकरण करने से कोई मुनाफा भी नहीं है ।

एक दलील यह दी गयी है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा ७ करोड़ से २८ करोड़ हो गया है । मैं नहीं समझ पाया, जब नरसिंहनारायण जी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहते हैं तो उसके लिये दलील दी जाती है कि मंहगाई पांच गुना और दस गुना बढ़ गयी है तो अगर १९३७ में ७ करोड़ का खर्चा था और १९६२ में २८ करोड़ हो गया जबकि चीजों

के दाम पांच गुने, दस गुने हो गये हैं तो कौन सी ताज्जुब की बात है? जबकि तबसे सरकार का विकास का काम इतना ज्यादा बढ़ा है?

(व्यवधान)

काश्तकार से टैक्स न लेने की बात कही जा रही है। मैं अपने उधर के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब आपके प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं हैं, कोई और काम धंधा नहीं है, तो आप बतलाइये कि काश्तकार नहीं देगा टैक्स तो कौन देगा?

श्री बलवार्थसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उससे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको कुछ दिलचस्पी नहीं है।

श्री बृजभूषणशरण—मान्यवर, मैं जानता हूं कि जैसे नेता विरोधीदल ने एक मुसलसल स्पीच दे डाली मैं उस तरह से नहीं बोल सकता हूं। मैं वकील होने के नाते प्वाइन्ट दर प्वाइन्ट बोल सकता हूं। उस तरह से मेरी वाक् शक्ति नहीं परन्तु मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे तथ्य को काटने के लिये कोई दलील दीजिये। अगर आप इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब और दूसरे प्रदेशों से इंडस्ट्री में पीछे है और साथ ही यहां पर और व्यवसाय नहीं है, कृषि प्रधान यह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ८५ फीसदी लोग काश्तकारी पर गुजर करते हैं तो यह बतलाया जाय कि पैसा अगर जमीन से नहीं आयेगा तो कहां से आयेगा?

श्री ऊदल—यह भी तो आप देखें कि इस प्रदेश में लगान सब से ज्यादा है।

श्री बृजभूषणशरण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो बात कही जाती है कि लगान सब से ज्यादा यहां पर है तो यह मेरी उस बात की दलील है। जब दूसरा साधन नहीं है तो सिवाय लगान पर टैक्स लगाने के और दूसरा साधन नहीं हो सकता है....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—आप चीनी मिलों से क्यों नहीं पैसा लेते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री बृजभूषणशरण—मैं अपने मित्रों से यह अर्ज करूंगा कि अगर वे पंचवर्षीय योजना की इस पुस्तक को पढ़ने का कष्ट करें तो आज भी उनकी समझ में आ जायेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा में, उत्तर प्रदेश पावर कन्जम्पशन में, उत्तर प्रदेश पावर प्रोडक्शन में और उत्तर प्रदेश हर दिशा में दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है और अगर.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—अशान्ति पैदा न कीजिये। आप कृपा कर शांत होकर सुनिये।

श्री ब्रजभूषणशरण—अगर आप मेरी बात शान्ति से सुनें तो बड़ी शोभा की बात हो। यह उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि पिछली दो प्लान के अन्दर आपके यहां कैपिटल आउट ले पर कैपिटा बहुत कम रहा है। आपने प्लान के ऊपर बहुत कम खर्च किया है। इस पर आगे भी यदि आप कम खर्च करेंगे तो पिछड़े हुए रहेंगे। इस वक्त तो पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। यह तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। आप लोग बेकार में हल्ला शोर मचाते हैं और कहते हैं कि जनता लड़ जायगी और राज्य पलट जायगा और जबरदस्त बगावत हो जायगी। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उतनी तकलीफ, जितनी उधर के लोगों को है, काश्तकारों को नहीं है। हम भी काश्तकारों से बातचीत करते हैं। वे लोग इस किस्म की बात नहीं करते हैं कि राज्य पलट जायगा और यह हो जायगा। हमारे मित्र तथ्यों को सामने नहीं रखते हैं। वे मरीज को डराते हैं कि तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा तो सुई घुसेगी। वे हर आदमी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। जो बार-बार कहते हैं कि काश्तकार लुट जायगा और काश्तकार लड़ जायगा ये इस बात को देखें कि उत्तर प्रदेश में ८६ करोड़ मन गल्ला पैदा हुआ। ८६ करोड़ मन में से अगर काश्तकार एक आना मन हमको देदे तो ५।। करोड़

[श्री बृजभूषणशरण]

रुपया बैठता है और इस विधेयक से केवल ५ करोड़ रुपया आने वाला है। अगर १ आना मन ८६ करोड़ मन पर वह हमको देदे तो हमको ५।। करोड़ मिल जाय। यह कौन नहीं जानता कि गन्ने की खेती फायदेमन्द है। मुझे मालूम नहीं कि हमारे माननीय दोस्त जो हल्ला-गुल्ला काश्तकारों के नाम पर कर रहे हैं उन्होंने खुद खेती कर के देखा भी है या नहीं। (हंसी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—ठीक कहा, तो आप हल्ला क्यों करते हैं। सुनिये, अगर गलत है तो आपने भी तो बहुत सी गलत बातें कही हैं। आप अपने मन में मान लीजिये कि वह गलत कह रहे हैं, लेकिन सुनिये।

श्री बृजभूषणशरण—इतना परेशान न होइये, मैं शहर का रहने वाला जरूर हूं.....

(शोर)

आप सुनेंगे नहीं तो में कहूंगा क्या। मैं शहर का रहने वाला जरूर हूं लेकिन १७ से २३ वर्ष की उम्र तक चांदनी रात में मैंने अपने हाथ से खेत पर हल जोता है और काश्तकार का बेटा हूं और गांव का रहने वाला हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—सुनिये। यह क्या बात है। आप लोग शोर न कीजिये। काशीनाथ जी, आप बहुत शोर कर रहे हैं।

(इस समय श्री बृजभूषण शरण माइक से हट कर वहीं किसी सदस्य को संबोधित कर बोलने लगे।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मैं जाना चाहता हूं कि अंधेरी रातों में उनका खेत कौन जोतता था यह बात वह बतला दें।

श्री बृजभूषणशरण—हमारे आदरणीय दोस्त इस बात को गलत समझते होंगे जिन्होंने हल की मूठ भी नहीं देखी है। राजे महाराजे हैं, जिनको पता नहीं कि गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है। जिनकी धारणा है कि एक एकड़ में ७,००० मन गेहूं पैदा होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि एक एकड़ होता कितना है। हमारे यहां एक एकड़ में ५ बीघे होते हैं।

(व्यवधान)

(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार टोकना ठीक नहीं है। एक-आध बार यह बात हो सकती है। आप विराजिये। आप खड़े क्यों हो गये?

श्री बृजभूषणशरण—मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष—आप बार-बार उठते हैं। आप बैठिये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अभी, वे एक माननीय सदस्य से सीधे-सीधे उलझ गये। अगर इस सदन में कोई बात कही जा सकती है तो वह आप के द्वारा ही कही जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है नहीं। वह उलझ गये और आप नहीं उलझते हैं।

श्री बृजभूषणशरण—जो बात माननीय मित्र ने कही है वह सही है। मैं इस कसूर को तसलीम करता हूं, लेकिन मेरे मित्र ने भी आप से बात नहीं कही थी। उन्होंने मुझ से बात कही थी और मैंने उन से सीधे अपनी बात कह दी। यह गलती हुई।

मैं गन्ने का जिक्र कर रहा था। एक एकड़ में हमारे यहां ५ बीघे माने जाते हैं और एक बीघे में कम से कम १०० या १२५ रुपये का गन्ना जरूर पैदा होता है, ७५ मन फी बीघे से कम नहीं होता और उस पर ज्यादा से ज्यादा खाद देने के बाद भी सब खर्चा ४० रुपये फी बीघे से ज्यादा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में यह कह देना कि ७५ मन पर हम एक आना नहीं दे सकते इस प्लान के लिये यह मेरी समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि काश्तकार के नाम पर हो हल्ला करने बैठे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के ला कमीशन के जो चेयरमैन हैं वह जिस समय गाजियाबाद में मुंसिफ थे उस समय उन के सामने एक मुकदमा पेश हुआ और मुकदमा यह था कि २०० रुपये की नालिश थी एक एंग्लो इंडियन पर। जब मुकदमा पेश हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने वकील को बुला लूं। उन्होंने उस से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि यह रुपया तुम पर चाहता है या नहीं, तो चूंकि वह हिन्दी जानता नहीं था, इसलिये उसने अंग्रेजी में जो कहा उसे मैं आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं। उसने कहा:

"Sir, infact I owe this money, but my lawyer is of opinion that I should not admit it."

मुझ पर यह रुपया चाहता तो है, लेकिन मेरे वकील की राय है कि मुझे इस बात को मानना नहीं चाहिये। तो मान्यवर, मैं इसी किस्म की बात यहां देख रहा हूं। काश्तकार को इतनी परेशानी नहीं है जितनी कि इनको है। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जनमत संग्रह के लिये इस विधेयक को भेज दिया जाय। मान्यवर, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जनता कभी भी खुशी से टैक्स देने के लिये तैयार नहीं होती है। यदि इस विधेयक को भी भेजा जाय तो वह यही कह देगी कि हम इसको देने के लिये तैयार नहीं हैं। आप विधान सभा की प्रोसीडिंग्स देखें उठाकर, मैं भी ६—७ साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं। कोई भी एक टैक्स का उदाहरण दिया जाय कि वह बिना किसी विरोध के पास हो गया हो और विरोधी पक्ष वालों ने कभी कहा हो कि हम इस टैक्स का विरोध नहीं करते, इसको यों ही पास कर दिया जाय। परन्तु उन्होंने कभी भी किसी टैक्स को खुशी से नहीं मंजूर किया है। हर टैक्स को यही कहा जाता रहा है कि जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी यह टैक्स हठ्वत् लगा रहे हैं। परन्तु मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से कि मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। वे देख रहे हैं कि चारों तरफ से उनके ऊपर किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं और किस कदर शोर-शराबा विरोधी दल वाले उनके विरुद्ध मचा रहे हैं और किस कदर जहरीला प्रोपैगेन्डा उनके विरुद्ध किया जा रहा है, लेकिन महज इस भावना से कि इस प्रदेश की उन्नति हो और इसमें रहने वाले समृद्धिशाली बन सकें और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो, केवल इसी भावना से वे यह सब कर रहे हैं और बर्दाश्त भी किये जा रहे हैं। वे यह भी कह सकते थे कि मैं इसको वापस लेता हूं। लेकिन यह बात ठकुरसुहाती ही होती। कोई भी सच्चा प्रशासक और देश या प्रान्त का निर्माण करने वाला इस प्रकार से ठकुरसुहाती बात नहीं कर सकता। उसे कड़वी बात भी सुननी पड़ती है।

एक दलील यह दी जाती है कि पहले यह कहा जा चुका है कि ४० वर्ष तक मालगुजारी नहीं बढ़ाई जा सकती। माननीय नेता विरोधी दल [और माननीय नरसिंह नारायण जी ने यह कहा। परन्तु आप के द्वारा मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह क्या सही नहीं है कि हमने आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान में संशोधन किया है?

[श्री बृजभूषणशरण]

किया है और इसी लिये यह विधेयक भी परिस्थितियों के अनुसार ही लाया गया है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और उसे अपने को उन्हीं के अनुरूप, अपने को और समाज को और अपने देश के नियमों को बदलना होता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान की तब्दीली तो सेन्ट्रल का सबजेक्ट है.....।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये और बीच में कृपया मत बोलिये। यह सदन के नियमों के खिलाफ है।

श्री बृजभूषणशरण—मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि यह सेन्ट्रल का सबजेक्ट है। मैं यह जानता हूं कि हम उस पर लेजिस्लेट नहीं कर सकते परन्तु क्या हम उसके ऊपर मिसाल भी नहीं दे सकते? मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि परिस्थितियों के वश हर चीज को बदलना पड़ता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यदि मनुष्य के अन्दर परिस्थितियों के अनुसार बदलने का गुण न हो तो वह पशु हो जायगा इन्सान नहीं रहेगा। जिस वक्त मालगुजारी न बढ़ाने की बात कही गई थी उस वक्त यह भी कहां कहा गया था कि हम विकास योजनाओं को बनायेंगे और इतने बांध और इतनी सड़के बनायेंगे। यह कभी नहीं कहा गया था उस वक्त कि हम नहरें और कुयें बनायेंगे। जब यह सब किया जा चुका है और किया जा रहा है तथा आगे भी और अधिक से अधिक किया जायेगा तो टैक्स भी लगाने ही पड़ेंगे, वरना इसे वेलफेयर स्टेट न कहिए। यदि इस देश और प्रदेश की किस्मत को बदलना है तो यह कहा जाना कि ४० वर्ष तक मालगुजारी न बढ़ाई जाय, यह कहां तक उचित है। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने एक बात कही कि हमारा वेस्टेड इंट्रेस्ट नहीं बल्कि जो पावर में हैं उनका वेस्टेड इंट्रेस्ट है इसमें। मैं नहीं समझ पाया कि उनके यह कहने का क्या मतलब था? अगर हमारा यह वेस्टेड इंट्रेस्ट होता कि हम पावर में रहें तो क्या हम ऐसा काम करते जिससे जनता खिलाफ हो जाय? अगर हमारा वेस्टेड इंट्रेस्ट होता तो हम तो यह करते कि चुप चाप सो जाते, थोड़ा सा टैक्स लगाते, थोड़ी सी पुलिस रख लेते, ताकि जनता खुश रहती।

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय पांडेय जी ने कहा और बड़े जोर-जोर से दुहाई दी कि जो नंगे भूखे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मान्यवर, यूं तो बढ़ा-चढ़ा कर बात कुछ भी कह ली जाय, मगर जब जापान और जरमनी का मुकाबला किया जाता है और वहां का जिक्र होता है तो हमें वहां की आमदनी को भी देखना चाहिये। जापान में छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं, इन्टेन्सिव खेती होती है, लोग खुशहाल हैं। उन लोगों के पास अच्छे साधन वगैरह भी हैं, किन्तु हमारे यहां लोग आराम से खेती करना चाहते हैं। सवेरे उठते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, एक ग्लास चाय पीते हैं, और फिर खेत जोतने चले जाते हैं। उनको दिन रात काम करना होगा। उनके लिये यह लाजमी है कि वे खेती को छोड़ कर दूसरे काम में अपने बच्चों को लगायें। इसके बगैर उनकी हालत अच्छी नहीं हो सकती। जो जमीन पर अधिक भार है वह तब तक कम नहीं होगा जब तक वे और कामों में नहीं लगेंगे।

यह कहा गया कि जिस तरह से जरमनी और जापान में छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं, उसी तरह से हमारे यहां क्यों नहीं लगाये जाते। वे कहां से बनाये जायेंगे? बिना पैसे के वे कैसे लगाये जायेंगे? उसके लिये भी तो पैसे की जरूरत होगी। जब जैसा नहीं होगा तो छोटे छोटे उद्योग धंधे नहीं लगाये जा सकते।

मान्यवर, विदेशी राज्य और इस राज्य में फर्क इतना है कि विदेशी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि हमारी ग्रामीण जनता की आय बढ़े, गांव का विकास हो। उनका

मकसद तो केवल ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करना था। किन्तु हमारा मतलब यह नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, ग्रामीण जनता की आमदनी बढ़े, और यह सब बगैर पैसे के हो नहीं सकता।

श्रीमन्, अभी यह बतलाया गया कि ६० प्रतिशत रेवेन्यू हमारी गांव से आती है। यह सही बात है। ६० प्रतिशत इसलिये आती है कि हमारे यहां और कोई साधन नहीं हैं। इस वजह से आती है। माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कहा कि चीनी की मिलों से रुपया ले लिया जाय। लेकिन यह नहीं बताया कि किस प्रकार से ले लें। लेकिन अगर एरियर वसूल करने की बात है तो मैं इस बात को मानता हूं कि उसको वसूल किया जाना चाहिये और वह महज इसलिये वसूल न करना कि चीनी मिल मालिक भाग जायेंगे, यह उचित नहीं है। मैं उनकी इस दलील से सहमत हूं और माननीय मन्त्री जी की उस दलील को बिल्कुल नहीं मानता कि वे भाग जायेंगे अगर उनसे एरियर वसूल किये जायेंगे। लेकिन यह कहना भी कि इन प्लान्स को एरियर्स की वसूली की वजह से पूरा ही न किया जाय, यह भी सही नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में यह कहा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी आमदनी नहीं बढ़ी है। उस आमदनी के न बढ़ने की दलील उन्होंने यह दी है कि अगर ४८–४९ की प्राइस लेविल को मान लिया जाय तो उससे १३ रुपया पर-कैपिटा आमदनी घट गयी है। सन् १९४८ और ६२ के बीच में आबादी करीब-करीब ड्योढ़ी हो गयी है लेकिन इस ड्योढ़ी आबादी के होने पर भी पर-कैपिटा इनकम अगर बढ़ी नहीं है तो घटी भी नहीं है। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि यदि ये पंचवर्षीय योजनायें न होतीं, ये विकास के कार्य न होते, तो क्या हालत होती, इसका अन्दाजा लगाना भी एक कल्पना की चीज है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने यह कहा कि ऐक्सपेंडीचर नान-प्लान्ड आइटम्स पर हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैं उनसे सहमत हूं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना में इस बात की भी प्रतिज्ञा की है कि नान-प्लान्ड आइटम्स पर खर्चे को वे घटावेंगे। विकास पर तो रुपया आप तभी बढ़ा सकते हैं जब कि आप नान-प्लान्ड आइटम्स पर उसको घटायेंगे। जो नान-प्रायोरिटी आइटम्स हैं उन पर खर्चा कम करना चाहिये और हर एक चीज में जहां एकोनामी हो सकती है, एकोनामी की जाय। प्रशासन के बढ़ते हुए खर्चे के विरोध में तो मैं हमेशा रहा हूं और आज भी हूं।

हरिजन वेलफेयर विभाग जो काम करता है, वह तो बिलकुल ठीक है लेकिन हरिजन वेलफेयर आफीसर और उसका स्टाफ बिल्कुल बेकार है। जो संस्थायें इस समय हैं उन्हीं के द्वारा यह काम चलाया जा सकता है। मैं समझता हूं इस विभाग को तोड़ दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार से सोशल वेलफेअर आफीसर और उसका स्टाफ भी बिल्कुल बेकार है। इसका काम दूसरे विभागों से ले लिया जाय और इसको तोड़ कर खर्च में बचत की जाय। इसी प्रकार ब्लाक लेविल पर बहुत से ए० डी० ओ० भर रखे हैं। कोई कोआपरेटिव का है तो कोई प्लानिंग का, तो कोई शिक्षा का, इ को समाप्त किया जाकर प्रशासन के खर्चे में बचत की जा सकती है। मुझे खुशी है कि शायद माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता की इसी भावना को समझ कर प्लानिंग रिसर्च इंस्टीटयूट में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि इन प्लानिंग आफीसर्स को कम किया जाना चाहिए। इससे मालूम होता है कि वह जनता की भावनाओं का आदर करते हैं, इसलिये वे बधाई के पात्र हैं।

इसी प्रकार से ग्राम लक्ष्मी भी रखी हुई हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है। जब गांव का स्तर ऊंचा हो जायगा, जब आमदनी बढ़ जायगी तो स्त्रियों को सलीका अपने आप आ जायगा। गांव की स्त्रियों को सलीका सिखलाने के लिये गृह लक्ष्मियों का रखना बिल्कुल अनावश्यक है। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि इस फजूलखर्ची को खतम किया जाय।

इसी तरीके से पंचायत राज डाइरेक्टर व उनका दफ्तर बिल्कुल बेकार है। आज गांवों में पंचायत राज की वजह से ही पंचायत चुनाव को लेकर ला ऐंड आर्डर का एक प्राबलम सरकार के

[श्री बृजभूषणशरण]

सामने उपस्थित हो गया है। आज गांवों में चुनाव को लेकर इस तरह की गुटबन्दी हो गयी है कि वहां रोज रोज सिर फुटव्वल होते रहते हैं। वहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार निर्माण कार्यों में लगी हुई है तो वह इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना बन्द करे।

इसी प्रकार बहुत से डिवीजनल कमिश्नर हैं, बहुत से डी० वाई० एस० पी० कम्पलेंट्स हैं, यहां तक अब सुनने में आया है कि डिवीजनल स्पोर्ट्स आफिसर रखे जाने वाले हैं जो काम स्कूल, कालेजों को कुछ ग्रांट देकर किया जा सकता है जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, तो फिर समझ में नहीं आता कि डिवीजनल स्पोर्ट्स आफिसर रखने की क्या जरूरत है। यह बेकार का खर्चा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है?

जहां तक सेक्रेटेरियट का ताल्लुक है, सेक्रेटेरियट में भी बहुत स्ट्रिक्टली इकोनामी बरतने की जरूरत है। इस बात की बार बार चर्चा की गयी कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की जो कांफ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि ४–५ करोड़ की बचत की जा सकती है। अगर इस तरह का कोई सुझाव है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि वे फिर उन ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसरों की कांफ्रेंस बुला कर उनसे परामर्श करें कि क्या तरीका है जिससे खर्चे में बचत की जा सकती है।

माननीय दुबे जी ने पंजाब की मिसाल दी कि वहां के किसान ज्यादा खुशहाल हैं और वे टैक्स कम देते हैं जब कि उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा टैक्स देते हैं। मान्यवर, फिर मैं वही बात कहता हूं कि पंजाब में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहां से ६ गुनी ज्यादा वहां इंडस्ट्रीज हैं, उनके और बहुत से आइटम्स हैं। जिससे उनको ज्यादा टैक्स मिलता है। उनकी पंजाब वाली बात सत्य है, लेकिन हमारे यहां मजबूरी है और मजबूरी की हालत में ही हमें टैक्स किसान पर लगाना पड़ रहा है।

मान्यवर, बहुत जोरों की दलील दी गयी कि गांवों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा। मैं नहीं जानता कि दुबे जी कौन से गांव की बाबत कहते हैं लेकिन छोटे छोटे गांव हमने भी देखे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कभी अपने भाषण में कह दिया था कि गांव वालों के पास साइकिलें हो गयी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। इसका मैं स्वागत करता हूं। पहले से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन यह कहना कि गांवों का स्तर गिर रहा है, यह वास्तविकता से बिलकुल परे है। गांव के हम भी रहने वाले हैं और मैं जानता हूं कि आज से २५–३० वर्ष पहले गांवों में किसी को दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती थी, एक वक्त खाते थे वह भी जाड़े के मौसम में बाजरे की रोटी और गर्मी में जौ की रोटी मिलती थी लेकिन आज कल ऐसी बात नहीं है। यह बात ठीक है कि जितनी तरक्की होनी चाहिये उतनी तरक्की हम नहीं कर सके हैं परन्तु फिर भी आज जौ और बाजरे की जगह गांव वालों को भी गेहूं की रोटी मिलती है। इसके लिये हमको यह देखना पड़ेगा कि अगर गांवों में तरक्की नहीं हुई है तो हजारों टन टीन की चादरें कहां चली जाती हैं जो गांवों के लिये इश्यू की जाती हैं? अगर गांवों के स्टैंडर्ड में सुधार नहीं हुआ है तो तमाम कोयले जो ईंटों के भट्ठे लगाने के लिये मिलते हैं वे कहां चले जाते हैं? आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह छोटे छोटे पक्के मकान बन रहे हैं और बने हुए हैं। फिर यह गांवों के स्टैन्डर्ड में सुधार नहीं हुआ है तो क्या है?

माननीय नेता विरोधी दल ने वेस्ट जर्मनी, इटली व बेल्जियम की मिसाल देते हुए बतलाया कि लड़ाई में सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी वहां बड़ी तरक्की हुई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय नेता विरोधी दल से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वेस्ट जर्मनी, इटली व बेल्जियम में टेक्निकल नो हाउ थे। वहां की सड़कें व मकान आदि नष्ट हो गये थे लेकिन वहां जो टेक्निकल नो हाउ थे उन्होंने अमेरिका की सहायता से अपने देश का निर्माण जल्दी से जल्दी कर लिया। लेकिन हमारे पास न तो साधन हैं, न पैसे हैं और न टेक्निकल नो हाउ हैं। आज भी हमारी परिस्थिति यह है कि हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है वह हमारे पास नहीं हैं, इंजीनियर्स जितने चाहियें वह नहीं हैं, जितने डाक्टरों की आवश्यकता है वह हमारे पास नहीं

हैं। यह तो आसानी से कहा जाता है कि जितने डाक्टर्स और इंजीनियर्स की आवश्यकता है उनके लिये इंजीनियरिंग कालेजेज और मेडिकल कालेजेज खोल दिये जायं लेकिन उस सब के लिये भी तो पैसे की आवश्यकता होगी...

श्री बलवानसिंह---१,५०० करोड़ रुपया अंग्रेजों ने यहां पर छोड़ा था, यह कहते हैं कि पैसा नहीं था...

श्री बृजभूषणशरण---उसी से शुरू के प्लान्स के आइटम हमने पूरा किये, यह दूसरी बात है कि १०० में से ९५ या ९० ही पूरे हुये हों लेकिन कोई इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज ऐसा नहीं है कि जो हमने प्लान में रखा हो और वह न खुला हो। बाकी जितने रुपये की हमें आवश्यकता है वह न उस वक्त हमारे पास था और न आज ही है.....

एक सदस्य---वह शहर में रहते हैं और वक्त बरबाद कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जायं, दूसरे का समय बरबाद करते हैं, ऐसी बात बेकार में क्यों कहते हैं।

श्री बृजभूषणशरण---माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि पिछले प्लान्स के टारगेट पूरे नहीं किये गये और उन अधूरे टारगेट्स को फिर अगले प्लान्स में लाया गया है और एक्जीक्यूशन की कमी है और इसके लिये सरकार को ताड़ना दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि प्लान के खिलाफ इस तरह से जबरदस्त प्रोपेगेन्डा किया जाय उनको तो और सहयोग देना चाहिये और हमें प्रोत्साहित करना चाहिये था। प्लान को पूरा न कर सकने और उसको कतई थ्रोआउट कर देने में तो बड़ा अन्तर है, अगर आप कोई प्लान ही नहीं बनायेंगे तो किस एकनामी का निर्माण होगा। मिसाल के तौर पर मैं आप को बता दूं कि अगर प्लान न हो और अगर हम बिना प्लानिंग के काम करें तो क्या होगा। होगा यह कि कहीं तो हम लोहे का बड़ा कारखाना लगा देंगे और उसके लिये कोयला नहीं होगा, कहीं हम शुगर फैक्टरी लगा देंगे और उसके लिये गन्ना ले जाने वाले रेल के डिब्बे और सड़कें न होंगी। इसलिये इन सब चीजों का हिसाब किताब पहले से ही सोच समझ कर चलने का नाम ही प्लानिंग है। अब इस तरह से प्लान करने पर भी एक्चुअल में १९-२० का अन्तर हो सकता है, उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार पर सख्ती कर सकते हैं लेकिन यह कहना कि हमने अपने दोनों प्लान्स में टारगेट पूरे नहीं किये इस वास्ते इस तीसरे प्लान को ही हमें रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिये, ऐसा कहना एक ज्यादती की बात होगी और न ऐसी बात जिम्मेदार नेताओं के मुख से अच्छी लगती है। जैसा कि वह स्वयं कहते हैं कि कल वह भी बहुमत में आ सकते हैं और यह समझकर भी जब वह ऐसी बात कहते हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है।

माननीय नेता विरोधी दल ने जरा शाइस्ता शब्दों में बार बार इस प्रकार की बात कही कि इस मंत्रिमंडल का बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है और वह इस प्लान को भी पूरा नहीं कर सकते। मैं उन का बड़ा आदर करता हूं और बड़ा आदमी समझता हूं, परन्तु वह समझते हैं कि दुनिया की अक्ल उनके भेजे में भरी है और बाकी सब लोग खाली हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इस सरकार का बुद्धि से सम्बन्ध न होता तो जो १५ वर्ष में प्रशासन चला है और जो विकास हुआ है वह न होता और जिस तरह से आप ने देखा कि दूसरे देशोंमें रिवोलूशन हुआ और पड़ोस में ही शासन उल्टे गये वह यहां नहीं हुआ। अगर बुद्धि से काम यहां भी न लिया गया होता तो ३ बार एलेक्शन्स में जीत कर यह कांग्रेस की सरकार न आती, इस प्रकार बहुमत में आने के माने हैं कि यहां की जनता प्लान को पसन्द करती है और उन को एग्जिक्यूट कराना चाहती है। तो चूंकि वह कम पढ़े लिखे हैं इसीलिये पब्लिक ओपीनियन की जरूरत पड़ती है, तब यह जरूर हो सकता है जनता गुमराह हो जाय। परन्तु मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा जहां तक टैक्स लगाने का ताल्लुक है इस देश की जनता कभी टैक्स देने में पीछे नहीं रही है। मालूम नहीं क्यों लोग उन्हें नर कंकाल बताते हैं। हमारी जो परम्परा रही

[श्री बृजभूषणशरण]

है उसके मुताबिक दधीचि ने अपनी हड्डियां तक दी थीं। हमारे प्रदेश का हर रहने वाला नेता विरोधी दल का समर्थन नहीं करेगा। हर आदमी इस प्रदेश का खून देने के लिये तैयार है निर्माण के लिये परन्तु सरकार से यह आशा करता है कि उसका खून नाली में न बहाया जाय उसका सदुपयोग किया जाय। गरीबी के बावजूद भी अगर आज भिक्षा मांगने के लिये प्लान के लिये झोली डाल कर निकल पड़ें तो यकीनन हम काफी इकट्ठा कर सकते हैं। परन्तु यह कहना कि कोई टैक्स न लगायें, केवल बड़े आदमियों पर ही लगाया जाय, मिलें नेशनलाइज कर दें, जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा यह एक यज्ञ है जिसमें सब को योगदान देना है, अगर वह अपना योग नहीं, देंगे तो वह कैसे समझेंगे यह प्लान उनका है। कहा जाता है कि हमारी इन्कम पर कैपिटा वही है जो १९४६ में थी। लेकिन आपने कभी यह भी देखा कि जो टैक्स है इस का पर कैपिटा क्या भार पड़ता है। जिस रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और यहां लाया गया था। उससे करीब १० करोड़ की सरकार को आय होती। अब तो उसका बहुत कम रूप बदल गया है क्योंकि उसमें एग्जेम्शन्स् सरकार ने ज्यादा दे दिये हैं या देने का इरादा रखती है इसलिये ४, ५ करोड़ रुपया वसूल होगा। परन्तु मैं उन सपोजीशन्स पर चलना चाहता हूं अगर १० करोड़ रुपया आप ले लें तो क्या पर कैपिटा टैक्स का भार पड़ेगा जरा उसका हिसाब लगाया जाय। ६, साढ़े करोड़ ग्रामीण हमारे प्रदेश में हैं, डेढ़ रुपया फी साल बैठता है यानी २ आना महीना और आधा नया पैसा रोज। हर चीज में पर कैपिटा का हिसाब लगाते हैं तो टेक्स में क्यों नहीं लगाते ? अगर काश्तकारों के हिसाब से देखा जाय जिस समय जमींदारी अबालीशन की रिपोर्ट आयी थी उस समय १ करोड़ २२ लाख काश्तकार प्रदेश में थे आज उनमें बढ़ोत्तरी हुई होगी क्यों होल्डिंग्स का बटवारा होता रहता है। सेंसस की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है लेकिन मेरा अन्दाज है कि १ करोड़ ७५ लाख काश्तकार जरूर अब होंगे। एक सदस्य कह रहे हैं १ करोड़ ६० लाख। खैर यही सही। अब देखें टैक्स का इंसीडेन्स फी काश्तकार क्या पड़ता है। करीब ६ रुपया सालाना। और मान्यवर, ६ रुपये फी काश्तकार के हिसाब से लगाने पर अगर उस काश्तकार की फैमिली में ५ आदमी ले लें तो फिर फी काश्तकार रुपये सवा रुपये साल यानी डेढ़ आना महीना तो मान्यवर जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इतना बड़ा बावेला मचा दिया जा रहा है इतना कि खून निचोड़ा जा रहा है और फ़ांसी लगायी जा रही है किसानों पर, इससे हमारे प्रदेश की जनता मर जायगी, या हमारे ग्रामीण कुचल जायेंगे, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

मान्यवर ,दूसरी बात यह है कि जैसे हमने पर कर कैपिटा इन्कम पर हिसाब लगाया उसी तरह से टैक्स के मामले में भी लगाया जाय तो मैं कहता हूं कि अगर ८६ करोड़ मन गन्ने के ऊपर एक आना मन भी लिया जाय तो इतना रुपया आ जायेगा जितना रुपया हमें इस विधेयक से मिलना है।

मान्यवर, हमारी कुल जमीन को देखा जाय, हमारी कुल भूमि प्रदेश की देखा जाय तो ४ करोड़ कुछ लाख एकड़ है जो जोत के काबिल है, अगर उससे भी हिसाब लगाया जाय तो एक रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ही बैठता है। १ रुपया एकड़ यानी एक एकड़ में ५ बीघे होते हैं और इस हिसाब से ३ आने प्रति बीघा लगान सालाना बैठता है। मान्यवर, क्या मानी रखते हैं ३ आने फी बीघा लगान किसी भी चीज के ऊपर, आप देख लीजिये चाहे गेहूं, चावल कपास धान मूंगफली तिलहन, किसी पर भी तीन आने बीघा क्या मानी रखता है। यह टैक्स इतना बड़ा टैक्स नहीं है है जिसके ऊपर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है और वह इसलिये नहीं है कि आप काश्तकारों के कोई बड़े समर्थक हैं, महज इसलिये कि आप इन टैकिटिक्स को अपना कर पोलिटिकल पावर कैपचर करना चाहते हैं। आप इसका फायदा उठा कर उन लोगों को भड़काना चाहते हैं जिनको भले बुरे का ज्ञान नहीं है। हमें विधान सभा में हर सही बात को सही कहना चाहिये और उसमें और विचारों को लाकर किसी और मोटिव से बातें नहीं करनी चाहिये।

मान्यवर ,जहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है यह कहा गया कि औद्योगिक जनता पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। अरबन एरिया में तो ९५ लाख आबादी और जो शिक्

अभी हमने पास किया है उससे ३ करोड़ के करीब हम उनपर टैक्स लगा रहे हैं। तो फिर हिसाब लगावें मान्यवर कि ९५ लाख आदमियों पर तो टैक्स लगे ३ करोड़ और बाकी ६ करोड़ जनता पर अगर ४ करोड़ टैक्स लग रहा है तो फिर किस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि गरीब को गरीब और अमीर को अधिक अमीर बनाया जा रहा है और केवल काश्तकारों पर ही टैक्स लगाया जा रहा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या मान्यवर हम लोगों ने उस बिल का विरोध नहीं किया जो माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आपने जो ग्रामीण जनता पर ज्यादा टैक्सेशन की बात कही है उसी का वे जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजभूषणशरण—मेरे आदरणीय मित्र ने कहा कि क्या उन्होंने उसका विरोध नहीं किया था? मैंने शुरू में ही कहा था कि कौन सा टेक्सेशन का बिल है जिसका आपने विरोध नहीं किया है और मान्यवर अगर हम उनकी राय पर चले होते तो प्रशासन को चलाने के लिये आज पैसा न होता प्लान की बात तो दूर। जब हम ग्रामीण जनता पर टैक्स लगाते हैं तो आप कहते हैं कि मोटे पेट वाले जो शहर में रहते हैं उन पर लगाइये और जब उनकी बात आती है तो उनका भी विरोध करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, अगर उनकी अक्ल पर टैक्स लग जाता तो उसका विरोध नहीं करते।

श्री बृजभूषणशरण—मेरे आदरणीय मित्र क्या कह रहे थे मैं नहीं समझ पाया। मैं तो अपनी बात कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष— आप अपनी ही बात कहिये।

श्री बृजभूषणशरण—जिस वक्त ग्रामीण जनता के लिये हम कहते हैं उस वक्त ये किसी दूसरे का नाम ले लेते हैं। जब उन लोगों पर टैक्स लगाने का वक्त आता है तो ये लोग दूसरों का नाम ले देते हैं। हमारे आदरणीय मित्र बतला दें कि किस टैक्स का वह समर्थन करते हैं तब मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा और उनसे मनवा लूंगा कि इन सारे टैक्सेज को वह वापस लें। कितने पूंजीपति हैं जिनसे आप रुपया ले सकते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाय और भूमि पर से बोझ हटाया जाय। इसके लिये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट के रिसोर्सेज से नहीं हो सकता। अगर करेंगे तो जैसे मैंने मिसाल दी चुर्क सीमेंट फैक्टरी में रुपया लगाया गया, कितना मुनाफा हो रहा है? अब उसमें बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं—सफेद सीमेंट बना करेगा—तो उसमें पूंजीगत लागत कितनी होगी और मुनाफा कितना होगा? पब्लिक सेक्टर में उद्योगों को खोला जाय और मुनाफा उनसे हो जाय ताकि टैक्स की जरूरत न पड़े तो यह एक कल्पनिक बात है। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अब अगर पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या तरीका है? प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने का ही एक तरीका है। आप कहते हैं कि विदेशी पूंजी को जब्त कर लो। एक तरफ आप कहते हैं कि ४० साल के लिये वायदा किया था कि हम किसी भूमिधर पर लगान नहीं बढ़ायेंगे तो क्या यह वायदा नहीं किया था कि आप रुपया लगाइये और बिना कम्पेनसेशन के हम जब्त नहीं करेंगे। फिर अगर बड़े बड़े सेठों की पूंजी को जब्त भी कर लो और उसको गरीबों में बांटना शुरू करो तो हर एक के हिस्से में दो आने भी नहीं आयेंगे। हमारी पालिसी है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहते हैं और जब तक हम उसको एनकरेज नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं सकेंगी। यह भी हम जानते ही हैं कि विधान के अनुसार हम किसी की पूंजी छीन नहीं सकते। हम रूल आफ ला में रह रहे हैं। उसके लिये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। लेकिन रोज-रोज अगर इस किस्म की बातें कही जायंगी इस आदरणीय सदन में तो उससे एक आशंका पैदा होती है प्राइवेट सेक्टर के पूंजीपति के दिल में कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी पूंजी न लगाये। अगर कहीं इन लोगों

[श्री बृजभूषणशरण]

की हुकूमत बन गयी तो यह बिना किसी कम्पेनसेशन के उनकी पूंजी छीन लेंगे। बजाय इसके कि आप उत्तर प्रदेश का भला करते हैं ऐसी बातें कह कर, आप इस प्रदेश का अहित करते हैं। लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर को एन करेज करना है इस प्रदेश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिये, रूरल पापूलेशन को एम्पलायमेंट देने के लिये। इसके लिये आप पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकते और प्राइवेट सेक्टर को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और उसके लिये आपको उसे कुछ न कुछ फेसिलिटीज देनी ही होंगी।

अलबत्ता यह मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिनियम बनाने से कि गन्ने पर सेस लगे, सेल्स टैक्स वसूल किया जाय और करोड़ों रुपये पूंजीपतियों पर बकाया रहें और हम वसूल न कर सकें और उन ऐक्ट्स को इन्फोर्स न कर सकें तो बेहतर यही है कि उन ऐक्ट्स को स्क्रेप कर दें। फिर भी पूंजीपतियों के प्रति हमें कोई शत्रुता की भावना नहीं रखना चाहिये, क्योंकि पूंजीपति भी हमारे देश व प्रदेश के निर्माण में हमारे सहायक हैं। हम चाहते हैं कि वे पूंजीपति हमारे प्रदेश में अपनी पूंजी लगायें और इससे जो भूमि के काम में लोग लगे हुए हैं वे वहां से हटें और उनको एक नया एम्पलायमेंट मिल सके। एक बात और माननीय नेता विरोधी दल ने बड़े जोरदार शब्दों में कही कि यह सरकार जजेज से डरती है और इसलिये अरबन एरियाज टैक्सेशन बिल में जजेज को उसने अपील का अधिकार नहीं रखा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कौन से टैक्स की बात पढ़ रखी है मगर मैं थोड़ी-सी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में डिपार्टमेंटल आफिसर्स अपील सुनते हैं, इन्कम टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिपार्टमेंटल आफिसर्स अपीलें सुनते हैं। इसी तरह से कस्टम्स में भी कोई जजेज मुकर्रर नहीं किये जाते, उन्हीं के आफिसर्स अपीलें सुनते हैं। यह ठीक है कि आखिरी स्टेज में हाई कोर्ट वगैरह में मामले जाते हैं, तो यहां भी आखिरी स्टेज में जा सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज में भी किसी जज को पावर नहीं है अपील सुनने की बल्कि उन्हीं के आफिसर्स अपील सुनते हैं। तो न जाने कौन से ऐक्ट की बात माननीय नेता विरोधी दल करते हैं जो वे यह कहते हैं कि यह सरकार जजेज से डरती है। दरअस्ल यह सरकार जजेज से डरती नहीं है बल्कि सिविल कोर्ट्स को अननेसेसरीली टैक्स और प्रशासन के मामले में नहीं लाना चाहती। हम अपने जजेज का आदर करते हैं और अगर हम जजेज से डरते भी हैं तो इसके माने यह हैं कि हम अपने संविधान में फ़ेथ रखते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है।

इन सब तथ्यों को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर के देखें, चाहे पर एकड़ के हिसाब से देखें तो भी इतना लम्बा टैक्स नहीं है, पर कैपिटा भी देखें तो भी इतना भार नहीं है और अगर आप फ़सल के हिसाब से देखें तो गन्ना, मूंगफली, आलू वगैरह की फसल पर इतना टैक्स नहीं है। यह बहुत छोटी सी बात है जिसका इतना हल्ला मचाया जा रहा है। आप के द्वारा मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस टैक्स की अहमियत को समझें, इस विधेयक को बड़े शौक से पास करें और गांव गांव में जाकर एक एक आदमी को समझायें कि आपके फायदे के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये इस धन की आवश्यकता थी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सरकार द्वारा प्रस्तुत, जिसे देशी भाषा में काला कानून कहा जाय, विधेयक पर कुछ जनता की राय सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस विवादास्पद जोत-कर विधेयक को लेकर कांग्रेस विधान मंडलीय दल में भी एक जबरदस्त नाटक हुआ और वह समाप्त भी हो गया। पिछले तीन दिन तक उसकी बैठकों में कांग्रेस सरकार के सामने उन माननीय सदस्यों ने वही कहा जो जो विरोधी दलों ने बड़े-बड़े प्रदर्शनों में कहा। उसके बाद २७ सितम्बर को विरोधी

दलों ने पुनः उसका दूसरे रूप में विरोध किया। सरकार का तर्क है कि यह प्रदर्शन बेकार हैं और सरकार इन प्रदर्शनों का विरोध बड़ी बहादुरी से करेगी और जो स्वतन्त्र पार्टी या जनसंघ की ओर से हस्ताक्षर आये हैं वे बोगस हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में किसान टैक्स अदा करने के सैचूरेशन प्वाइंट पर आ गया है क्योंकि उसमें अब कर देने की क्षमता नहीं रह गई है। उसके सामने प्रश्न है कि वह कर दे या बलि दे। अब उसके खून नहीं रह गया है और हड्डी में भी अब जान बाकी नहीं रह गई हैं जिनसे खून निचोड़ा जा सके। बेचारे गरीब किसान की हालत आंकने में सरकार को भ्रम है।

प्लान के अन्तर्गत कम्यूनिटी डेवलपमेंट और कोआपरेशन तथा विलेज आते हैं। बजट में जो नान-प्लान का खर्चा है उसको अगर अलग कर दिया जाय तो एक तिहाई खर्चा कम हो सकता है। अभी माननीय ब्रजभूषणशरण जी ने कहा कि इस विरोध के पीछे विरोधियों का पोलिटीकल गेम है। मैं कहता हूं कि इसमें कांग्रेस का पोलिटीकल गेम है। इसमें जो कम्युनिटी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन और विलेज डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन हैं वे पोलिटीकल करप्शन (Corruption) के लिये हैं। इसमें गांव के मुखिया और प्रमुख लोगों को सब-सीडी देकर हाथ में करने का अच्छा तरीका है और इस प्लानिंग ने वोट कैचिंग मशीन का रूप धारण कर लिया है। इस बिल से मान्यवर, तीन करोड़ ६० लाख रुपये की आमदनी का अनुमान है। उसमें से ६० लाख रुपया कलेक्शन में खर्च होगा। अब तीन करोड़ रुपया रह जाता है। अगर विरोधी दलों की ओर से प्रदर्शन होते हैं तो उनके दबाने में वह रुपया भी खर्च हो सकता है तो सरकार को इससे क्या लाभ होगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर सरकार प्लान को प्राइवेट सेक्टर के जरिये चलाये, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि सरकार चाहती है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें, तो कर भार कम हो सकता है और अपव्यय कम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस शासन करे और बड़ी कुशलता से करे लेकिन सरकार स्वयं नहीं चाहती है कि शासन करे। उसे आंख खोलकर कार्य करना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ४२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय, यह गुप्ता सरकार की हठधर्मी से जोत कर विधेयक का काला कानून प्रस्तुत कर ही दिया गया है, इसका भविष्य क्या होगा यह तो भविष्य ही जाने।

मान्यवर, भूमि पर कर कब से आरम्भ हुआ यह मैं बताता हूं। यह १७६५ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुगल बादशाह शाहआलम से जब उड़ीसा, बंगाल और बिहार ले लिये गये उस समय से भूमि कर आरम्भ हुआ। कांग्रेस १८८५ से लेकर १९३० तक अपने ४५ अधिवेशनों में किसानों की दशा पर रिजोल्यूशन पास करती रही, क्योंकि उस समय कांग्रेस किसानों की दयनीय दशा से पूर्णतया परिचित थी और किसानों को सत्ताधारी दृष्टि से नहीं देखती थी उस समय कांग्रेस जनसेवक की दृष्टि से किसान को देखती थी। बम्बई के पांचवें अधिवेशन में १८८९ में इस्तमरारी बन्दोबस्त की मांग की गई। फिर १८ वें अधिवेशन १९०२ में अहमदाबाद में मांग की गई। कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि भारत सचिव के १८६२, १८६७ के खरीतों पर की शर्तों के अनुसार लगान बढ़ने की प्रवृति की रोक की मांग की गई। कांग्रेस के १९वें अधिवेशन में मद्रास में इसकी पुनः मांग की गई और कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें कहा कि कृषकों की गरीबी बढ़ती जाती है। कांग्रेस को दुख होता है कि जब-जब नया बन्दोबस्त होता है तब-तब लगान बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। यह कांग्रेस अपना दृढ़ निश्चय प्रगट करती है कि बार-बार और अधिक लगान बढ़ाने की नीति से देश के कृषकों की गरीबी बढ़ती है, कांग्रेस ने अपने २०वें अधिवेशन में बम्बई में पुनः इस मांग को दोहराया। १९०५ में काशी में, १८६२ व १८८२ में लार्ड कैनिंग और लार्ड रिपन द्वारा जो प्रस्ताव किया गया उसका लार्ड कर्जन ने १९०२ में कड़ा विरोध किया। राइट आनरेबिल सर रिचर्ड गार्थस तथा अन्य लोगों ने जो सलाह दी वह भी नहीं मानी गई। आखिरी प्रस्ताव में कांग्रेस ने जमीन के लगान पर उचित तथा निश्चित नियन्त्रण की मांग की। इस पर कांग्रेस ने पुनः प्रस्ताव पास किया कि किसान के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। १९०६

[श्री विजयसिंह]

के २२वें अधिवेशन में कलकत्ता में इन बातों को फिर दोहराया गया। आज जिस टैक्स को सरकार ला रही है उसका उसने उपरोक्त पुराने समय में बराबर विरोध किया था। कराची में १९३० के ४५वें अधिवेशन में कांग्रेस ने काश्तकार का लगान कम करने की मांग की। लगान की जमीन के ऊपर कर न कह कर किराया बताया गया। १९०८ मद्रास, १९०९ लाहौर तथा उसके बाद निरन्तर इलाहाबाद, कलकत्ता, बाकीपुर, कराची, मद्रास व बम्बई में इन्हीं प्रस्तावों को निरन्तर दोहराती रही। मैंने यह इतिहास इसलिये रखा कि आज जो कांग्रेस सरकार अपने पालिटिकल गेम पालीटोकल करप्शन से शासन को चला रही है, वह यह भूल गयी कि कांग्रेस ने पहले क्या कहा था। आज सरकार को किसानों की हालत के सम्बन्ध में भ्रम हो रहा है।

माननीय शरण जी ने कहा कि उनकी हालत अच्छी है। वह बहुत दिनों से शहर में रहने लग गये हैं। शायद उन्हें गरीब किसान की हालत का पता भी नहीं है। उसके पास खाना और कपड़ा नहीं है। उसे सरकार के पक्ष के लोग भी भलीभांति जानते हैं, और हम सब भी जानते हैं। कांग्रेस के माननीय विधायकों ने अपनी तीन दिन की बैठक में बड़ी जोशीली तकरीरें की थीं। उनमें कहा गया कि किसान गरीब है। किसान की हालत आजादी के बाद खराब हुई है। कर देने के लिये उसके पास खून नहीं है। उसकी हड्डियों से भी कर के नाम पर कुछ नहीं निकल सकता। जोत कर विधेयक कांग्रेस को समाप्त कर देगा। बाद में पुनःविधेयक मन्त्रिमंडल को भेजा गया। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक पालिटिकल प्लान है। खर्चे का १/३ भाग कांग्रेस सपोर्ट की वोट कैचिंग मशीनरी पर खर्च होता है जिससे आगे भी शासन पर कांग्रेस का होल्ड हो। उसमें वोट कैचिंग मशीनरी को अगर कम कर दें तथा प्लान के अन्तर्गत छिपी हुई राजनैतिक प्लान जो सदैव कांग्रेस की सत्ता मजबूत करने के लिये छिपे रूप में कार्य करती है अगर उस मशीनरी और उस राजनैतिक प्लान जिस पर बहुत भारी अपव्यय होता है अलग कर दें तो १।३ खर्चा कम हो सकता है, कोआपरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मेजर ऐंड माइनर इरीगेशन वर्क्स, विलेज डेवलपमेंट, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में जो कम्युनिटी प्राजेक्ट के अन्दर हैं इन्हीं में अपव्यय होता है। १९४६-४७ में श्री सी० मायर अमेरिका से आये थे। वह माननीय पंडित नेहरू से मिले। कम्युनिटी प्राजेक्ट की बात अमेरिका से भारत में आयी है। माननीय पंडित नेहरू ने माननीय पन्त जी के पास उनको भेज दिया। उन्हीं की स्कीम से प्रदेश में प्रथम महेवा ब्लाक स्थापित किया गया। माननीय पन्त जी ने उनसे कहा कि यहां की दशा के अनुसार प्लान चाकआउट होना चाहिये। उसी आधार पर यह सब बना है।

श्री सी० मायर जो अमेरिका से आये थे उनका यह सिद्धान्त था कि जनता से शासन को सीधा, नजदीक तथा हार्दिक सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। आज वह चले गये और उनके सिद्धान्तों पर देहातों में जाकर सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका और हमारे प्लान बराबर फेल होते जा रहे हैं। इस प्लान पर सम्पूर्ण खर्चा है जिसके लिये इस विधेयक की आवश्यकता हुई है। यह उन स्कीमों पर खर्चा होता है जो कांग्रेस सपोर्ट में इलेक्टोरल कन्ट्रोल मशीनरी है। आज सरकार के सारे मुहकमों में कोआर्डीनेशन (Co-ordination) नहीं है। कोआरडीनेशन करने का प्लान का सुझाव है पर इसमें कोई प्रगति हीं। भारत में सबसे बुनियादी बात यह है कि भारतीय प्रशासन का वर्तमान रूप २०० वर्ष पहले वारेन हैस्टिंग्स की देन है और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें समूल परिवर्तन करने की ओर भारत सरकार ने उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस प्लानिंग से केवल लिमिटेड लोगों को फायदा हुआ है। जनता यह नहीं समझती है कि उसको इससे क्या फायदा हुआ। सरकार का कहना यह है कि जनता को जमींदारों के दबाव से उभार दिया है। यह बात सही है कि जमींदारी अबालिशन के बाद जमींदारों का आतंक हट गया लेकिन उनकी भूख की फिक्र नहीं है। उनके रहने के लिये मकानों की फिक्र नहीं है और न उनके लिये कपड़े की फिक्र है।

मान्यवर, और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश की मालगुजारी ड्योढ़ी है। जबकि आंध्र में ३.२९, आसाम में ५.७४, वेस्ट बंगाल में ६.२९, बिहार में ५.३५, गुजरात में २.२४, जम्मू और काश्मीर में ४.१२, केराला में ४.४६, मध्य प्रदेश में २.५५, मद्रास में ३.००, महाराष्ट्र में १.५९, उड़ीसा में २.५३, पंजाब में २.५५, मैसूर में १.९५ और यू० पी० में ५.५६ है। हमारे प्रदेश की मालगुजारी सारे देश में जो औसत मालगुजारी है उससे ड्योढ़ी है। पूरे देश की औसत मालगुजारी ३.१९ पर एकड़ है केवल यू० पी० ऐसा है जहां पर ५.५६ है जो ड्योढ़ी से भी अधिक है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर जो यह टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है यह बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ किया जा रहा है। सरकार की ओर से सदैव गरीब किसान को इगनोर किया गया है। खेती पर राज्य की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ी है। राष्ट्रीय आय भी बढ़ी नहीं घटी है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय घटी है। १९५०–५१ में २५९.६२ थी और १९५९–६० में वह २५८.७८ रह गई है। शासन से जिस कोआरडीनेशन तथा जनता से जिस सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था कि उससे किसान की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधरेगी, इस बात को देखते हुये यह प्लानिंग पूर्ण रूप से फेल हुई है। किसान को इस स्कीम के द्वारा डिमोरेलाइज किया गया है। पोलिटिकल गेम पोलिटिकल करप्शन (Corruption) के लिये ही यह प्लान जारी की गई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि पोलिटिकल करप्शन उससे पैदा हो ही गया है। गरीब किसान का लाभ इससे नहीं हो सका।

पूर्वी जिलों गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, गाजीपुर और बलिया के सम्बन्ध में जो वहां की रिपोर्ट है उसके अनुसार वहां की पापुलेशन डेनसिटी सन् १९५१ में ९४२ पर स्क्वायर माइल थी और जब सारे देश की पापुलेशन २८१ पर स्क्वायर माइल थी और सारी यू० पी० की ५५७ पर स्क्वायर माइल थी और उसमें १९२१ में कल्टीवेटेड एरिया ७३.७ सेन्ट्स पर एकड़ था और सन् १९४१ में वह ५४.८ सेन्ट्स पर एकड़ हुआ और सन् १९५१ में ५०.१ सेन्ट्स पर एकड़ हो गया है। अब सन् १९६१ में आकर और भी बढ़ गया होगा यह हालत है उस किसान की जिसके पास पूरी एक एकड़ भी भूमि नहीं है। इसी प्रकार से गन्ने की पैदावार को देखा जाय तो वह भी अब आकर पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो सरकार ने अपना टारगेट रखा था वह ५५० मन पर एकड़ का था लेकिन उसमें ४१९ मन ही हम प्राप्त कर सके हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सरकार ने ६५० मन पर एकड़ का टारगेट रखा था लेकिन उसमें भी ४४४ मन ही प्राप्त कर सके हैं और इसी प्रकार से १९६१–६२ में ५२५ का टारगेट रखा था जो ४१० ही अभी तक मिला है। इस तरह से आप अपना टारगेट भी प्राप्त नहीं कर सके हैं।

इसी प्रकार से मजदूरी का हाल है जो देहात के किसान और गरीबों की हालत को बताती है। कृषि मजदूरी आज भी देहात के अन्दर २ आना प्रति व्यक्ति है। माननीय गह रो ने इस बात को बतलाया है कि २ आना प्रति व्यक्ति मजदूरी आज भी देहात में है। जब उनको वह मजदूरी अनाज की शक्ल में दी जाती है तो १८ छटांक से लेकर २ सेर तक मिलती है। एग्रीकल्चरल लेबर इन्क्वायरी की रिपोर्ट १९५१ के अनुसार ५ व्यक्ति का परिवार केवल ६२४ रुपये साल भर में पैदा करता है और उसका खर्च ६४४ रुपये होता है। इस रिपोर्ट से १९५१ के अनुसार मैंने खर्चा बतलाया है। अब सन् १९६१ में तो और भी अधिक अन्तर हो गया होगा। वैसे ही एक भलूडीह गांव का जिक्र करता हूं जो सरकार की ओर से एक बहुत प्रासपेरस गांव कहा जाता है। वहां पर लगभग ३०० परिवार रहते हैं। उनमें ९० परिवार ऐसे हैं जिनको दोनों समय भोजन मिलता है, लेकिन २०० परिवार ऐसे हैं जिनको एक समय भी बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है और अगले दिन का उनके लिये निश्चय करना बड़ा कठिन होता है कि अगले दिन कहां से भोजन प्राप्त होगा। ग्राम सभा के प्रधान की यह रिपोर्ट है कि २०० परिवारों में स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पास एक ही ब्लाउज है और दो

[श्री विजयसिंह]

साड़ियां हैं जिनमें से एक को विशेष अवसरों के लिये रखा जाता है। उनमें २५ घर ऐसे हैं जिनके पास साइकिल है। केवल तीन परिवार ऐसे हैं जिन के घरों में रोशनी का प्रबन्ध है। अगर वहां जाकर देखा जाय तो तब पता चल सकता है कि वास्तव में गांव की क्या हालत है और किस तरह से उनका निर्वाह होता है। सरकार की ओर से एक योजना चलाई गई है अलीगढ़ पैकेज स्कीम। उसके अन्तर्गत बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञों को ही लाभ पहुंचेगा। वह अलीगढ़ जिले के १/५ हिस्से में लागू की गई है। उसको बतलाया गया है कि वह जादू का करिश्मा है। वहां पर पैदावार बढ़ाने में पानी की तरह से रुपया बहाया जा रहा है। कहते हैं कि वहां की ४५ प्रतिशत पैदावार बढ़ी है यानी तीन गुनी बढ़ गई। मैं समझता हूं कि वहां के लिये एस्टीमेट कमेटी बना कर देखा जाय तो पता चलेगा कि वहां की कितनी पैदावार बढ़ी है।

प्लान से जिस तरह से किसान को खुशहाल करने की बात थी वह अब समाप्त हो रही है केवल कर बढ़ाये जा रहे हैं। मान्यवर, जब प्लानिंग के कार्यों की इन्क्वायरी होगी तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। इस प्लानिंग में किसान तो भूखा का भूखा ही रहा। वह सब्सीडी लेने के लिये मारा मारा फिरता है और प्लानिंग से यह रोग और भी बढ़ गया है। पहनने को उसको कपड़ा नहीं मिला, गल्ले का उचित दाम नहीं मिला, बल्कि उसकी परेशानी और बढ़ गयी है। बजट से पता चलता है कि कोआपरेटिव विभाग द्वारा किसानों में ८५ करोड़ रुपया कर्ज बांटा जायगा। तो इस तरह उसका कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अभी कहा गया कि बहुत जगह साइकिलें हैं। पहले राजा महाराजा थे, उनके पास हाथी घोड़े होते थे। अब उनके पास मोटरें हो गयी हैं, और किसान, जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, गाड़ी होते थे अब उसके पास केवल साइकिल रह गयी है। यह उन्नति का एक स्वरूप है, जिसकी सराहना सरकार उच्च स्वर से कर रही है। रहन-सहन के स्तर के संबंध में अर्थ शास्त्रियों का मत है कि हिन्दुस्तान में २० रुपया पर कैपिटा खर्च होता है जिसमें ६० परसेंट पर २५ रुपया से कम और ३५ परसेंट पर १५ रुपया से कम खर्च होता है। सरकार के प्लान का खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रति ग्रामीण सरकार जो खर्च कर रही है वह देहात में प्रति व्यक्ति पर ३.४० और शहर में प्रति व्यक्ति पर ५.७६ खर्च करती है। तो इस प्रकार वह शहरों में ज्यादा खर्च कर रही है। मान्यवर, यदि सरकार टैक्सों का रुपया ठीक से उपयोग में लाये तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर रुपया अपव्यय हो रहा है। खर्च बढ़ता जा रहा है। १९६०–६१ की एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की किताब के पेज ८ में १८ करोड़ रुपया जो ३१ मार्च, १९६१ को बचा है उसको रिएप्रोप्रियेट भी नहीं किया जा सका। यह १८ करोड़ खर्च भी नहीं किया जा सका। सरकार प्लानिंग के लिये रुपया ले लेती है लेकिन उसे खर्च भी नहीं कर पाती। सरकार के हर विभाग में नान-प्लान्ड आइटम्स पर ३ गुने से अधिक खर्च हो गया है। विभागों को बढ़ाने का मर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों में इनएफीशियेन्सी बढ़ती जा रही है। जनता पर टैक्स लगाने का सरकार ने जो विचार किया है वह भ्रामक है। किसान आज बहुत गरीब है। राजकीय आंकड़ों के अनुसार जो प्रोड्यूस प्राप्त होता है उसके फीगर्स रेवन्यू विभाग एक देता है और कृषि विभाग दूसरे। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट बिलकुल भ्रामक आंकड़े देता है। क्राप कटिंग का एक तरीका है जिसके अनुसार वे स्टेट लेविल पर क्राप के आंकड़े निकाल लेते हैं और उसमें कमी बेशी भी हो जाती है। यह कायदा उचित नहीं है। जो यह विचार है कि पैदावार किसान की बढ़ी है यह भी एक भ्रामक बात है। जो सरकारी फार्म्स हैं उनको देख लीजिये। उनका इंतजाम सरकार स्वयं करती है। एक प्रन के उत्तर में इसी सदन में एक दिन माननीय कृषि मंत्री ने बतलाया था कि ४९ फार्मों में ९६ लाख रुपया खर्च हुआ और उसमें कुल २ लाख रुपया घाटा हुआ है। बुलन्देलखंड और गोरखपुर रीजन के फार्म्स तो सभी घाटे पर ही चलते हैं। अगर काश्तकारों की हालत अच्छी होती तो वहां के फार्मों की हालत भी ठीक होनी चाहिये थी। फार्मों की हालत देख कर कैसे कहा जा सकता है कि यहां के किसानों की हालत ठीक है। टैक्स अब सेचुरेशन प्वाइंट पर हैं और उनको अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। किसान की भूमि पर और अधिक कर नहीं लगना चाहिये।

शहर में आपने ४,२०० रुपये तक छूट दे रखी है लेकिन किसान की भूमि को आप छोड़ना नहीं चाहते।

टैक्स से छूट देते हैं और देहातों में एक-एक कूंड पर भी कर लग जाता है। यह देहाती जनता के साथ अन्याय है। देहात में भी ४,२०० रुपये पर कर से छूट दीजिये।

मान्यवर, आप किसान से टैक्स ले रहे हैं। परन्तु आप देखें कि वह और पहले से ही और प्रकार के टैक्सों से लदा हुआ है। उसको गांव सभा का टैक्स और मालगुजारी तथा नहर विभाग की सिंचाई आबपाशी का बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी वह देता है और फिर भोजन, वस्त्र और कई प्रकार की चीजों को खरीद कर भी वह टैक्स देता है। यदि कहीं वह बाहर जाता है तो उसको अब और नये टैक्सों को अदा करना पड़ता है जो कि अभी हाल ही में लगे हैं। इसलिये सरकार को यह जोत कर विधेयक नहीं लाना चाहिये। इसको वापस ही ले लेना चाहिये। आप देखेंगे कि कुछ रुपया तो इसके कलेक्शन में खर्च हो जायगा और बहुत-सा रुपया आन्दोलनों में खर्च होगा तो फिर आपको मिलेगा ही क्या। इससे पहले यात्री कर और मनोरंजन कर आदि सभी तरह के टैक्स तो आप लगा चुके हैं। फिर भी आपकी कमी पूरी नहीं होती। आप सेल्स टैक्स दूना कर दें तो १४ करोड़ रुपया और मिल जायगा।

मैं एक बात और कहूंगा कि आपको बकाया टैक्सों और रकमों को ही वसूल करना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि सरकार को आज पैसे की जरूरत है, लेकिन यदि आप १५ करोड़ रुपया जो सरकार का बकाया पड़ा हुआ है वह वसूल करें तो आपको इसमें क्या दिक्कत होगी। इसलिये यह टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। सेन्ट्रल सरकार के द्वारा १५ सौ करोड़ रुपये इन्डस्ट्री में एलाट हुए थे। मैं कहता हूं कि यदि यह इन्डस्ट्री का कार्य प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता तो उससे ज्यादा लाभ कमाया जा सकता था और इससे जनता पर कर का बोझ भी कम पड़ता। यह मैं नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पर ही छोड़ दें, आपको उस पर अपना नियन्त्रण रखना ही चाहिये। जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन नहीं देते तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली फैक्टरियों से उतनी आय नहीं हो सकती जितनी प्राइवेट सेक्टर में आने से। उदाहरण के लिये आप लखनऊ की प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री को ही ले लीजिये। यदि वही फैक्ट्री आज प्राइवेट सेक्टर में होती तो उससे ज्यादा लाभ कमाया जा सकता था। आप लागत का ब्याज भी नहीं कमा पाते। इसी प्रकार से आप देखें कि १,२५० करोड़ रुपया सोशल सरविसेज में खर्च के लिये रखा गया है जिसको हमारे माननीय सदस्य ने भी माना है कि यह नीडलेस मल्टीपिलीकेशन आफ इन्सटीट्यूशन है और कुछ नहीं है।

सरकार को यह मेरा सुझाव है कि प्लान पहले प्राइवेट सेक्टर के लिये होना चाहिये था, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि प्लानिंग उस "काम" के लिये है जिसे व्यक्ति कर सकता है और उसी की उन्नति के लिये प्लान बनाया जाता है पर यहां यह उस सरकार के लिये है जिसे वह स्वयं करती है और जो इसके जरिये शासन भी जमा कर करना चाहती है। सरकार को वही काम करना चाहिये जिसे "व्यक्ति" या प्राइवेट सेक्टर न कर सके।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक वापस लिया जाय, क्योंकि इस प्रदेश का किसान बहुत गरीब है और कर देने योग्य नहीं है। हमारे विरोधी दल के नेता ने भी यह सब बातें बताई। मेरा भी इस सरकार से यही पुनः अनुरोध है कि वह मेरी बात मान ले और इस विधेयक को वापस ले ले इसमें बुद्धिमानी होगी। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको ६ महीने के लिये जनता में प्रचलन के लिये भेज दिया जाय ताकि समाज और ग्रामों की जनता की राय मालूम हो सके। इससे आपको भी मालूम हो सकेगा कि इस प्रदेश की जनता क्या चाहती है।

विधान भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी आदि के सम्बन्ध में नियम ११३ (६) के अन्तर्गत कार्य-स्थगन हेतु प्रस्ताव

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं, जो आपने लिखकर दिया है उसको पढ़कर व्यवस्था देता हूं। मैं उसको सदन के समक्ष पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है :—

"उत्तर प्रदेश जनता के प्रतिनिधि जोत कर का विरोध करने हेतु सदन के बाहर शांतिप्रिय ढंग से सदस्यों ने इस विधेयक के विरोध करने का आग्रह कर रहे थे। सरकार इन आन्दोलनकारियों को बेदरदी से सड़क पर घसीटवा रही है तथा १३८ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन पर घोर अत्याचार हो रहा है। सदन अपना प्रस्तुत कार्य स्थगित करता है।"

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने यह नियम ११३ के उप-नियम ६ के अन्तर्गत दिया है। मैं इसको नियम ११५, खंड ३ के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूं।

इसको अस्वीकार करते हुए मैं आदरणीय सदन से कह दूं कि माननीय संतसिंह यूसुफ ने इस सदन के समक्ष इस बात की शिकायत रखी कि उनको अन्दर आने-जाने में केवल कठिनाई ही नहीं हुई, उनका अपमान भी हुआ। मैंने सचिव को भेजा कि कोई एक आदमी हमारा गेट पर खड़ा हो और माननीय सदस्यों को आदरपूर्वक अन्दर ले आया जाय। उसके बाद कांग्रेस पक्ष के एक माननीय सदस्य, श्री राम प्यारे ने भी मुझे सूचित किया कि अड़चन हो रही है। तब भी मैं यह समझता रहा कि अधिकारी वर्ग अपना ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जिससे माननीय सदस्यों को अन्दर आने-जाने में कोई कठिनाई न हो। १२ बजकर ५० मिनट के करीब माननीय राम किशोर जी ने मेरे पास लिख कर भेजा कि १ बज रहा है, अभी तक कठिनाइयां आने जाने में हो रही हैं, अपमान हो रहा है, इसकी व्यवस्था की जाय। मैंने विवश होकर बजकर १२ बज कर ५० मिनट पर अधिकारियों को यह सूचना दी कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को आने-जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और अगर कठिनाई होगी तो उसका उत्तरदायित्व अधिकारी वर्ग पर होगा और उस मेरे आदेश के अन्तर्गत उन्होंने कार्यवाही की और इस ध्यान से की कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों को किसी प्रकार की दिक्कत आने जाने में न हो। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, मैंने अंग्रेजी में लिखा था, हिन्दी में अनुवाद किये दे रहा हूं कि जब तक सदन के समक्ष प्रदर्शनों की प्रथा जारी रहेगी तब तक सदन के सदस्यों को सदन में आवागमन में बाधा पड़ेगी और साथ ही साथ परेशानी भी होगी। अतः ऐसे प्रदर्शन बन्द होना चाहिये। यदि सदन इसके लिये तैयार नहीं है तो मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि मैं अधिकारी वर्ग को यह निर्देश करूं कि वह प्रदर्शनों को इस प्रकार से विनियमित करें, जिससे सदन की कार्यवाही तथा सदस्यों के आवागमन में कठिनाई या बाधा न पड़े। आज पूर्वाह्न माननीय सदस्यों द्वारा यह सुनकर दुख हुआ कि उनको सदन के अन्दर आने में कठिनाई ही केवल नहीं हुई अपितु उनके साथ जबरदस्ती और अपमान का व्यवहार किया गया। यह असहनीय है और भविष्य में भी सहन नहीं किया जावेगा।

मैं सदन के परिसरों के बाहर भी अपने अधिकार उस हद तक बरतूंगा कि जिससे बाहर की अव्यवस्था द्वारा आदरणीय सदस्यों को अन्दर आने की और सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने में सुविधा रहे और किसी प्रकार की असुविधा हो।

मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि मुझे यह भी सूचित किया गया कि जो लोग बाहर रोक रहे थे उन्होंने उन सदस्यों को इस सदन के अन्दर आने में सुविधा दी और आने दिया जिन्होंने यह व्यक्त किया कि वह जनसंघ पार्टी के सदस्य हैं। दूसरी इतर पार्टी

के सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह खेद की बात है। खेद विशेष रूप से इस कारण से है कि यह मेरा मत है कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल एक दूसरे के काउन्टर पार्ट हैं। काउन्टर पार्ट होने की हैसियत से माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का यह उत्तरदायित्व है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थापूर्ण हुआ करे। मैं यह समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वह यह देखें कि हमारी कार्यवाही सुव्यवस्था से चलती रहे। जो मैंने इस समय निवेदन किया यह मेरा मत है और इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन की कर्यवाही रोकने की नीयत से आया है। अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

एक दूसरी बात मैं और निवेदन कर दूं। इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों को यह भ्रम है कि मैं किसी सदस्य को इंगित उसी दशा में कर सकता हूं जबकि वह सदन में बोलते हों। लेकिन नियम २९९ में यह स्पष्ट है कि बोलना आवश्यक नहीं है। कोई भी अव्यवस्थित तरीका जो वह अख्तियार करें और मेरी समझ में वह तरीका ऐसा हो जो सदन की कार्यवाही में बाधा डालता हो, तो मुझे अधिकार है कि उस सदस्य को इंगित करूं या उनसे पहले कहूं कि वह सदन छोड़ें। उस अधिकार को बरतते हुए मुझे कार्यवाही करना इस नीयत से आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही अव्यवस्थापूर्ण न रहे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी यहां पर रखी हुई कुछ सदस्यों की दिक्कत को रखा। इतनी बड़ी मोटरें माननीय मंत्रियों की उन्हें अन्दर ले आईं। आप भी लंच आवर में गये। आपको कोई असुविधा हुई है? यह बात जरूर है कि वे आग्रह कर रहे थे। सर्न्तासिह जी कहते हैं कि उनसे दुराग्रह हो गया। एक पर्टीकूलर पार्टी का रवैया हमसे जैसा रहा है, उससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। इस जन-आन्दोलन के प्रति उनका कैसा रवैया है और टैक्सों का वे समर्थन करते हैं.....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—गलत बात है कि हम टैक्सों का समर्थन करते हैं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—चन्द्रजीत जी ने हमारे इस प्रस्ताव पर कि टैक्स न लगे, टैक्स लगने का समर्थन किया है।

श्री अध्यक्ष—वह असंगत बात है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—किन्हीं सदस्यों की व्यक्तिगत असुविधा की बात भी कही गई। मेरे खयाल से उसके बाद किसी सदस्य को असुविधा की बात मेरे ज्ञान में नहीं आई। सदस्यों को समझाने और उनसे आग्रह करने के अलावा प्रदर्शनकरियों ने और कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़े।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं १२ बज कर ४० पर डाकखाने जा रहा था। मेरा हाथ पकड़ कर खींचा।

श्री अध्यक्ष—मैंने वे शिकायतें सदन के सामने नहीं रखीं जो मेरे पास पहुंचीं। मेरे पास यह शिकायत भी पहुंची है कि एक माननीय सदस्य जब लेटे हुए लोगों को कांदने लगे तो टांग उठा दी गई और वह वहां गिर पड़े। किस पार्टी के वह सदस्य हैं, इससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, और मुझे कहना पड़ता है कि मेरे पास प्रेस के रिप्रेजेन्टेटिव भी आये और उन्होंने कहा कि उन्हें आने में परेशानियां हुईं। लेकिन इससे मुझसे मतलब नहीं है इस समय जो विषय सदन के समक्ष है वह केवल एक है कि माननीय टंडेश्वरी प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस सदन का कार्य स्थगित किया जाय और उसका आधार

[श्री अध्यक्ष]

यह बतला रहे हैं कि जनसंघ के कुछ व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार बाहर हुआ। इस पर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि सदन का कार्य स्थगित नहीं होगा, इस वास्ते कि वह प्रस्ताव इस नीयत से दिया गया है कि इस सदन के कार्य में बाधा पड़े और उसके सबूत में मैं कह रहा था कि सदन के बहुत से सदस्य यहां आने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें निवेदन करना है। एक तो आपने कहा कि इस सदन का कार्य सुचारु रूप से चले इसकी जितनी जिम्मेदारी माननीय नेता सदन की है उतनी ही नेता विरोधी दल की भी है। परन्तु इसके साथ एक नैसेसरी कोलोलरी भी है कि नेता सदन और सरकार को अपने बहुमत का प्रयो। इस ढंग से भी नहीं करना चाहिये जिससे समाज में एक उबाल पैदा हो जाय और अगर वह उबाल पैदा हो जाता है तो उस उबाल के शमन का प्रयास होना भी चाहिये परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि उस उबाल का शमन एक ही व्यक्ति कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि इस टैक्स बिल के बारे में श्रीमन् भी जानते हैं कि समाज में सर्व-साधारण के अन्दर कितनी उद्विग्नता है। सरकार भी स्वयं अपने मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है लेकिन वहां क्या हुआ, यह मैं स्वयं नहीं जानता क्योंकि मैं स्वयं सदन में था। बहुत से लोग आये और बिना रोके हुए आये। बहुत सी अतिरंजित खबरें भी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से माननीय सदस्यों को बाधा देने या उनके काम में विघ्न डालने का कोई उद्देश्य प्रदर्शनकारियों का नहीं था। मुझे दुःख है कि ऐसे अहम विषय पर सर्वसाधारण विचार न होकर एक व्यक्तिगत विचार हुआ और श्रीमन् ने भी इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसको सदन के समक्ष आ सकने का अवसर नहीं दिया, इसका भी मुझे दुःख है। उस दुःख के फलस्वरूप श्रीमन् की प्रतिष्ठा रखते हुए ५ मिनट के लिये प्रतीकमात्र हम जनसंघ के सदस्य सदन के वाकआउट करते है।

(इसके उपरान्त जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—श्री कृष्णानन्द राय....

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—श्रीमन्, मैं प्रिविलेज का क्वेश्चन उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आपने उसका नोटिस अब दे दिया। लेकिन किसके खिलाफ और क्या है?

श्री वीरसेन—जिन लोगों ने यहां माननीय सदस्यों को आने से रोका और इस बात के लिये रोका कि वे इस सदन में आकर काम न कर सकें और उनके दबाव में यहां आकर कोई राय जाहिर की जाय, यह इस सदन की परम्परा और सदन के प्रिविलेज के खिलाफ है...

श्री अध्यक्ष—अब आप उसे छोड़िये। कटे पर नमक न छिड़किये। आपने नोटिस दे दिया, अगर आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन व्याख्यान की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक इस सदन के इस सत्र का सबसे विवादास्पद विधेयक बन गया है। इस सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रजातांत्रिक तथा अप्रजातांत्रिक ढंग से इस विधेयक का विरोध करने का प्रयास किया जाता है।...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, हम लोग इधर कई सदस्य खड़े हुए थे और माननीय कृष्णानन्द राय खड़े भी नहीं हुए थे, फिर मेरी समझ में नहीं आया कि आपने उनको कैसे बुला लिया।

श्री अध्यक्ष—माननीय विकल जी, मुझे पूरा अधिकार है कि जिसको मैं चाहूं बुला लूं, चाहे वह खड़ा हो या न खड़ा हो।

श्री रामचन्द्र विकल—अगर वह बैठा हो तो भी ?

श्री कृष्णानन्द राय—आदरणीय विकल जी को मैं बतला दूं कि मैं खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रजातांत्रिक और अप्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह विधेयक या कर का प्रस्ताव और जिस उद्देश्य के लिये यह कर लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के नियोजन के लिये एकाएक इस सदन के सम्मुख आ गया है, जनता के सम्मुख आ गया है और सदन के आदरणीय सदस्य इससे परिचित नहीं थे और इसलिये एक बहुत ही एलार्मिंग सिचुएशन में आदरणीय सदन के सदस्य हैं और कुछ घबड़ाहट में इसका विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा आरोप है सदन के विरोध पक्ष पर कि एक बार उत्तर प्रदेश की योजना जिन लोगों ने भी तैयार की, जिसके कारण मिल जुल कर एक योजना तैयार हुई, और इस योजना को जन्म दिया, इसकी जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस पक्ष पर है उतनी ही जिम्मेदारी विरोध पक्ष के लोगों पर भी है। माननीय गेंदा सिंह और माननीय झारखंडेराय जैसे व्यक्ति भी, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जब इस सदन में सन् १९६० में विवाद हुआ था तो उस समय मौजूद थे। और मुझे विश्वास है कि वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना को जन्म देने में उनका भी हाथ था और वे उस समय सदन में मौजूद थे। उस समय जिस वातावरण की सृष्टि उन लोगों ने की थी उस वातावरण में तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी और उस योजना को इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी पिछले चुनाव के आधार पर जो मौजूदा सदन अस्तित्व में आया है, उसके ऊपर है। इस सदन के सदस्यों पर मैं आरोप करता हूं कि आपने स्वयं एक तथ्य को जन्म दिया लेकिन सदन जब आपके दी हुई चीजों की जिम्मेदारी निभाने जा रहा है तो आप एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे वह पूरी न की जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जब इस सदन में विवाद चल रहा था, उस समय के कुछ चित्र उपस्थित करना चाहता हूं। उस समय सदन के तत्कालीन नेता डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी थे और सदन के विरोधी पक्ष के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी थे, जिनकी विरासत आज हमारे भाग्य से या दुर्भाग्य से आदरणीय दुबे जी लिये हुए हैं। उनके भाषण की प्रतिक्रिया पर सदन के नेता माननीय डाक्टर सप्पूर्णानन्द जी ने कहा था—श्रीमन्, यदि विधान सभा की कार्यवाही १७ सितम्बर, १९६०, पेज ६३३ की ओर हमारे आदरणीय सदन के सदस्य ध्यान देंगे तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था—"अन्त में मैं माननीय त्रिलोकी सिंह के भाषण का जिक्र करना चाहता हूं और उसके लिये उनको सबसे ज्यादा हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस मौके पर विरोधी पक्ष के नेता से ऐसी ही आशा थी। विरोधी पक्ष के नेता त्रिलोकीसिंह जी ने तृतीय पंच वर्षीय योजना का समर्थन किया था और उसके लिये जो साधन उस समय संकेत किया गया था नेता ने उसका भी समर्थन किया था। यह नैतिकता का तकाजा है कि आज जो लोग उनकी विरासत में विपक्ष के रूप में बैठे हैं और जो राजनीतिक प्रदर्शन किये जाते हैं आज वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और कम से कम माननीय गेंदा सिंह जी और उनकी पार्टी डिसओन नहीं करेगी।" उन शब्दों को उनके

[श्री कृष्णा नन्द राय]

नेता ने तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस के समय इस सदन में कहा था। पृष्ठ ५८७ पर १७ सितम्बर, १९६० को उन्होंने कहा था :—

"इसलिये मैं, मान्यवर इस पक्ष में हूं कि उत्तर प्रदेश की भलाई के लिये और यहां की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये और जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुयें इस प्रदेश के लोगों को प्राप्त हों, इसके लिये एक योजना की जरूरत है। और जब योजना की जरूरत है तो वह सोच-समझ कर बनानी चाहिये। उस योजना को पूरा करने के लिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, एक संकल्प होना चाहिये और संकल्प के साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो साधन हैं उनको हम जुटायेंगे चाहे कितनी बड़ी दिक्कत हमारे ऊपर आये, चाहे कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े।"

उस समय विरोध पक्ष के नेता और सदन के नेता, दोनों ने मिल कर एक ऐसे वातावरण की सृष्टि की कि प्रदेश में यह योजना काम में आये। मैं अपने कम्युनिस्ट साथियों को बता देना चाहता हूं कि माननीय झारखंडेराय जी ने उस समय यह कहा था जो पृष्ठ ५९७ पर है :—

"प्रदेश की योजना बनानेवालों ने पहले ९५२ करोड़ ८३ लाख की योजना बनायी थी। बाद में वह सवा ७ सौ करोड़ का हुआ और अन्त में ६९३ करोड़ की योजना सामने रखी गयी है। लेकिन प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार का विचार ४००, ४५० करोड़ से ज्यादा देने का नहीं है। मैं समझता हूं कि यह गंभीर स्थिति है और इसके विरोध में इस पूरे सदन को एक स्वर से खड़ा होना चाहिये और अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिये ताकि जो योजना यहां से जा रही है वह अगर अधिक न हो तो उससे कम हो कर हमारे पास नहीं लौटनी चाहिये।"

अब, श्रीमान्, जब १९६० में यह तृतीय पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गयी थी तब सदन के नेता, विरोध पक्ष के नेता तथा विरोध पक्ष के अन्य माननीय सदस्यों ने ठीक उन्हीं तर्कों को देकर के, जो तर्क आज हम लोगों के सामने उपस्थित किये जाते हैं, योजना और उसके लिये साधन जुटाने का समर्थन किया था। माननीय गेंदा सिंह जी भी अपने भाषण को देख लेंगे। उन्होंने कहा था कि ८ वर्षों से निरन्तर विरोध पक्ष के लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि प्रदेश की सरकार यह समझे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके लिये एक साहसिक योजना बनायी जाय। श्रीमन्, आज जब कि प्रदेश का आर्थिक स्तर अच्छा न होने की वजह से, प्रदेश की शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से एक साहसिक योजना स्वीकार की गयी तो ठीक उन्हीं तर्कों को दिया जाता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लिहाजा सरकार का प्रयास योजना को कार्यान्वित करने की बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता है कि आज यह विरोधाभास कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि उन्हीं तर्कों को देकर कहा जाय कि योजना कार्यान्वित नही की जानी चाहिये।

श्रीमान्, यह कहा गया है कि दो पंचवर्षीय योजनायें असफल हुई हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से भी हम क्या आशा करें और क्यों उसके लिये टैक्स के प्रस्तावों का समर्थन करें। और हमें आश्चर्य होता है जब कि माननीय गेंदा सिंह जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति भी ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिये हम मान भी लें कि दूसरी योजना में इस प्रदेश के लोगों और किसानों का जीवन स्तर और उन की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है तब भी कम से कम वह इस शुद्ध गणित की बात को तो स्वीकार करेंगे कि दूसरी योजना से पहले प्रदेश की आबादी डेढ़ २ करोड़ कम थी और यदि इस पीरियड में इन योजनाओं का संचालन न हुआ होता तो सूबे की प्रति व्यक्ति आय में इस डेढ़ २ करोड़ आबादी ने भी अपना भाग लिया होता और प्रदेश का जीवन स्तर और भी गिरा होता.....

श्री अध्यक्ष—अब आप परसों जारी रखें।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों का निर्वाचन होना है । उसके लिये मैंने इस प्रकार तिथियां तथा समय निश्चित किया है :—

नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि १९ अक्तूबर, १९६२ को ५ बजे सायंकाल तक, नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा, २० अक्तूबर, १९६२ को सचिव, विधान सभा के कमरे में १२ बजे मध्याह्न और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि २५ अक्तूबर, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक और यदि निर्वाचन की आवश्यकता हुई तो दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे मध्याह्न और ५ बजे के बीच में होगा ।

अब हम उठते हैं और ३ तारीख को साढ़े १० बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर बुधवार, ३ अक्तूबर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१ अक्तूबर, १९६२ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर]

सप्लाई विभाग से १९६१ में निम्नलिखित संख्या के परमिट दिये गये——

१——टीन की चद्दरों के परमिट

२——सीमेंट की बोरियों की संख्या जिनके लिये परमिट दिये गये . ५४,४७५ बोरियां

३——ईंटों के परमिट ३,६३५

जिन भट्ठों से उपरोक्त ईंटों की परमिटें दी गईं उनके नाम निम्नलिखित हैं :

नाम भट्ठा

ए-क्लास
१——श्री अब्दुल गबूर, रायबरेली,
" २——,, गेहीमल, रायबरेली,
" ३——,, अमरनाथ भागर्व, मुंशीगंज,
" ४——,, गोकुल दास, रायबरेली,
" ५——,, हरीशचन्द्र, जायस,
" ६——,, केदारनाथ भागर्व, बछरावां,
" ७——,, कैलाशनाथ भागर्व, महाराजगंज, रायबरेली
" ८——,, कलावन्ती देवी, रायबरेली,
" ९——,, भगत सिंह, रायबरेली,
" १०——,, एस० एन० भागर्व, रायबरेली ।

बी-क्लास
११——,, अनूप सिंह, दीदौर,
" १२——,, गिरजा शंकर दीक्षित, लालगंज,
" १३——,, हीतेन्द्रनाथ, गुरवक्शगंज,
" १४——,, प्रेमचन्द, डलमऊ,
" १५——,, सीतल प्रसाद, जायस,
" १६——,, सुगनी चन्द, रायबरेली,
" १७——,, ताराचन्द एंड संस, रायबरेली,
" १८——,, सहकारी भट्टा, बछरावां,
" १९——,, ,, ,, , सोलौन,
" २०——,, ,, ,, , भवानीगढ़,
" २१——,, ,, ,, , ऊंचाहार,
" २२——,, ,, ,, , हरचन्दपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

परिशिष्ट

(अ) नये कुयें जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है

(१)	लंका पुरवा	तहसील कर्वी
(२)	बमनी पुरवा	
(३)	गोपीपुर	
(४)	तालातीर	
(५)	लखनपुर	
(६)	अमचुरनपुरवा	
(७)	राम स्वरूप का पुरवा	मऊ
(८)	कुबरी	
(९)	बिलहरी	कर्वी
(१०)	अहिरन पुरवा	
(११)	सपहा	
(१२)	वरवी	
(१३)	गोंडा	
(१४)	नया पुरवा	
(१५)	आनन्दपुर	कर्वी
(१६)	खेदवा	
(१७)	कन्यार	
(१८)	चचोकर	मऊ
(१९)	कील माजरा	

(आ) पुराने कुयें जिनको गहरा करने का कार्य चल रहा है

(१)	बगदारी	मऊ
(२)	दरही	
(३)	हेला	
(४)	छरिबा	
(५)	हरिजन कुआं, मानिकपुर	
(६)	चटर्जी का कुआं, मानिकपुर	
(७)	निही	
(८)	रेंजर्स दफ्तर मानिकपुर के पास	
(९)	गेंदार पुरवा	
(१०)	कत्याडंडी	
(११)	गुरौला	
(१२)	काल कालोनी कुआं	
(१३)	मांदा	
(१४)	ऊंचा डीह	
(१५)	टिकरिया	
(१६)	वपिन	
(१७)	चमरोही छोटा	
(१८)	मऊ गुरदारी	
(१९)	पुरानी का पुरवा	कर्वी
(२०)	कुसमी	
(२१)	हरदी डन्डी	
(२२)	करौहान	
(२३)	लुधान्ताकलां	मऊ
(२४)	डन्डियाकलां	
(२५)	जहटी	कर्वी
(२६)	लालाभाई का पुरवा	
(२७)	प्यासी का पुरवा	
(२८)	चुल	
(२९)	बारग्रह	मऊ
(३०)	टुकी	
(३१)	कुनीयान	

(इ) स्थान जहां नये कुओं का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है

(१)	सरहत	कर्वी
(२)	कल्यानपुर	

नत्थी ग

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

क्रय की तिथि	मूल्य रु० न० पै०	अधिकारी अथवा समिति जिसकी देख-रेख में क्रय किया गया अथवा लाया गया
३-५-१९६२	१६०७.६०	श्री के० के० गुप्ता, असिस्टेंट जेलर की देख-रेख में लाया गया ।
२९-५-१९६२	२२२४.९०	श्री के० एन० राम, डिप्टी जेलर की देख-रेख में लाया गया ।
४-६-१९६२	४११०.४१	जेल की खाद्यान्न क्रय समिति की देख-रेख में क्रय किया गया ।
१३-६-१९६२	५१५.७४	
३-७-१९६२	२५०३.३४	
२४-७-१९६२	१६०७.६०	श्री के० एन० राम, डिप्टी जेलर की देख-रेख में लाया गया ।
१०-८-१९६२	२२२४.९०	
२७-८-१९६२	२००९.५०	
१९-९-१९६२	१९७७.९८	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर)

STATEMENT SHOWING DETAILS OF LAND OF CHANDGANJ HOUSING ACCOMMODATION SCHEME (NIRALANAGAR)

(1)	Total area acquired under Scheme	49,82,175	sq. ft.
(2)	Area under roads, lanes, open spaces, markets and public places	22,34,252	,,
(3)	Area released to Sri Narottam Dass the owner of Dall Mill	36,346	,,
(4)	Area allotted to Sri Ram Krishna Mission for charitable purposes (without charging premium)	2,11,217	,,
(5)	Area allotted to Saraswati Sishu Mandir for school (without charging premium)	2,11,160	,,
(6)	Area to be utilized by Mahapalika itself for construction of flats under Low Income Group	2,40,000	,,
(7)	Area proposed to be allotted to P.W.D. for construction of Middle class houses (at Re. 1 per sq. ft. as premuium)	1,56,800	,,
(8)	Area proposed to be given to the owners of Dal Mill at the market rate	6,510	,,

Area under 'A' Category of Plot

(1)	Total No. of plots and their area	34. 5,10,000 sq. ft.
(2)	No. of plots already allotted and their area	30. 4,50,000 sq. ft.
(3)	No. of unsold plots and their area	4 60,000 sq. ft.

Note : Premium charged at Re. 1 per sq. ft.

Area under "B' Category of Plot

(1)	Total no. of plots and their area	90. 8,64,000 sq. ft.
(2)	No. of plots already allotted and their area	78. 7,48,800 sq. ft.
(3)	No. of unsold plots and their area	12. 1,15,200 sq. ft.

Note—Premuium charged at Rs. 1-2-6 per sq. ft.

Area under "C" Category of Plot

(1)	Total no. of plots and their area	162. 5,18,400 sq.ft.
(2)	No. of plots already allotted and their area	157. 5,02,400 sq. ft.
(3)	No. of unsold plots and their area	5. 16,000 sq. ft.

पी० एस० यू० पी० ए० पी--१९९ एल० ए०--१९६३--८३० (प्रो०)